लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[तृतीय माला
Third Series]

[खंड 42, 1965/1887 (शक)
Volume, XLII, 1965/1887 (Saka)]

[20 अप्रैल से 1 मई, 1965 तक/30 चैत्र से 11 वशाख, 1887 (शक)तक
April 20 to May 1, 1965/Chaitra 30 to Vaisakha 11, 1887 (Saka)]

ग्यारहवां सत्र 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

[खंड 42 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 41—50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

706 (Ai) LS—1.

विषय-सूची

अंक 45 सोमवार 26 अप्रैल, 1965/6 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1012	पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सामग्री	4231—33
1013	चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी . .	4233—36
1014	भारतीय राज्यक्षेत्र में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	4236—39
1016	एन० सी० कारपोरेशन लिमिटेड .	4239—42
1017	अप्सरा रिऐक्टर . .	4242—43
1019	पाकिस्तान द्वारा सीमा का उल्लंघन	4243—45
1020	बेकार मोटर गाड़ियां	4246—48
1021	भारत को दी जाने वाली ब्रिटेन की सैनिक सहायता में कटौती	4248—50
1022	शेख अब्दुल्ला	4250—52

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
1015	खान अधिनियम को लागू करना . .	4253
1023	विदेशी एजेंसियों में सैनिक अधिकारियों सम्बन्धी	4253—54
1024	मूल सैनिकों की पेंशनें	4254—55
1025	काहिरा हवाई अड्डे से भारतीय सम्वाद-दाताओं का हटाया जाना	4255
1026	पाकिस्तान द्वारा युद्ध-जसी तैयारी .	4255
1027	"सोवियत लैंड" पत्रिका में भारत का मानचित्र	4256
1028	स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन पर फिल्म	4256
1030	नेपाल राजपथ .	4257
1031	जंजीवार में भारतीयों की पेंशन	4258

अतारांकित प्रश्न संख्या		
2588	अस्पृश्यता सम्बन्धी फिल्में	4258—59
2589	अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेन्सी	4259
2590	प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा	4259

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 45—Monday 26, 1965/Vaisakha 6, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1012.	Material supplied by P.I.B.	4231—33
1013.	Children's Film Society	4233—36
1014.	Pakistani Intrusion into Indian Territory	4236—39
1016.	N. C. Corporation Ltd.	4239—42
1017.	Apsra Reactor	4242-43
1019.	Border violations by Pakistan	4243—45
1020.	Unserviceable Vehicles	4246—48
1021.	Cut in British Military aid to India	4248—50
1022.	Sheikh Abdullah	4250—52

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.

1015.	Enforcement of Mines Act	4253
1023.	Military Officers Relatives in Foreign Agencies	4253-54
1024.	Pensions of Deceased Soldiers	4254-55
1025.	Removal of Indian Press Correspondents from Cairo Airport	4255
1026	War-Like Preparations by Pakistan	4255
1027.	India Map in Soviet Land	4256
1028.	Film on the life of late Dr. Rajendra Prasad	4256
1030.	Nepal Highway	4257
1031.	Pension of Indians in Zanzibar	4258

Unstarred Questions Nos.

2588.	Films of Untouchability	4258-59
2589.	International Atomic Energy Agency	4259
2590.	Prime Minister's visit to Nepal	4259

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2591	मोटर परिवहन अधिनियम	4259
2592	केरल में नारियल जटा उद्योग	4260
2593	केरल में नारियल-जटा कारखाने	4260
2594	राष्ट्रीय छात्र सेना दल की महिला अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कालिज	4260
2595	असैनिक कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	4260–61
2596	आर्मी आर्डनेन्स कोर	4261
2597	आर्मी आर्डनेन्स कोर	4262
2598	दिल्ली विश्वविद्यालय में चीनी विभाग	4262–63
2599	अमरीकी सैनिक सहायता	4263
2600	कोयला खनन उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड	4263
2601	उड़ीसा डाकघरों में जमा राशि	4263–64
2602	पंडित नेहरू के जीवन पर पुस्तकें	4264
2603	कोयला खानों में दुर्घटनायें	4264
2604	डाक तथा तार कर्मचारियों का चिकित्सा व्यय	4265
2605	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	4265
2606	हिन्दी योजना लागू करने के लिये समितियां	4265–66
2607	हिन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियां	4266–67
2608	ब्रिटेन में भारतीय वायु-सेना के एक अधिकारी की मृत्यु	4267
2609	दिल्ली काठमांडू रेडियो-टेलीफोन सेवा	4267–68
2610	अमरीकी परियोजना "ग्नोम"	4268
2611	आकाशवाणी में पदोन्नतियां	4268–69
2612	प्रतिरक्षा परिवहन मोटरगाड़ियां	4269
2614	मोतीहारी से जमशेदपुर के लिये ट्रंक काल	4269–70
2615	"अमन" फिल्म की शूटिंग	4270
2616	कानपुर का आयुध कारखाना	4270–71
2617	प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव	4271–72
2618	चीन-पाकिस्तान सीमा, सन्धि	4272
2620	रेडियो के लाइसेंस	4272–73
2621	एवरो-748 की परीक्षणात्मक उड़ान	4273

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूनाइटेड किंगडम द्वारा हिन्द महासागर में परमाणु अड्डे स्थापित किये जाने के बारे में समाचार 4273

श्री रघुनाथ सिंह 4273

श्री स्वर्ण सिंह 4273--76

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS---*Contd.*

Unstarred *Q. Nos.*	*Subject*	PAGES
2591.	Motor Transport Act	4259
2592.	Coir Industry in Kerala	4260
2593.	Coir Factories in Kerala	4260
2594.	Training Colleges for Women N.C.C. Officers	4260
2595.	Wage Board for Civilian Employees	4260-61
2596	Army Ordnance Corps	4261
2597	Army Ordnance Corps	4262
2598	Chinese Department in Delhi University	4262-63
2599.	U. S. Military Aid	4263
2600	Wage Board for Coal Mining Industry	4263
2601.	Deposits in Orissa P. Os.	4263-64
2602.	Books on the life of Pandit Nehru	4264
2603.	Accidents in Coal Mines	4264
2604.	Medical Expenditure of P. & T. Employees	4265
2605	Reimbursement of Medical Expenses	4265
2606.	Committees for implementation of Hindi Scheme	4265-66
2607.	Hinid Programme Implementation Committees	4266-67
2608.	Death of an I.A.F. Officer in U.K.	4267
2609.	Delhi Kathmandu Radio Telephone Service	4267-68
2610.	American Project ' Gnome '	4268
2611.	Promotion in A.I.R.	4268-69
2612.	Defence Transport Vehicles	4269
2614.	Trunk Calls from Motihari to Jamshedpur	4269-70
2615.	Shooting of Film ' Aman '	4270
2616.	Ordnance Factory, Kanpur	4270-71
2617.	Programme Executives	4271-72
2618.	Sino-Pakistan Border Pact	4272
2620.	Radio Set Licences	4272-73
2621.	Test Flight of Avro-748	4273

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Reported Establishment of Nuclear bases in Indian Ocean by U.S.A. and U.K.	4273—76
Shi Raghunath Singh	4273
Shri Swaran Singh	4273—76

विषय

	पृष्ठ
पाकिस्तान के सनाओं द्वारा कच्छ सीमा पर आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य	
श्री यशवन्तराव चह्वाण	4277
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	4283
प्राक्कलन समिति .	4285
छिहत्तरवां और इक्यासीवां प्रतिवेदन	4285
आधे घंटे की चर्चा के बारे में .	4285
(खानवालों को जूतों की सप्लाई)	4285
अनुदानों की मांगें . . .	4286
गृह कार्य मंत्रालय	4286
श्री खाडिलकर .	4286–87
श्री बै० च० पटनायक	4287––89
श्री बासुदेवन नायर	4289––91
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	4291–92
श्री रा० गि० दुबे	4293––95
श्री ओंकार सिंह . .	4295
श्री विद्याचरण शुक्ल	4295–96
श्री दीनेन भट्टाचार्य . .	4296–97
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	4297––4300
श्री हरि विष्णु कामत	4300––03
श्री बसुमतारी	4303––05
श्री हाथी	4305––09
श्री याज्ञिक	4309
श्री बागड़ी .	4309–10
श्रीमती सुभद्रा जोशी	7310–11
श्री मनोहरन	4311–13
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	4314–15
श्री राम सहाय पाण्डेय	4315–16
श्री कोया	4316
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	4317
श्री हुक्म चन्द कछवाय	4317–18
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	4318–19
श्री बाकर अली मिर्जा	4319–20
श्री अ० शं० आल्वा	4320–21

Subject PAGES

Statement *re* : Attack by Pakistan forces on Kutch border—

Shri Y. B. Chavan 4277

Papers laid on the Table 4283

Estimates Committee 4285

Seventy-sixth and Eighty-first reports 4285

Re : Half-an-Hour Discussion 4285

(Supply of shoes to Miners) 4285

Demands for Grants 4286

Ministry of Home Affairs 4286

Shri Khadilkar 4286-87

Shri B. C. Patnaik 4287—89

Shri Vasudevan Nair 4289—91

Shri Sideshwar Prasad 4291-92

Shri R. G. Dubey 4293—95

Shri Omkar Singh 4295

Shri Vidya Charan Shukla 4295-96

Shri Dinen Bhattacharya 4296-97

Shri Harish Chandra Mathur 4297—4300

Shri Hari Vishnu Kamath 4300—03

Shri Basumatari 4303—05

Shri Hathi 4305—09

Shri Yajnik 4309

Shri Bagri 4309-10

Smt. Subhadra Joshi 4310-11

Shri Manoharan 4311—13

Shri Prakash Vir Shastri 4314-15

Shri R. S. Pandey 4315-16

Shri Koya 4316

Smt. Tarkeshwari Sinha 4317

Shri Hukam Chand Kachhavaiya 4317-18

Smt. Lakshmi Kanthamma 4318-19

Shri Bakar Ali Mirza 4319-20

Shri A. S. Alva 4320-21

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 26 अप्रैल 1965/6 वैशाख, 1887 (शक)

Monday, April 26, 1965/Vaisakha 6, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Material supplied by P. I. B.

*1012. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Yashpal Singh
Shri R. S. Tiwary:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of English and Hindi newspapers which are supplied with news bulletins, pamphlets and other material by the Press Information Bureau of the Government of India;

(b) the quantum of this material which is originally prepared in English and then translated into Hindi and *vice-versa*.

(c) whether it is a fact that most of the work is done in English and it is sent to the Hindi wing very late and some material is not circulated at all through Hindi medium; and

(d) the steps Government propose to take in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) to (d). A statement, giving the requisite information is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT/4276/65].

Shri M. L. Dwivedi: It appears from the statement laid on the Table that the number of news bulletins, booklets and other material given to English newspapers is 1145 whereas it is 881 in the case of Hindi newspapers. I want to know the reason for less material being supplied to Hindi and other regional languages newspapers which are not less than English newspapers.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : धीरे धीरे इन को बढ़ाया जा रहा है । वास्तव में 1964 में मुख्य कार्यालय ने 5487 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की थीं । इन में 374 लेख शामिल हैं जिन में से 78 लेख मूलत: हिन्दी में लिखे गये थे । मुख्य कार्यालय के अतिरिक्त लखनऊ, पटना, वाराणसी, जयपुर, भोपाल तथा कलक्त्ता जैसे शाखा कार्यालयों से भी प्रेस के लिए लेख आदि दिए जाते हैं ।

हम जानते हैं कि यह अनुपात बहु त ठीक नहीं है परन्तु हम इसे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri M. L. Dwivedi: May I know why certain news are still being supplied in English to Hindi and regional language newspapers.

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): So far as the speeches of Ministers are concerned, certain editors themselves demand the original English speech. Apart from that, Lucknow, Patna, Varansi, Jaipur and Bhopal are linked with Hindi teleprinters but Calcutta is not so linked. We have asked P.T.I. to link Hindi teleprinter from Calcutta to Patna. After it is done, we will be able to supply news in Hindi to the papers in Calcutta.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पत्र सूचना कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय भी है । क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि उन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री दी जाये ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : इस प्रश्न का क्षेत्रीय भाषाओं से सम्बन्ध नहीं है परन्तु पूर्व सूचना मिलने पर मैं जानकारी दे सकता हूं ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether it is a fact that when material reach the papers it is very late and it looses its importance?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह सच है कि विशेष रूप से जहां तक हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, यदि सामग्री 9 बजे म० प० तक न पहुंचे तो वास्तव में वह उनके लिए निरर्थक हो जाती है । यह सामग्री उन्हें समय के अन्दर पहुंचाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किये जाते हैं परन्तु कई बार वह समय पर नहीं पहुंचती । परन्तु जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, उनमें से कई अंग्रेजी में सामग्री की मांग करते हैं । वह उन्हें समय पर बल्कि उससे पहले भी मिल जाती है ।

Shri R. S. Tiwary: The hon. Minister just now said that efforts would be made to supply material equally in Hindi and English. May I know how long would it take to supply the material in diglot form.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह लक्ष्य का प्रश्न नहीं है । हम इस में वृद्धि कर रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि वह प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं । मैं एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह पुस्तिकायें तथा बुलेटिन हिन्दी के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं के समाचारपत्रों को भी दिये जाते हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जहाँ तक अंग्रेजी भाषा की सामग्री का सम्बन्ध है, वह सभी समाचारपत्रों को दी जाती है । प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में मुझे पता है कि कुछ क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं में भी कुछ टेलीप्रिंटर है । परन्तु ऐसा बहुत अधिक नहीं है जैसा कि हम चाहते हैं ।

श्री वारियर : क्या सरकार का ध्यान इस शिकायत की ओर दिलाया गया है कि अंग्रेजी समाचारपत्रों के संवाददाताओं को समाचारों सम्बन्धी जानकारी अन्य समाचारपत्रों के संवाददाताओं की तुलना में अधिक दी जाती है । क्या यह भी सच है कि जब दौरों का कार्यक्रम बनाया जाता है तो अंग्रेजी समाचारपत्रों के संवाददाताओं को प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि सभा ध्यान देगी ।

Shri Hukam Chand Kachavaiya: There are fourteen languages in our country. May I know out of those 14 languages in how many languages do the Government supply the news.

Mr. Speaker: This question does not arise. The question relates to Hindi and English languages.

Shri Kapur Singh: Information regarding Punjabi may be given.

Shri R. S. Pandey: What is the percentage of Hindi and English material distributed by Press Information Bureau? What efforts were being made to distribute it equally?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैंने आरम्भ में ही यह बता दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दे दिया गया है ।

Children's Film Society

*1013. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the amounts given to the Children's Film Society New Delhi since its inception upto March, 1965, (Year-wise).

(b) whether any assessment of the work done by the society and the proper utilisation of funds given by Government has been made; and

(c) if so, the outcome thereof.

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-4277/65].

(b) and (c). At the request of the Chairman, Children's Film Society, the services of three officers of this Ministry were placed at the disposal of the Society in 1962 to examine the working of its different branches and to suggest measures for achieving greater efficiency in its administrative, and technical wings and for the proper maintenance of accounts and registers. A statement indicating the defects and short-comings in the working of the Society as revealed in the Reports of the three officers and the steps taken to remedy the shortcomings is placed on the Table of the House.

Further, on the recommendation of the Public Accounts Committee made in its Twentieth Report, Government have appointed the Controller of Films Division as Enquiry Officer to enquire into various financial irregularities committed by the Society to ascertain the amount of loss sustained by it and to fix responsibility therefor in the manner suggested by the Committee. The enquiry report is awaited.

Shri Sidheshwar Prasad: It is clear from the statement laid on the Table of the House that Children's Film Society was given over sixty lakhs of Rupees. It is also clear from the statement that a major portion of those sixty lakhs of Rupees has been misappropriated by the Children's Film Society but it is not clear from the statement that who is responsible for this misappropriation. I would like to know what action are the Government taking to find out the person responsible for this.

Shrimati Indira Gandhi: As I have stated that the three officers sent there have given a report. Certain steps have been taken in accordance with that report. The Controller of Film Department will now go there for further enquiries. His report has not yet been received. We are trying to remove the shortages.

Shri Sidheshwar Prasad: The hon. Minister just now referred to the report of Public Accounts Committee. It has been stated in the report of aforesaid Committee that the Government do not take into consideration the aims of institutions like Children's Film Society at the time of their Constitution or at the time of giving them grants. I would like to know whether the Government are considering to specify the aims and scope of Children's Film Society.

Shrimati Indira Gandhi: Its aim is clear. Full arrangements are being made for its working in a proper manner and avoiding misappropriation.

Shri Vishwa Nath Pandey: Certain improvements have been made in the Children's Film Society in accordance with the evaluation regarding the working of the Society by the officers. I would like to know whether the Government are satisfied with those improvements or do they want to issue orders for further improvements.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था और हमने उठाये गये मुख्य मुख्य कदमों के बारे में बताया था । भूतपूर्व महासचिव, जो कि वास्तव में इससे सम्बंधित थे, को हटा दिय गया है । हम ने एक नया प्रभारी सचिव नियुक्त किया है और चार पाँच अन्य मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी को केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिये गये हैं या सोसाइटी ने भी किसी अन्य स्रोत से कोई राशि इक्ट्ठी की है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वास्तव में फिल्म सोसाइटी को सहायता अनुदान दिये जाते हैं। 1965–66 के लिए 12 लाख रुपये दिये जा रहे हैं। पिछले वर्ष सहायतानुदान के लिए स्वीकृत राशि 12 लाख रुपये थी। पिछले वर्ष तीन लाख रुपये की आय हुई थी जो कि बहुत अधिक थी और 10 लाख रुपये व्यय हुए थे और यह भी बहुत अधिक था। पिछले वर्ष 40,000 फुट फिल्म बनायी गयी थी ।

Shri D. N. Tiwary: Action has been taken on the report of three senior officers and a new committee was appointed thereafter. I want to know the scope of enquiry and terms of reference of the new Committee.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैंने केवल यही कहा है कि नया सचिव नियुक्त कर दिया गया है। श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति हो गयी है । पहले की भांति नयी समिति का एक निश्चित अवधि के लिए पुनर्गठन किया जा रहा है । पहले ही के सभापति श्री गोपाल रेड्डी सभापति नियुक्त किये गये हैं और समिति बनायी गयी है ।

अध्यक्ष महोदय : निर्देश पद क्या हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : निर्देश पद पहले की समिति जैसे ही हैं ।

श्री कंडप्पन : क्या चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी का इरादा सभी भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाने का है और इसमें अब तक प्रगति क्या है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : प्रयत्न यही है कि फिल्में सभी भारतीय भाषाओं में बनाई जायें कुछ चित्रों की बहुत प्रशंसा की गयी है । यह सभी भाषाओं में हैं परन्तु वास्तव में अधिकांश फिल्में इस समय अंग्रेजी तथा हिन्दी में ही बनाई जाती हैं। चित्रों की सूची भी है ।

श्री कंडप्पन : अब तक कितनी फिल्में बनायी गयी हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सूची बहुत बड़ी है ।

अध्यक्ष महोदय : सूची सभा-पटल पर रख दी जाये ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जी, हां ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या बम्बई की चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी को कोई अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : केवल एक ही सोसाइटी है और वह बम्बई में है। मैंने आंकड़े अभी बताये हैं ।

Shri Yudhvir Singh: This Film Society has been a subject of discussion for a long time in the House and outside and the Government have also given many statements. Irrespective of all those things I would like to know whether the Children's Films Society has produced three or four such films which were seen by more than one lakh persons or which got country-wide fame.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : सूची में विभिन्न भाषाओं की लगभग 40 फिल्मों के नाम दिये हुये हैं । मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी विशेष फिल्म है जिसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अर्थात एक लाख से अधिक लोगों ने देखा है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हमारे पास आंकड़ों का ब्योरा नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विवरण से यह पता लगता है कि भूतपूर्व महासचिव को हटा दिये गया है । क्या उन के विरुद्ध कोई आरोप निलम्बित हैं या केवल उनका त्यागपत्र ही स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें छोड़ दिया गया है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : नियमित रूप से जांच की जा रही है । कुछ आरोप भी लगाये गये हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad: It is proved from the reports of senior officers and Public Accounts Committee that a large amount out of rupees sixty lakhs has been misappropriated. May I know whether the only way to improve it, is to accept the resignation of General Secretary who is responsible for this or any other action is being taken or only a Committee has been formed.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: जहां तक सचिव का सम्बन्ध है, जांच की जा रही है । इस का सम्बन्ध विदेशी मुद्रा तथा भारत से बाहर किये गये सौदों से है । परन्तु जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, स्टाक तथा लागत सम्बन्धी प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में नियमित जांच हो रही है ।

Shri Rameshwaranand: This Children's Films Society was given rupees 12 lakhs last year and this year again large amount was given. What purpose do such societies serve? I want to know this for my personal information.

Mr. Speaker: We cannot go into basic questions during question hour.

Shri Sarjoo Pandey: The hon. Minister just now said that the secretary misappropriated foreign exchange. What is the amount involved and who are the persons responsible?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मेरे विचार में यह राशि लगभग एक हजार डालर है । इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्य से किया गया है । हमने स्पष्टीकरण मांगा है । अब तो कानूनी कार्यवाही होनी बाकी है और कानूनी सलाह ली जा रही हैं ।

भारतीय राज्य क्षेत्र म पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

\+

*1014. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र पाकिस्तानी सेना की सहायता से पाकिस्तानियों ने मार्च के मध्य में अनेक अवसरों पर भारतीय राज्यक्षेत्र में अवैध प्रवेश किया और असाम में गोलपाड़ा के सीमावर्ती गांवों से ढोर और सम्पत्ति लूट ले गये ;

(ख) क्या पाकिस्तानियों के दूसरे दल ने गोलकगंज थाने के क्षेत्राधिकार में नयाचर में अवैध प्रवेश किया और बलपूर्वक बैल और हल उठा ले गये ;

(ग) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना ने बार बार होने वाले इन धावों और सशस्त्र डकैतियों का मुकाबला किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) :(क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). पाकिस्तानियां द्वारा ऐसी डकैतियों रात के समय सीमा के बहुत करीब के इलाकों में की जाती हैं ।

जिला अधिकारियों और पुलिस को खासतौर से सतर्क कर दिया गया है और वह जोरों से गश्त लगा रहे हैं । इसके फलस्वरूप ऐसी घटनाओं में काफी कमी हुई है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अवैध प्रवेश के विरुद्ध विरोध-पत्र भेजते हुए क्या सरकार ने कोई मुआवजा मांगा है । और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : हम केवल विरोध पत्र ही नहीं भेजते रहे हैं परन्तु हम वहां पर जोरदार गश्त भी लगाते रहे हैं और इसका अपना प्रभाव भी हुआ है । मुआवजे के बारे में मुझे स्थानीय अधिकारियों से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या यह छुट-पुट हमले अथवा अवैध प्रवेश चीनियों की तरह ही हैं और यदि हां, तो अपनी सीमाओं पर के आक्रामक कार्यवाहियों से बचाने के लिये क्या निश्चित कदम उठाये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम केवल यही कर सकते हैं कि अपनी सीमाओं पर जोरदार गश्त लगायें और ऐसी गतिविधियों को रोकने का प्रयत्न करें । कई कदम उठाये गये हैं और इनसे अच्छे परिणाम निकले हैं ।

श्री बाकर अली मिर्जा : पाकिस्तान द्वारा बार बार अवैध प्रवेश करने के कारण क्या भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को यह स्पष्ट रूप से बतायेगी कि हमारी सीमा के किसी भी भाग में अवैध प्रवेश को समूची सीमा में अवैध प्रवेश समझा जायेगा और ऐसी स्थिति में हम प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने के लिये ऐसा स्थान चुनेंगे जिसको हम ठीक समझेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में हमने पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है ।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know the number of cattle lifted and human beings kidnapped by Pakistanis?

Shri Y. B. Chavan : It has been reported that 4 cattle were lifted.

Shri Onkar Lal Berwa : How many persons were abducted?

Shri Y. B. Chavan : No person was abducted.

Shri Vishram Prasad: In view of the repeated intrusions by Pakistan into our territory, may I know whether our borders have not been demarcated there as a result of which there are such disputes or they are raising those disputes internationally?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं। वहां पर हमारी सीमायें अच्छी प्रकार से अंकित हैं। जो कुछ वहां किया जा रहा है वह डकैतियों के रूप में है ; कभी कभी वे सीमा के अन्दर घुस आते हैं और पशुओं को उठाने का प्रयत्न करते हैं। जब भी कभी इन गतिविधियों में वृद्धि होती है तभी हमने कुछ कड़ी कार्यवाही की है और इसके कुछ अच्छे परिणाम निकले हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह अवैध प्रवेश इस दृष्टि से किया जाता है कि जिससे अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के नीचे से आसाम में घुस सकें तथा भारत में रहने वाले अपने सहधर्मियों से मिल-जुल सकें ? इसको रोकने के लिये क्या सरकार ने आसाम और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा के साथ साथ वाले भागों से जनसंख्या को हटाने तथा वहां चौकियां स्थापित करने का निर्णय किया था । सीमांत क्षेत्रों से लोगों को हटाने तथा वहां पर चौकियां स्थापित करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी क्षेत्र से लोगों को हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वह तो एक हार मानने वाली कार्यवाही होगी । हमें तो यह करना है कि स्थानीय जनसंख्या में आत्म विश्वास उत्पन्न करें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये हमें जोरदार गश्त लगानी पड़ेगी और ऐसा ही किया जा रहा है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : जोरदार गश्त लगाने के फलस्वरूप हमारे प्रतिरक्षा प्रहरियों अथवा स्थानीय पुलिस ने पाकिस्तान के कोई छापा मारने वाले अथवा सशस्त्र सैनिक पकड़े अथवा गिरफ्तार किए हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जबकि हमने जोरदार गश्त लगानी आरम्भ की है तब से उन्होंने आना बन्द कर दिया है ।

Shrimati Sahodra Bai : May I know the number of women who were abducted?

Shri Y. B. Vhavan : No woman was abducted.

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार ने सीमाओं पर लोगों के हौसले को बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किये हैं, क्या उन्हें हथियार दिये गये हैं और क्या कोई अन्य कदम उठाये गये हैं ताकि वे इन भयंकर हमलों का मुकाबला दृढ़ता से कर सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब लोग स्वयं हथियारों की मांग करते हैं तो उनको लाइसेंस दिये जाते हैं। परन्तु मेरे विचार में लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिये अत्यधिक प्रभावशाली तरीका यह है कि सीमा के निकट चौकियां स्थापित की जायें और वहां पर रहने वाले लोगों से सम्पर्क बनाया जाये। यही किया भी जा रहा है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not clear that those raids are being made with the connivance of the Government of Pakistan and the Pakistan army has also a hand in them?

Shri Y. B. Chavan : It may be true.

श्री श्यामलाल सर्राफ : अब यह स्पष्ट है कि बार बार डकैतियां डाली जा रही हैं, तो सीमा पर लोगों की आत्म-रक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमन्, मेरे विचार में मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री स्वैल : क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि क्या यह अवैध प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी असैनिक हैं अथवा पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के सैनिक हैं और यदि वह असैनिक हैं, तो उन्हें मार भगाने में हमारे लोगों के रास्ते में कौन सी रुकावट है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बिल्कुल यही किया जा रहा है ।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that there is attack by Pakistanis on our Kutch-Sindh Border they know that the incidents of tension has been increased on the Indo-Pak border along with Kashmir and Assam also?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं । इसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु सीमा के उस पार जो गतिविधियां हो रही हैं उनका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Is our indecisive and weak policy not responsible for the intrusions and attacks made by Pakistanis on our territory?

Shri Y. B. Chavan : No. Sir.

Shri Sheo Narain : Have such instructions been issued to the border police to shoot the dacoits who enter our territory?

Shri Y. B. Chavan : Of course, they have the right to shoot anybody who enters our territory.

एन० सी० कारपोरेशन लिमिटेड

\+

*1016. **श्री योगेन्द्र झा :**
श्री मधु लिमये :
श्री यशपालसिंह :
श्री गौरी शंकर कक्कड़ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० कारपोरेशन लिमिटेड की निदेशक, कुमारी वासवानी, का कार्य समितियों तथा औद्योगिक सम्बन्धों का अध्ययन करने के लिये अनेक अनुदान दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई तथा किन शर्तों पर ;

(ग) क्या इन अध्ययनों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं। यदि हां, तो उन्हें छपवाने पर क्या लागत आई है ;

(घ) इन अध्ययनों को नियमित ब्यूरो तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कराने की बजाये एन० सी० कारपोरेशन को सौंपने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) अब तक इन प्रतिवेदनों का क्या उपयोग किया गया है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रा० कि० मालवीय) : (क) जी हां। एन० सी० कारपोरेशन को तीन योजनाएं सौंपी गईं ।

(ख) इस कारपोरेशन को इन तीन योजनाओं के लिए 17,264.14 रु० 59,725 रु० और 53,752 रु० उन्हीं शर्तों पर दिए गए जोकि अनुसन्धान संस्थाओं को इस प्रकार की अदायगी के बारे में हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में दो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिन में से एक पहले ही छप चुकी है और उस पर 3,113.90 रु० लागत आई है ।

(घ) यह कारपोरेशन एक मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्था है । इसे औद्योगिक समस्याओं पर सांख्यिकीय प्रकार नियंत्रण तकनीकी लागू करने में विशेष अनुभव है । कारपोरेशन के विशिष्ट ढंग के कारण, जिसमें इसने अपना पहला अध्ययन पूरा किया, यह तय किया गया कि दूसरे और तीसरे अध्ययन इसे सौंपे जाएं।

(ङ) पहली रिपोर्ट, जोकि छप चुकी है, कार्य समितियां के काम करते समय आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने में और नीति निर्धारण करने में सहायक सिद्ध हुई है।

श्री योगेन्द्र झा : क्या यह सच है कि योजना आयोग की अनुसन्धान कार्यक्रम समिति अनुसन्धान सस्थाओं को भी ऐसे अनुदान देती है ; यदि हां, तो क्या इस समिति द्वारा अनुसन्धान संस्थाओं को ऐसे अनुदान किन्हीं और शर्तों पर दिये जाते हैं ?

श्री रा० कि० मालवीय : जी नहीं, शर्तों में कोई अन्तर नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : Has this aspect been taken into consideration that these Works Committees cannot do any useful work so far as these comprehensive studies are concerned? They make it even more complicate rather than solve it. For a comprehensive study of the problems and for finding out their solutions, what positive steps are being taken by the Government?

Shri R. K. Malviya: So far as this study is concerned, we have received the first report and in the light of that report the Ministry is thinking as to what modifications are necessary in the rules relating to Works Committees and labour management.

Shri Gauri Shankar Kakkar : May I know whether Government contemplate to make any modifications in any labour enactment or rules with the help of these reports? If not, what is the utility of these reports. so far as Government is concerned?

Shri R. K. Malviya: This is what we aim at. We consider the reports and in the light of that steps are taken to make modifications in the law.

Shri Kishen Pattnayak: When these grants were made to the company belonging to Miss Vaswani, then Shri Nanda was the Labour Minister. I want a categorical reply from the hon. Minister as to what is the full name of this N.C. Corporation and also their experience. What is the reason that only one report has been received and two study reports are yet to be submitted? Why the work was entrusted to this corporation when other better institutes are there in the country? There is the Labour Bureau in the Ministry itself. Why this work was not done by the Bureau?

Shri R. K. Malviya: So far as the experience of the N.C. Corporation is concerned, its director is Dr. Miss Vaswani. She is Ph.D. of Edinburgh University and an expert in statistical quality control. So far as her experience is concerned, she has written many articles and she is working for 70 or 80 establishments of Bombay and other places and is their adviser. Some other institutions have also entrusted work to the corporation whose names are as under:—

Central Building Research Institute, Rourkee; University of Bombay, Department of Statistics, University of Bombay, Section of Business Management; Personnel and Productivity Services, Bombay; Administrative Staff College, Hyderabad; Victoria Jubilee Technical Institute, Bombay, St. Xaviers College Bombay; Bombay Management Association, Bombay.

It has done much, research work even in addition to this. I have a long list before me. Let me complete my reply.

It has been said that why this work was given to this Corporation when D. L. B. is there to do this work. I want to make this thing clear that it is the policy of the Government to encourage private institutions and universities even if there are Government research institutes and that is why this work was entrusted to the Corporation and not to the D. L. B. This is one thing. The other is that D. L. B. had enough work and it was not in a position to take more work, and had not enough staff who could do justice to this work. As a matter of fact, the Labour Ministry are themselves going to open an institute called the Central Institute of Labour Research. After its coming into being we shall undertake research work ourselves and side by side continue to encourage private institutes and universities also by entrusting them research work.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार एन० सी० कारपोरेशन की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिये कोई विधान लाने के बारे में सोच रही है ?

श्री रा० कि० मालवीय : जी हां ; कार्य समितियों सम्बन्धी नियमों में संशोधन कर दिया गया है । कारपोरेशन द्वारा की गई सिफारिशें उनके द्वारा दिये गये सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दी हुई हैं जो प्रकाशित किया जा चुका है ।

श्री दाजी : क्या सरकार को जानकारी है कि एक त्रिपक्षीय समिति बनाई गई थी और उसने कार्य समितियों की कार्य पद्धति का अध्ययन किया था जो कार्य कि इस कारपोरेशन को दिया गया था? क्या यह सही नहीं है कि यह काम दिये जाने से पहले इस कारपोरेशन द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में अभी तक कोई भी अध्ययन नहीं किया गया था?

श्री रा० कि० मालवीय : मैं इस कारपोरेशन द्वारा किये गये कार्य की लम्बी सूची पढ़ कर सुना चुका हूं।

श्री दाजी : पहले ?

श्री रा० कि० मालवीय : मेरे लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि कारपोरेशन द्वारा यह काम उन्हें इस काम के दिये जाने से पहले किया गया था अथवा बाद में?

श्री दाजी : इसका अर्थ है कि एन० सी० कारपोरेशन के अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त किये बिना ही यह काम उन्हें दे दिया गया था।

श्री प्र० रं० चक्रवती : केन्द्रीय श्रम अनुसन्धान संस्था की स्थापना सम्बन्धी सरकार के निश्चय की सराहना करते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार गैर-सरकारी श्रम संगठनों को भी अनुसन्धान कार्य करने के लिये प्रोत्साहन देती रहेगी?

श्री रा० कि० मालवीय : जो भी संस्थाएं अनुसन्धान कार्य में लगी हुइ हैं और जिनके पास अनुसन्धान के लिये आवश्यक सुविधाएं हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा।

अप्सरा रिऐक्टर

*1017. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति संस्थान के अप्सरा रिऐक्टर के आरम्भिक ईंधन चार्ज को बदलने का विचार है क्योंकि यह आठ साल से अधिक चल चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह काम भारतीय वैज्ञानिक करेंगे ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

प्रधान मन्त्री के सभा सचिव (श्री ललित सेन) : (क) जी हां।

(ख) रिऐक्टर को दूसरी बार चार्ज करने के लिए आवश्यक ईंधन तत्व ; जो कि समृद्ध यूरेनियम–235 से युक्त थे, यू० के० एटामिक एनर्जी अथारिटी से उधार लिये गये थे तथा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा रिऐक्टर में स्थापित किये जायेंगे।

(ग) रिएक्टर को दूसरी बार चार्ज करने के लिए आवश्यक ईंधन तत्व के निर्माण, निरीक्षण तथा परिवहन पर होने वाले व्यय के रूप में उपरोक्त अथारिटी को 2.25 लाख रुपये दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, ईंधन के जलने से होने वाले मूल्य-ह्रास की पूर्ति के लिए तथा उसके किराये के रूप में प्रतिवर्ष 43 हज़ार रुपये अथारिटी को दिए जायेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : जहां तक रिऐक्टरों का सम्बन्ध है, यह एक सामान्य कार्यप्रणाली है कि उन के ईंधन को प्रश्न में दिखाई गयीं अवधि से पहले बदल दिया जाना चाहिये।

क्या मैं जान सकता हूं कि इस अप्सरा रिएक्टर की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए इसके ईंधन को इससे पहले क्यों नहीं बदला गया ?

श्री ललित सेन : ईंधन की समाप्ति के लिये अपेक्षित समय के बारे में कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती । रिएक्टरों के ईंधन को, सामान्यता उस समय बदलना पड़ता है, जब 10 प्रतिशत यूरेनियम–235 जल जाता है । अप्सरा के मामले में इसे जलने में 8 वर्ष लगे और इसलिये इसे जनवरी, 1965 में बन्द कर दिया गया था । इस को अब मई में चलाया जायेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : भविष्य में हमारे वैज्ञानिक इस ईंधन को बदलने की जिम्मेदारी को किस प्रकार सम्भालने जा रहे हैं जिससे हमें संयुक्त राज्य अमरीका अथवा ब्रिटेन के अणु-शक्ति संगठनों पर निर्भर न रहना पड़े ; अथवा क्या हमें इस ईंधन को बदलने के लिये दूसरों पर ही निरन्तर निर्भर रहना पड़ेगा ?

श्री ललित सेन : भारतीय वैज्ञानिक ईंधन रखने के काम में पूर्णतया लग रहे हैं । अप्सरा रिएक्टर के लिये यूरेनियम-235 की अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए हमने इस पदार्थ को ब्रिटेन से उधार ले कर इस रिएक्टर में दो बार डाला और इसे चलाया । भविष्य के लिये अणु-शक्ति संस्थान यूरेनियम-235 के स्थान पर प्लूटोनियम के उपयोग किये जाने की सम्भावना को ध्यान में रख रहा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या अप्सरा रिएक्टर आज चल रहा है अथवा क्या इसे थोड़े समय में चलाया जायेगा और उसको पुनः चार्ज करने में क्या खर्च आया है ?

श्री ललित सेन : इसको जनवरी, 1965 में बन्द किया गया था और अब इसे नये ढंग का बनाने, कुछ इसमें सुधार करने तथा इसे पुनः चार्ज करने के पश्चात मई के आरम्भ में चालू किया जाना चाहिये । व्यय के बारे में जैसा कि मैं ने पहले बताया है, ईंधन के निर्माण, तथा इसके परिवहन पर लगभग 2.25 लाख रुपये खर्च आयेगा तथा इस पर वार्षिक व्यय, जो कि हमें ब्रिटेन प्राधिकारियों को देना पड़ेगा, 43,000 रुपये होगा ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : सरकार ने एटामिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट का हिन्दी में अनुवाद अणु-शक्ति संस्थान किया है । क्या सरकार इसके सभापति को (शहनशाह) नाम देने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर विचार करेंग ।

पाकिस्तान द्वारा सीमा का उल्लंघन

*1019. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने मार्च, 1965 के अन्तिम सप्ताह में काश्मीर में युद्ध विराम रेखा पर सीमा का सत्रह बार उल्लंघन किया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के पास विरोध-पत्र भेज दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) 25 मार्च से 31 मार्च, 1965 के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान ने 64 बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया ।

(ख) जी हां, । 64 उल्लंघनों की शिकायतें संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों से कर दी गई थीं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : पाकिस्तान ने सेना तथा टैंकों की सहायता से जो हमारी सीमा का विभिन्न स्थानों पर उल्लंघन किया है, क्या यह पाकिस्तान की योजना का एक भाग है और यदि हां, तो क्या हम संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के पास विरोध-पत्र भेजने के साथ-साथ कोई अन्य कार्यवाही करने की बात भी सोच रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : 1964 के दौरान हम उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों में बढ़ोत्तरी करने के उनके ढंग को देख रहे हैं और जब भी उन्होंने हमारी सीमा का उल्लंघन किया है हमने उनको मुंह तोड़ जबाब दिया है । उल्लंघनों की बढ़ती हुई संख्या से प्रतीत होता है कि पाकिस्तान 1965 में भी उसी ढंग की कार्यवाही जारी रखना चाहता है । यह भी प्रतीत होता है कि पाकिस्तान सीमाओं पर निरंतर गर्मागर्मी बनाये रखना चाहता है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में सीमा उल्लंघन करने की इन घटनाओं का शेख अब्दुल्ला की विदेश-यात्रा से भी सम्बन्ध है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह उल्लंघन 1964 से किये जा रहे हैं और इस मामले में हम जो भी चाहें निष्कर्ष निकाल सकते हैं ।

Shri Sidheshwar Prasad: Sir, is it a fact that American jeeps and arms are being used by Pakistan on Indo-Pak border and whether the Government of America have, in this connection, asked for some specific clarification from the Government of India; and if so, what reply has been given by the Government of India to that?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें युद्ध विराम रेखा पर उपयोग किये गये अमरीकी हथियार मिले हैं और हमने अमरीकी सरकार का ध्यान इस की ओर दिलाया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Out of these 64 cease-fire violations to which the attention of U.N. Observers had been drawn, may I know the number of such violations on which they have expressed their opinion and the number of their opinion which are against Pakistan?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अब सी० एम० ओ० के अमरीकी प्रेक्षक एक भिन्न कार्य-प्रणाली अपना रहे हैं । वे अब हमें केवल उन उल्लंघनों की संख्या बताते हैं जिनके लिये उन्होंने हमें जिम्मेदार ठहराया है । इसी प्रकार वे पाकिस्तान को भी उल्लंघनों की संख्या बताते हैं जिनमें उन्होंने पाकिस्तान को जिम्मे- दार ठहराया होता है । हमें उन फैसलों के बारे में नहीं बताया जाता जो उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध दिये होते हैं और इसी प्रकार पाकिस्तान को भी उन फैसलों के बारे में नहीं बताया जाता जो उन्होंने हमारे विरुद्ध दिये होते हैं । अत: मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि कितने उल्लंघनों के लिये पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है । परन्तु मेरे पास उन उल्लंघनों की संख्या अवश्य है जिनके लिये उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया है ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether the U.N. Observers have been informed about the attacks made by Pakistani troops on our territory in Kashmir; and if so, has there been any loss of life as a result of these attacks?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : युद्धविराम रेखा का उल्लंघन करने के बारे में पाकिस्तान का रवैया पिछले कुछ दिनों में वैसा ही रहा है जैसा कि पहले था। दोनों पक्षों की ओर जन-हानि हुई है। जब भी वे हमारी सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो जैसा कि मैं इस माननीय सदस्यों को पहले कई बार बता चुका हूं, हम कड़ी कार्यवाही करते हैं और निःसन्देह दोनो ओर जन-हानि हुई है।

Shri Prakash Vir Shastri: How many Pakistanis were killed?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Have Pakistanis forcibly occupied some square miles of our territory during these attacks made by them in Kashmir Sector 2 or 3 days ago?

Shri Y. B. Chavan: No, Sir.

श्री ही० ना० मुकर्जी : पाकिस्तान द्वारा एक सप्ताह में 64 बार सीमा का उल्लंघन करना कोई मामूली बात नहीं है। क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के कार्य से संतुष्ट है अथवा क्या सरकार को यह पता लगा है कि वह पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर आक्रमण करने तथा सीमाओं पर स्थिति को बिगाड़ कर रखने में देखी-अनदेखी करते हैं। यदि ऐसा है तो सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरों पर उठाने के लिये क्या कर रही है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : इन उल्लंघनों में होती जा रही वृद्धि के बारे में हमने उनका ध्यान इस विशेष बात की ओर दिलाया है। हमने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, श्री बुंचे का ध्यान भी इस ओर दिलाया था जब वहां यहा आये थे। मेरे विचार में, अमरीका तथा संयुक्त राष्ट्र संघ उल्लंघनों में हो रही वृद्धि की प्रवृत्ति से अवगत हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि युद्ध विराम रेखा पर यथा सम्भव बड़ी आत्मनिष्ठा से कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : सिन्ध-कच्छ सीमांकन का जो मामला हमने ब्रिटेन को निर्दिष्ट किया था, इस बारे में ब्रिटेन सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? ब्रिटेन सरकार से इस बारे में क्या उत्तर मिला है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ब्रिटेन सरकार ने अभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं बताई।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : यह प्रश्न केवल पाकिस्तान के बारे में ही नहीं है परन्तु यह प्रश्न सीमा के बारे में है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है।

Shri Chandramani Lal Chaudhry: Besides American arms, may I know whether arms of any other nation have also been found during those attacks made by Pakistan on the borders?

Shri Y. B. Chavan: One or two arms which we have found on the cease-fire line referred to by the hon. Member, bore American marks. We feel that these are American arms and we have a proof of this. These arms have been shown to the American Embassy here.

बेकार मोटर गाड़ियां

+

*1020. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1948 में खरीदी गई सभी मोटर गाड़ियों को बेकार घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निश्चय के फलस्वरूप बेकार घोषित की गई मोटर गाड़ियों की, जिनमें मोटर-साइकिल भी शामिल हैं, संख्या क्या है और उसका क्या कारण है ;

(ग) सरकार को इनकी नीलामी से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और इनको वस्तुत: किस मूल्य पर खरीदा गया था ; और

(घ) क्या कुछ संसद-सदस्यों ने भी इन जीपों के लिये प्रार्थना पत्र भेजे थे और उन में से कितनों को जीपें दी गई ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचनाओं से युक्त एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भाग (क) : जी नहीं । तदापि सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ प्रकार की गाड़ियां कुछ निर्धारित मील चलने के बाद या कुछ निर्धारित वर्षों की सेवा के बाद रद्द कर दी जांय और उनके स्थान पर नई गाड़ियां रखी जांय जिनसे रक्षा सेवाओं के पास ऐसी गाड़ियों का जत्था हो जो किसी विशेष स्थिति के आने पर विश्सनीय और संक्रिया के योग्य हो । यह भी फैसला किया गया था कि कुछ अन्य प्रकार की गाड़ियों का निपटान कर दिया जाय जो हमारी आवश्यकताओं से फालतू थीं या जो रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुपयुक्त थीं ।

भाग (क) तथा **(ग)** : उपरोक्त अनुच्छेद में दिये गये निर्णय के अनुसार 19,999 गाड़ियां 31-3-1965 तक निपटान के लिये घोषित की जा चुकी हैं इनमें 1,729 वे गाड़ियां भी शामिल हैं जो सेना के अयोग्य करार दी जा चुकी हैं और जिनकी मरम्मत आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त न होगी । निपटान के लिये घोषित की गई सभी गाड़ियों में से 13,778 गाड़ियां, जिनका किताबी मूल्य 12.17 करोड़ रुपये के लगभग है प्राय: 4.47 करोड़ रुपये में बेंच दी गई हैं, इनमें 1,716 सेवा के अयोग्य गाड़ियां भी शामिल हैं ।

भाग (घ) : अब तक संसद के 55 सदस्यों ने दाम देकर जीप गाड़ियां प्राप्त करने की प्रार्थना की है । दाम पर उन्हें गाड़ियां देने के आदेश जारी हो चुके हैं । प्रार्थना करने वाले सदस्यों में से प्रत्येक को एक गाड़ी से अधिक नहीं मिलेगी । संसद् के जिन सदस्यों ने प्रार्थना-पत्र भेजा था, उन्हें इस निर्णय की सूचना दे दी गई है ।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में दिया गया है कि 19,999 गाड़ियां, निपटान के लिये घोषित की जा चुकी हैं इन में 1,729 वे गाड़ियां भी शामिल हैं जो सेना के लिये अयोग्य घोषित की जा चुकी

हैं और जिनकी मरम्मत आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त न होगी। क्या ये गाड़ियां केवल इस लिये बेकार घोषित की गई हैं कि उनका उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों तथा युद्ध क्षेत्र में नहीं किया जा सकता अथवा उनका उपयोग शांति-क्षेत्रों में भी नहीं किया जा सकता ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सेना की प्रायः सभी गाड़ियां युद्धक्षेत्र में प्रयोग करने के लिये होती हैं क्योंकि यह कहना कठिन है कि कौन युद्ध क्षेत्र है और कौन शांति-क्षेत्र। विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शांति क्षेत्र भी युद्ध क्षेत्र समझे जाते हैं। अतः सेना की प्रत्येक गाड़ी युद्ध क्षेत्र में उपयोग किये जाने के योग्य रखी जाती है।

श्री स० मो० बनर्जी : हमारे आयुध कारखानों में 'शक्तिमान' तथा 'निशान' ट्रकों के सीमित निर्माण तथा चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों से उत्पन्न आपात काल को देखते हुए क्या सरकार का विचार टेलकोज् अथवा प्रीमियर आटोमोबाइल लिमिटेड में से किसी एक एकक को अपने हाथ में लेकर सरकारी क्षेत्र में ट्रकों का निर्माण करने का है जिससे उसे इन एककों से अधिक मूल्य पर ट्रक न खरीदने पड़ें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

Shri Yudhvir Singh: May I know whether the prices of the jeeps, which are reserved for the allotment for the Members, are fixed on the basis of the highest bid at the last auction for that types of jeeps and whether it is a fact that substandard jeeps are being supplied to the Members and if so, action to be taken to stop this kind of hostile attitude towards the Members?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्यों को दी जाने वाली जीपें चुनी हुई अच्छे किस्म की हैं। जहां तक जीपों के मूल्य निर्धारित करने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों के लिए वही मूल्य निर्धारित किये गये हैं जो चुनी हुई अच्छे किस्म की जीपों के मूल्य भूतपूर्व सैनिकों से लिए जाते हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय वही गाड़ियां रखता है जो युद्धक्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने योग्य होती हैं। मुझे ज्ञात है कि कुछ समय पहले मंत्रालय के पास गाड़ियों की पांच विभिन्न श्रेणियां थीं। क्या अब ये श्रेणियां समाप्त कर दी गई हैं ताकि सभी गाड़ियां युद्धक्षेत्र में काम में लाई जा सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस सम्बन्ध में मंत्रालय की नीति विस्तारपूर्वक स्पष्ट कर चुका हूं कि जो गाड़ियां युद्धक्षेत्र में काम नहीं आ सकती हैं वे सैनिक कार्यों के लिए अयोग्य घोषित कर दी जाती हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या यह सच है कि गाड़ियों के पुर्जे आदि मिलने में कठिनाई होने के कारण प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष बड़ी संख्या में गाड़ियां बेकार घोषित की जाती है और यदि हां, तो क्या मंत्रालय शक्तिमान तथा अन्य गाड़ियों का अधिक निर्माण करने के लिए प्रयत्न कर रहा है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि इस के कारण सैनिक वर्कशापों के लगभग 2,400 मेकेनिक फालतू हो गये हैं और उनकी छंटनी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें डाक तथा तार जैसे अन्य विभागों में उसी प्रकार के किसी दूसरे काम पर नहीं लगा सकती ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी, हां। इसके कारण कुछ लोग फालतू हो जायेंगे किन्तु अभी तक उनकी छंटनी करने का निश्चय नहीं किया है। हम उन के लिए दूसरा काम ढूंढने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक हो सकेगा हम उन्हें वैसा कार्य देंगे जैसा वह इस समय कर रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि संसद सदस्यों को देने के लिए वही जीपें रखी गई हैं जो खुले नीलाम में नहीं बिक सकीं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी, नहीं।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether jeeps will be supplied to those Members only who have applied for it or some other Members will also get these jeeps.

Shri Y. B. Chavan: If other Members also apply, we will try to provide them with jeeps.

Shri Onkar Lal Berwa: Is the hon. Minister aware that the names of the Members have been omitted from the list who were to be allotted jeeps?

Shri Y. B. Chavan: The hon. Members may come to me in this connection and I will look into the matter.

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सभा के नियमों के अन्तर्गत सदस्य जीपों के आवंटन के लिए दिये गये आवेदन पत्रों का इस प्रकार उल्लेख कर सकते हैं ? क्या प्रश्नका का, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण समय है, इस प्रकार उपयोग करना उचित है ? क्या इस समय का उपयोग अधिक लाभप्रद कार्यों के लिए नहीं हो सकता ? क्या सदस्यों के लिए ऐसे प्रश्न पूछना वांछनीय है जो सभा के लिए अशोभनीय हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी वांछनीयता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। किन्तु माननीय सदस्यों को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछना शोभा की बात नहीं है।

Shri Yogendra Jha: These vehicles are sold through auctioners on commission basis. May I know whether Government will utilise the services of State Trading Corporation for the purpose?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह कार्य स्वयं मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। इनका निपटान संभरण तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा किया जाता है।

भारत को दी जाने वाली ब्रिटेन की सैनिक सहायता में कटौती

\+

*1021. **श्री पें० वेंकटासूबटया :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्वेज से पूर्व में स्थित देशों को, जिन में भारत भी सम्मिलित है, ब्रिटेन की सैनिक सहायता में कटौती किये जाने की ओर दिलाया गया है, जैसा कि 6 अप्रैल, 1965 को ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में प्रस्तुत किये गये आयव्ययक प्राक्कलनों में घोषित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन द्वारा विदेशों को प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता में 10 करोड़ पौंड की कटौती होगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी सूत्रों के अनुसार आगामी वर्ष में इस कटौती का भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता पर वस्तुतः क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० सा० राजू) : (क) जी हां

(ख) ब्रिटिश एक्सचेकर के चांसलर ने 6 अप्रैल 1965 को जो भाषण दिया है, उससे ऐसा जान पड़ता है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यू० के०, से विदेशों में लगाई जाने वाली पूंजी को कम से कम 10 करोड़ पौंड प्रति वर्ष कम करना है। यू० के० सरकार या ब्रिटिश उद्योग द्वारा इस प्रकार की बड़ी पूंजी अधिक दिनों तक के लिए न तो रक्षा योजनाओं में लगाई गई है और न ही उसकी कोई योजना है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : ब्रिटेन द्वारा हमारे प्रतिरक्षा संस्थानों को कितनी सहायता दी जायेगी? क्या ब्रिटेन की संसद् में की गई घोषणा के बाद भी ब्रिटेन सहायता के लिए पहले दिये गये वचनों को पूरा करेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : माननीय सदस्य प्रश्न के उत्तर को नहीं समझ पाये। ब्रिटेन की संसद् में दिये गये भाषण के अनुसार कोई कटौती नहीं की गई है । वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन की ओर से भारत में प्रतिरक्षा के क्षेत्र में पूंजी लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : हमारे प्रतिरक्षा उद्योगों के लिए सहायता के रूप में ब्रिटेन की सरकार से अथवा ब्रिटेन के उद्योगपतियों से कितना सामान मंगाया गया है और क्या यह सामान दिये गये वचन के अनुसार भेजा जा रहा है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं केवल बड़ी मदों के बारे में, उस ऋण के बारे में जो ब्रिटेन ने युद्धपोत परियोजनाओं के लिए देने के लिए कहा है, कह सकता हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार ने पनडुब्बियां मंगाने की जो प्रार्थना की है क्या इस पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: जी, नहीं ।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि ब्रिटेन के वर्तमान आयव्ययक का भारत में प्रतिरक्षा संस्थानों में पूंजी लगाने पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ब्रिटेन द्वारा प्रतिरक्षा के किन कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता पर उसका प्रभाव पड़ेगा ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि ब्रिटेन ने जो सहायता देना स्वीकार किया है उस पर इस वक्तव्य विशेष का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हाउस आफ कामन्स में घोषणा करने के बाद भी ब्रिटेन ने पहले जो सहायता देने का वचन दिया था वह हमें मिल रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं समझता हूं कि सहायता बराबर मिल रही है । इस प्रश्न में एक विशेष बात यह उठाई गई है कि क्या ब्रिटेन के चांसलर आफ एक्सचेकर द्वारा दिए गए इस वक्तव्य विशेष से हमारी प्रतिरक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मैं इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री नाथपाई : हो सकता है कि ब्रिटेन द्वारा सहायता में प्रस्तावित कटौती से भारत को दी जाने वाली वर्तमान सहायता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । किन्तु ब्रिटेन द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता भारत की आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है । क्या सरकार ने ब्रिटेन के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री विल्सन से, भारत पर चीन के आक्रमण के समय विरोधी पक्ष के नेता के रूप में उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में बातचीत की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की आवश्यकता पर विचार करके उसे उधार पट्टे की शर्तों पर, जिससे ब्रिटेन को महायुद्ध के समय काफी लाभ पहुंचा था, पर्याप्त मात्रा में सहायता दी जानी चाहिए ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: मैंने अपनी ब्रिटेन की यात्रा के समय श्री विल्सन से बातचीत के दौरान उन्हें उनके विरोधी सदस्य के रूप में दिये गये वक्तव्य के बारे में याद दिलाई थी ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन द्वारा आयव्ययक में कटौती करने के अतिरिक्त भी ब्रिटेन के कुछ पत्तनों में कर्मचारियों की तथाकथित हड़ताल के कारण हथियार देने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? क्या सरकार सभा को आश्वासन दे सकती है कि कथित हड़ताल स उतपन्न कमी को दूसरे साधनों से पूरा किया जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इसका हथियार देने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know whether the cut in the aid announced by the U.K. will not affect the aid in future?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि ब्रिटेन की सरकार क्या चाहती है । वक्तव्य के अनुसार सहायता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । भविष्य में दी जाने वाली सहायता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के सम्बन्ध में और अधिक अध्ययन करना पड़ेगा ।

शेख अब्दूल्ला

*1022. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टाटियां :
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिककार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेख अब्दुल्ला और उनके दल के अन्य साथियों के पार-पत्र रद्द कर दिये हैं ; और

(ख) क्या शेख अब्दुल्ला ने 30 अप्रैल, 1965 से पहले भारत लौट आने का आश्वासन दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जेद्दा-स्थित हमारे राजदूतावास ने शेख अब्दुला और उनके दल के सदस्यों को सरकार के इस निर्णय की सूचना दे दी है कि उनके पासपोर्टों की वैधता 30 अप्रैल 1965 तक सीमित की गई है और उनके पासपोर्टों पर सऊदी अरब को छोड़कर अन्य सारे पृष्ठांकन रद्द कर दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्हें आदेश दे दिया गया है कि वे अपने पासपोर्ट जेद्दा स्थित भारतीय राज दूतावास के समक्ष पेश करें। पासपोर्टों की वैधता की अवधि में कमी करने तथा उन पर पृष्ठांकनों को रद्द करने का कार्य पासपोर्टों के पेश किए जाने के बाद शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा।

Shri Yashpal Singh: Keeping in view the subversive activities of Cheikh Abdullah in foreign countries may I know the action proposed to be taken against him if he does not return to India even after cancelling his passport?

Shri Dinesh Singh: It is tooearly to say anything in this regard at this stage. It is hoped that he will send his passport and we will cancel it and he will return back to India.

Shri Yashpal Singh: May I know whether Government are aware that Pakistan and China are prompting the activities of Sheikh Abdullah and if so, action taken by the Government to face the same?

Shri Dinesh Singh: It is difficult to say anything about it. It does not arise out of the main question.

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या शेख अब्दुला के विरुद्ध विदेशों में उनकी गतिविधियों के लिए, जिसमें चाउ-एन-लाइ से मुलाकात भी शामिल है, कोई कार्यवाही की जायेगी और क्या उन्हें काश्मीर से बाहर किसी अन्य स्थान पर रखा जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : पहले उन्हें भारत तो आने दीजिए।

श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथी शिष्टाचार के नाते उन देशों में हमारे दूतावासों में गये जिन देशों में वे गये और यदि हां, तो क्या उनके विचारों के बारे में दूतावासों से कोई रिपोर्ट मिली है ?

श्री दिनेश सिंह : वह शिष्टाचार के नाते विदेशों में हमारे कुछ राजदूतों से मिले।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether Sheikh Abdullah has written any letter to the Prime Minister and if so, what he has demanded in that letter?

Shri Dinesh Singh: Sheikh Abdullah has sent several letters:

Shri Onkar Lal Berwa: Has he written any letter regarding his passport?

Shri Dinesh Singh: No letter has been received.

Shri Onkar Lal Berwa: According to the Press Report he has sent a letter in this connection.

Mr. Speaker: The hon. Minister says that no letter has been received.

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला की विदेश यात्रा तथा मुलाकातों का कोई हानिकारक उद्देश्य नहीं था और विदेशी समाचारपत्रों में इसे कोई महत्व नहीं दिया गया। उनकी यात्रा के बारे में भारत में शोरगुल होने के बाद ही उनकी गतिविधियों को इतना महत्व मिला।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ठीक ही कह रहे हैं।

Shri R. S. Pandey: May I know whether it is a fact that Sheikh Abdullah in a letter addressed to the Prime Minister has tried to explain that he did not make any statement abroad inconsistent with the statement he had made in India and so far as his meeting with Chou-en-Lie was concerned it was just co-incidence that he happened to meet him?

The Prime Minister and the Minister of Atomatic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): I have not received any letter from him regarding passport or the statement he has made with the exception of one in which he has written regarding the arrests made in Kashmir etc.

श्री जोकीम आल्वा : क्या इस घटना के बाद भी काश्मीर के नागरिकों से कोई ऐसा आवेदन पत्र मिला है कि जिसमें उन्होंने अपने आपको काश्मीरी मुसलमान कहा हो और यदि हां, तो ऐसे आवेदन पत्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की हिदायतें की गई हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि और कोई आवेदन पत्र नहीं मिला है। सरकारी हिदायतों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

Shri Kishen Pattnayak: May I know whether Sheikh Abdullah had talks with our Embassies and if so, whether he has given them any assurance regarding his return in time?

Shri Dinesh Singh: So far he has not said anything about his return.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether the passport of Sheikh Abdullah's companions have also been cancelled along with his passport.

Shri Dinesh Singh: Yes, Sir.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether the companions of Sheikh Abdullah had also declared themselves as Kashmir Muslims in their applications as he had done?

Shri Dinesh Singh: It has already been discussed in the House. They had also declared themselves as Kashmir Muslims.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खान अधिनियम को लागू करना

*1015. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खान मजदूरों के कल्याण, अवकाश, मजूरी और समयोपरि काम सम्बन्धी खान अधिनियम के गैर-तकनीकी उपबन्ध उचित प्रकार से लागू नहीं किये जा रहे हैं जैसा कि खान निदेशालय अधिनियम के सुरक्षा जैसे तकनीकी उपबन्धों को लागू करने में अपनी पूर्व-व्यस्तता के कारण पहले ही अपनी कठिनाई व असमर्थता व्यक्त कर चुका है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये बनाई गई सरकार, खान मालिकों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक समिति ने सिफारिश की है कि अधिनियम के गैर-तकनीकी उपबन्धों को लाग करने का काम मालिक-मज़दूर सम्बन्ध विभाग को सौंपा जाये ; और

(ग) यदि हां, तो मजदूरों को अवकाश मजूरी, समयोपरि काम तथा अन्य कल्याण सुविधाओं सम्बन्धी उनके कानूनी अधिकार दिलाने के लिये इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ग) सम्बन्धित उपबन्धों को लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाते हैं । मजदूरी, समयोपरि काम, पर्वीय छुट्टियों और छुट्टी के बारे में वैध बकाया राशि तथा किसी पंचाट, समझौते या न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत अदा की जाने वाली अन्य बकाया राशि की अदायगी मजदूरी अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत आती है जोकि खानों पर लागू होता है। यह अधिनियम मुख्य श्रमायुक्त द्वारा लागू किया जाता है, न कि खानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा ।

जहां तक पेय-जल, सफाई, चिकित्सा साधनों, आरामगृहों, कन्टीनों, कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति और गैर-कोयला खानों में बालगृहों आदि कल्याण सुविधाओं के बारे में खान अधिनियम के गैर-तकनीकी उपबन्धों का सम्बन्ध है, ये इस समय खानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा लागू किये जाते हैं । लेकिन कोयला खानों में बालगृहों और खान-मुख स्नानागारों सम्बन्धी उपबन्ध कोयला खान कल्याण आयुक्त द्वारा लागू किये जा रहे हैं ।

(ख) जी हां । ऊपर (क) और (ग) में निर्दिष्ट वैध बकाया राशि की अदायगी सम्बन्धी उपबन्ध छोड़ कर गैर-तकनीकी उपबन्धों को मुख्य खान निरीक्षक और कोयला खान कल्याण आयुक्त द्वारा लागू करना वांछनीय समझा गया है ।

विदेशी एजेंसियों में सैनिक अधिकारियों क सम्बन्धी

*1023. **श्री दाजी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रभात कार :

श्रीमती विमला देवी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक अधिकारियों पर जो नियम लागू होते हैं उनके अनुसार अधिकारी का निकट सम्बन्धी अथवा पत्नी किसी विदेशी एजेन्सी में कार्य नहीं कर सकती ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों का कोई अपवाद है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) कार्यभारी हिदायतें जारी की गई हैं जिन के अनुसार सेवाओं के अफसरों को सरकार से पूर्व आज्ञा लेना आवश्यक है जब कि (1) उनकी पत्नियां/पति या (2) आश्रित बच्चे (चाहे वे उनके साथ रहते हों या अलग) किसी विदेशी एजेन्सी में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं ।

(ख) तथा (ग) प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति की जांच के बाद कुछ मामलों में इस प्रकार की नौकरियों के लिए आज्ञा दी गई है ।

मृत सैनिकों की पेंशनें

*1024. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 29 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के पिछले आक्रमण में अथवा सीमा पर हुई मुठभेड़ों में अथवा विमान दुर्घटनाओं में मारे गये सैनिक कर्मचारियों के परिवारों अथवा आश्रितों को पेंशनें देने की प्रक्रिया का अब पुनरीक्षण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया में क्या संशोधन किये गये हैं तथा इससे पेंशनों का शीघ्र भुगतान करना कहां तक सुविधाजनक हो जायेगा ;

(ग) क्या उनका जीवन बीमा तथा अन्य जोखिमों के लिए बीमा करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4278/65]**

(ग) जी नहीं । लेकिन भारतीय वायु सेना के अफसर तथा नौसेना के उड़ाकू अफसर जो उड़ान वाउण्टी के हकदार हैं उन सब को अपना बीमा कराना आवश्यक है ।

(घ) अब तक ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। रक्षा सेवाओं के अफसरों तथा अन्य कार्मिकों की मृत्यु होने या विकलांग होने पर उन्हें विशेष पारवारिक पेंशन मिलती है

जब कि यह स्वीकार कर लिया जाय कि उनकी मृत्यु सेवा के कारण हुई है या उसमें जल्दी हुई है और उनके दावे नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

काहिरा हवाई अड्डे से भारतीय सम्वाददाताओं का हटाया जाना

*1025. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री चीन के प्रधान मंत्री के काहिरा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर वहां के भारतीय संवाददाताओं के हटाये जाने के बारे में 9 अप्रैल, 1965 को ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में काहिरा स्थित भारतीय दूतावास ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उसके बाद और क्या घटनायें हुईं ;

(ग) क्या संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने इस घटना के लिए कोई कारण बताया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). हमारे राजदूतावास ने जो शिकायत-पत्र भेजे थे, उनके उत्तर में संयुक्त अरब गणराज्य ने यह बताया कि चीनी प्रतिनिधिमण्डल के कहने पर, चीनी प्रधान मंत्री के आगमन के समय काहिरा हवाई अड्डे पर, भारतीय तथा विदेशी पत्रकारों को अनुमति नहीं दी गई। संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकारियों ने राजदूतावास को आश्वासन दिया कि वे भारतीय पत्रकारों का अत्यधिक सम्मान और आदर करते हैं और उन्होंने उन्हें तमाम सुविधायें और सहायता दी हैं तथा वे बराबर देते रहेंगे।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-जैसी तैयारी

*1026. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पश्चिम जम्मू (काश्मीर) में युद्ध विराम रेखा के साथ साथ हाल ही में अधिक संख्या में सेना जमा कर ली है और पाकिस्तानी सेना को युद्ध जैसी तैयारी करते हुए अर्थात् जम्मू प्रदेश के पश्चिम में छम्ब से पूंछ तक युद्ध-विराम रेखा के साथ साथ नई खाइयां खोदते हुए और लड़ने के लिये नये बंकर बनाते हुए देखा गया है तथा भारतीयों और पाकिस्तानियों के बीच मुठभेड़ की भी कुछ घटनायें हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) पाकिस्तान/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सेना युद्ध-विराम रेखा के साथ लगातार आगे बढ़ी है। पाकिस्तानी सेना युद्ध-विराम रेखा के साथ

खाइयां खोदती रही है और बकर बनाती रही है, विशेषकर नौशेरा, अखनूर तथा मेंढार क्षेत्रों में। भारतीय और पाकिस्तानी जवानों में कुछ मुठ, भेड़ें भी हुई हैं।

(ख) युद्ध-विराम रेखा से हमारी ओर कुछ रोकथाम सम्बन्धी कदम उठाये गये हैं और संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षकों के पास युद्ध-विराम उल्लंघन सम्बन्धी शिकायतें की गई हैं।

'सोवियत लैंड' पत्रिका में भारत का मानचित्र

*1027. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 1 अप्रैल, 1965 को एक ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सोवियत लैंड' में प्रकाशित मानचित्र के कानूनी पहलू पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) 1 अप्रैल, 1965 को मैंने जो बयान दिया था उसमें और बातों के साथ, यह भी कहा था कि यह नक्शा बहुत कच्चा तथा छोटे पैमाने का नक्शा है जिसे बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिर है इसका उद्देश्य भारत एवं अन्य देशों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं दिखाना नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा, उन्होंने इस तथ्य की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया था कि इस नक्शे में अक्साई चिन को भारत का अंग नहीं दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अक्साई चिन के अलावा भारतीय प्रायद्वीप का एक बड़ा भाग विकृत किया गया प्रतीत होता है। दूसरे देशों के बारे में भी बहुत सी गलतियां हैं। ऐसी परिस्थिति में, सरकार आश्वस्त है कि इस नक्शे के प्रकाशन को भारत की सर्वमान्य सीमाओं को विकृत करने का जान बूझ कर किया गया प्रयत्न नहीं समझना चाहिए। भारत रक्षा नियमों के अधीन इस पत्रिका के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक के ख़िलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और इसे जब्त भी किया जा सकता है। लेकिन सभी बातों पर सोच-विचार करने के बाद सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस पर कानूनी कार्रवाई करना जरूरी नहीं है।

स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन पर फ़िल्म

*1028. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री तुला राम :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन पर फिल्म में निर्माण के लिए आंशिक रूप से वित्त व्यवस्था करने तथा तकनीकी सहायता देने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार फ़िल्म के लिए कितने वित्त का प्रबन्ध करेगी, और फ़िल्म के लिये किस प्रकार की तकनीकी सहायता दी जायेगी ; और

(ग) तत्सम्बन्धी समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) राजेन्द्र स्मारक फ़िल्म समिति ने डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन पर फ़िल्म बनाने की योजना बनाई है । समिति ने सरकार को लिखा है कि इस फ़िल्म के बनाने के लिए उन्हें डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन से सम्बन्धित सभी चित्र और स्टाक शाटों की एक एक प्रति दी जाए । इस मंत्रालय के सम्बन्धित विभागों को कह दिया गया है कि उनके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, वह समिति के महासचिव श्री रवीन्द्र वर्मा और फ़िल्म निर्देशक श्री तपन सिन्हा को, जब भी वे उन्हें देखने और छांटने के लिए उनके पास आएं, दिखा दी जाए । यदि ये सज्जन किसी सामग्री को पसन्द करेंगे और लेना चाहेंगे तो सरकार उन्हें मुफ्त देने पर विचार करेगी । प्रस्तावित फ़िल्म बनाने के लिए मंत्रालय में वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई करार भी नहीं किया है ।

नेपाल राजपथ

*1030 **श्री प्र० चं० वरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री यू० द० सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्वनाथ राय:
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 600 मील लम्बे नेपाल राजपथ के बड़ भाग को बनाने का उत्तर-दायित्व ले लिया है, जिसमें वह भाग भी सम्मिलित है जिसे पहले चीन ने बनाने का प्रस्ताव किया था और बाद में छोड़ दिया था ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां ।

(ख) क्षेत्र (एलाइनमेन्ट) का सर्वेक्षण पूरा कर लेने के बाद इस प्रायोजन (प्रोजेक्ट) की लागत का पता चलेगा । सर्वेक्षण सम्बन्धी आवश्यक कार्य, जहां तक हो सकेगा जल्दी ही, शुरू किया जायेगा ।

(ग) आशा है झापा से नेपालगंज तक पूर्व-पश्चिम राजमार्ग (हाइवे) का निर्माणकार्य आरम्भ हो जाने की तिथि से लगभग आठ-दस वर्ष के अन्दर-अन्दर पूरा हो जायेगा ।

जंजीबार में भारतीयों को पेंशन

*1031. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंजीबार की भूतपूर्व सरकार के उन पैंशन-भोगियों को, जो भारत में रहते हैं, मई, 1964 से पेंशनें नहीं दी गई हैं जबकि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन में रहने वाले पेंशन-भोगियों को पेंशनों के पुनः आरम्भ किये जाने तक अन्तरिम सहायता दी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में रहने वाले पेंशन-भोगियों को भी ऐसी अन्तरिम सहायता देने तथा तनज़ानिया सरकार को उन्हें पुनः पेंशन देना आरम्भ करने के लिये कहने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) सरकार के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है। बहरहाल, अखबारों में कुछ रिपोर्टें छपी हैं कि पेंशन याफ्ता लोग यूनाइटेड किंगडम की सरकार पर अपने दावों के लिए दबाव डाल रहे हैं। भारत सरकार ने केवल मानवीय आधार पर इस मामले को दोनों संबद्ध सरकारों-यूनाइटेड किंगडम और टैन्जानिया--के साथ उठाया है ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी फ़िल्में

2588. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी विभिन्न भाषाओं की प्रदर्शनार्थ मुक्त की गई फिल्मों की 31 दिसम्बर, 1964 तक कुल संख्या क्या थी ;

(ख) क्या उड़ीसा में उड़िया भाषा में अस्पृश्यता सम्बन्धी फिल्में बनाने के बारे में अब तक कोई प्रगति हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(घ) इस प्रकार की फिल्में बनाने के लिए उड़ीसा सरकार अथवा निजी निकाय को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 13 कथा फिल्में और 7 डाकुमेंट्री फिल्में ।

(ख) और (ग) अस्पृश्यता निवारण पर निम्नलिखित उड़िया फिल्में अब तक बन चुकी हैं और उड़ीसा में रिलीज़ की जा चुकी हैं :--

(1) 1954-55 में दलित जाति संघ द्वारा निर्मित "भाई-भाई" ।

(2) 1960 में मैसर्स उन्कल चलचित्र प्रतिष्ठान, अस्क, गंजम जिला द्वारा निर्मित "महालक्ष्मी पूजा" ।

(3) ब्राह्मण } फिल्म विभाग, बम्बई द्वारा निर्मित डाकुमेंटरी
(4) अंधेरे से उजाले में } फिल्में ।

(घ) इन फिल्मों के बनाने के लिए उड़ीसा सरकार या किसी निजी संस्था को भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई ।

अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेन्सी

2589. **श्री रामहरख यादव :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वियना में अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेन्सी को कोई उपकरण दिए हैं ; और

(ख) क्या उक्त संस्था ने इन उपकरणों के प्रयोग की बहुत प्रशंसा की और यदि हां, तो भारत पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी की, वियाना स्थित प्रयोगशालाओं को 19,500 रुपये के मूल्य के इलेक्ट्रानिक उपकरण उपहार के रूप में दिये हैं। प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों को विकिरण संकट से सुरक्षित रखने के लिये इन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। यह उपकरण परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में बनाए गये थे । एजेन्सी ने इस उपहार की बहुत प्रसंशा की है।

प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा

2590. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री का विचार सरकारी कार्य से नेपाल जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा का उद्देश्य क्या है तथा वह किस तारीख को जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) प्रधान मंत्री ने नेपाल के महामाहिम महाराजाधिराज के लंबे अरसे से चले आ रहे निमंत्रण के उत्तर में नेपाल की यात्रा की ।

(ख) यह सद्भावना यात्रा 23 और 25 अप्रैल 1965 के बीच हुई ।

मोटर परिवहन अधिनियम

2591. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में मोटर परिवहन अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या): (क) जी हां । स्पष्टतः यह हवाला मोटर परिवहन कामगर अधिनियम, 1961 के बारे में है । इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम, कल्याण और स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों को छोड़कर, 1 अगस्त, 1963 से लागू किए गये थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में नारियल जटा उद्योग

2592. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा उद्योग में कितने श्रमिक लग हुए हैं ;

(ख) क्या श्रमिकों को प्रतिदिन काम मिल रहा है ; और

(ग) क्या उन्हें न्यूनतम मजूरी दी जाती है और यदि हां, तो प्रति व्यक्ति कितनी मजूरी दी जाती है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा की मेज़ पर रख दी जायगी ।

केरल में नारियल जटा कारखाने

2593. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कितने नारियल-जटा कारखाने बन्द हो गये हैं ;

(ख) इसके कारण कितने श्रमिक बेकार हो गये हैं ; और

(ग) उन श्रमिकों को राहत देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या): (क) से (ग) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । इस सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल की महिला अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कालेज

2594. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत में राष्ट्रीय छात्र सेना दल की महिला अधिकारियों के कितने प्रशिक्षण कालेज चल रहे हैं ; और

(ख) 1965 में प्रत्येक राज्य में अलग अलग ऐसे कितने कालेज खोले जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) एक ।

(ख) कोई नहीं ।

असैनिक कर्मचारियों के लिये मंजूरी बोर्ड

2595. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दाजी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थानों में असैनिक कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड बनाने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) से (ग) जी नहीं । मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है ।

आर्मी आर्डिनेन्स कोर

2596. **श्री हेडा :**
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डनेन्स कोर के असैनिक क्लर्कों, आदि का वेतनक्रम क्या है ;

(ख) क्या यह वेतन-क्रम विभिन्न पदों के कृत्यों तथा उत्तरदायित्वों के अनुकूल है ;

(ग) यदि नहीं, तो वेतन-क्रम में सूधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि कृत्यों तथा उत्तरदायित्वों पर आधारित इस वेतन क्रम का निष्पक्ष रूप से पुनानिर्धारण किया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा निकाय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) आर्मी आर्डनेन्स कोर के क्लर्की सेविवर्ग के वर्तमान ग्रेड का ढांचा इस प्रकार है :—

(1) हैटक्लर्क प्रथम वर्ग—यदि डिपु में असैनिक क्लर्कों की संख्या 75 से अधिक हो ।

(2) हैडक्लर्क द्वितीय वर्ग—जहां अधिकृत किया गया हो, हैडक्लर्क प्रथम वर्ग के पश्चात् प्रति 20 असैनिक क्लर्कों के लिए एक ।

(3) उच्च श्रेणी क्लर्क–निम्न श्रेणी क्लर्कों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत ।

(4) निम्न श्रेणी क्लर्क—कुल क्लर्क संख्या का 80 प्रतिशत । निम्न श्रेणी क्लर्कों के स्थायी स्थानों के 10 प्रतिशत स्थान वरण ग्रेड में होंगे ।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न सक्रियता से सरकार के विचाराधीन है, कि विभिन्न वर्गों में वर्तमान अनुपात का संशोधन किया जाए । तदर्थ पग के तौर पर, निम्न श्रेणी क्लर्कों के 400 स्थान 1–4–65 से उच्च श्रेणी क्लर्कों के लिए उन्नत कर दिए गए हैं ।

(घ) अखिल भारतीय ए० ओ० सी० क्लर्क संघ से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, कि जिस में अन्य बातों के साथ साथ, प्रार्थना की गई है, कि असैनिक सेविवर्ग के पद सम्बन्धी ढांचों के अध्ययन के लिए, एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की जाए ।

(ङ) उच्चाधिकार समिति की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी गई । उठाए गए मामलों पर विभागीय तौर पर विचार हो रहा है ।

आर्मी आर्डिनेंस कोर

2597. श्री हेडा :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कुल कितने असैनिक अधिकारी इस समय आर्मी आर्डनेन्स कोर में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) सेना अधिकारियों के साथ असैनिक अधिकारियों का क्या अनुपात है ;

(ग) क्या यह अनुपात समय समय पर घटता-बढ़ता रहता है ; और

(घ) अनुपात में अन्तिम बार क्या परिवर्तन हुआ था तथा क्या कोई और परिवर्तन विचाराधीन है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) श्रेणी एक---कोई नहीं ।
श्रेणी दो--209 ।

(ख) कोई अनुपात निश्चित नहीं है लेकिन वर्तमान अनुपात लगभग 15 प्रतिशत बनता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है, असैनिक अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों में कोई अनुपात निश्चित नहीं किया गया है । सैनिक या असैनिक अफसरों की जितनी जगहें और मंजूर की जायेंगी उन्हीं के हिसाब से उनके वास्तविक अनुपात में अन्तर पड़ जायगा ।

Chinese Department in Delhi University

2598. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri M. Rampure:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Army Officers of the Indian Army are studying the Chinese language in Delhi University;

(b) whether it is also a fact that the elder brother of the head of the Chinese Department is a high ranking officer in the Chinese Army; and

(c) if so, Government's reaction in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): (a) Yes, Sir. A few Army Officers study the Chinese language from a Chinese lecturer in the Department of Buddhist Studies in the University of Delhi.

(b) According to our information, the Lecturer has six brothers and sisters, 5 of whom are in India and one is in China. The brother in China, it is learnt, was employed as a Sports Instructor in the Chinese Navy a few years back. He is reported to have left this job because of an injury in the leg and is now a Physical Training Instructor in a school.

(c) Does not arise.

अमरीकी सैनिक सहायता

2599. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री रा० वरूआ :
श्री ल० ना० भजदेव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत को अमरीकी सैनिक सहायता के बारे में भारत में अमरीकी सैनिक संभरण मिशन के अध्यक्ष तथा अमरीकी राजदूत से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) एफ 5 ए विमान सप्लाई करने के लिए संयुक्त राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है । इस मामले में संयुक्त राज्य के राजदूत तथा भारत स्थित संयुक्त राज्य सैनिक सप्लाई-दल के मुख्य से विचार विमर्श किया गया है । हमारी प्रार्थना पर संयुक्त राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का इन्तजार है ।

कोयला खनन उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड

2600. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 22 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें 643 कोयला खानों में पूर्ण रूप से और 76 कोयला खानों में आंशिकरूप से क्रियान्वित की जा चुकी हैं । इन से लगभग 95 प्रतिशत कामगरों को लाभ हुआ है ।

उड़ीसा डाकघरों में जमा राशि

2601. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के विभिन्न डाकघरों में अल्प बचत आन्दोलन योजना के अन्तर्गत 1 अक्तूबर, 1964 से 31 मार्च, 1965 तक की अवधि में कुल कितनी राशि जमा की गई ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : उड़ीसा परिमण्डल के डाकघरों में 1 अक्तूबर, 1964 से 31 मार्च, 1965 की अवधि के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत कुल मिलाकर 4,93,10,468 रुपये की रक़म जमा हुई थी ।

पंडित नेहरू के जीवन पर पुस्तकें

2602. **श्री रामचन्द्र मलिक :**
श्री वीरप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन कृतियों तथा भाषणों सम्बन्धी अधिक प्राधिकृत पुस्तकें प्रकाशित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है और उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रकाशन विभाग अब "जवाहरलाल नेहरू" स्पीचेजज़ की पांचवीं जिल्द तैयार करने पर लगा हुआ है, जिसमें मई, 1963 से मई, 1964 तक की अवधि के भाषण होंगे । उक्त विभाग "इंडियाज़ फारेन पालिसी" नामक वर्तमान प्रकाशन का, जिसमें सितम्बर, 1946 से अप्रैल, 1961 तक विदेशी मामलों पर उनके चुने हुए भाषण हैं, नया अद्यावधि संस्करण भी तैयार कर रहा है । संशोधित संस्करण में उनके विदेश नीति सम्बन्धी चुने हुए भाषण होंगे । इसके अतिरिक्त, योजना और विकास पर जवाहरलाल नेहरू के भाषणों के चुनने और उनके सम्पादन का काम भी चल रहा है । यह भी निर्णय किया गया है कि "सम्पूर्ण गांधी वांगमय" की तरह सम्पूर्ण नेहरू वांगमय अनेक खंडों में निकाला जाये । इस योजना का ब्यौरा बनाया जा रहा है ।

Accidents in Coal Mines

2603. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to award a trophy to that coal mine in which the minimum accidents occur; and

(b) if so, the broad details thereof?

Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): (a) and (b). The National Council for Safety in Mines has been holding Safety Weeks for promoting safety in mines and awarding trophies on coalfield basis to mines securing high marks in different aspects of safety like timbering and roof support, ventilation, coal-dust cleaning, lighting etc., including injury rate performance. During the Mines Safety Weeks observed in February, 1965 in Jharia, Giridih and Raniganj coalfields, award of a new shield donated by the Lions Club, Dhanbad was announced. This shield is to be awarded on an all-India basis to a coal company which records the lowest injury rate. Details are being worked out.

डाक तथा तार कर्मचारियों का चिकित्सा व्यय

2604. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में डाक तथा तार विभाग में काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में चिकित्सा व्यय के रूप में कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई; और

(ख) आंकड़ों में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क)

1962–63	2,28,777 रुपये
1963–64	3,13,029 रुपये
1964–65 .	6,87,962 रुपये

(ख) आंकड़ों में इस वृद्धि के कारणों की जांच की जा रही है । सभा-पटल पर आगे सूचना शीघ्र ही रख दी जायेगी ।

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

2605. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में श्रम विभाग में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में चिकित्सा व्यय के रूप में कुल कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की गयी; और

(ख) आंकड़ों में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) कानपुर के सारे क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्धी मशीनरी में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की चिकित्सा व्यय के रूप में निम्नलिखित राशि की प्रतिपूर्ति की गई :—

1962–63 .	4,317.68 रु०
1963–64 .	5,862.52 रु०
1964–65 .	6,882.12 रु०

(ख) बीमारी में वृद्धि, दवाइयों के मूल्य और परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि ।

Committees for Implementation of Hindi Scheme

2606. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri P. L. Barupal:
Shri Rameshwaranand:
Shri Madhu Limaye:
Shri Utiya:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Committee for the implementation of Hindi Scheme have been constituted in his Ministry and its Subordinate

and attached offices in pursuance of the orders of the Ministry of Home Affairs;

(b) the number of meetings held and the details of the work done by these Committees in those offices where they have been duly constituted; and

(c) if these Committees have not been formed in some offices, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh): (a) Yes Sir.

(b) A Hindi Programme Implementation Committee was constituted in the Ministry of External Affairs. The Committee held one meeting in which matters pertaining to the use of Hindi for noting on files, replying to letters received in Hindi, drawing up of treaties and agreements in Hindi, and the release of more staff for receiving training in Hindi were considered.

Hindi Programme Implementation Committees were constituted in the Regional Passport Offices at Bombay, Madras, Calcutta, Lucknow and Delhi.

The Committee formed in the Regional Passport Office, Bombay held one meeting. It decided to put up notices and sign boards in Hindi-English, to indent for a Hindi typewriter and to issue instructions to the Receptionist clerk and the telephone clerk to answer queries made in Hindi in the same language.

The Committee formed in the Regional Passport Office, Madras held one meeting and decided to train their non-Hindi knowing staff in Hindi and to procure a Hindi typewriter.

The Committee formed in the Regional Passport Office, Calcutta held no meeting but it decided to diarise in Hindi letters received in Hindi in a separate diary register and to send replies in Hindi in a separate diary register and to send replies in Hindi, as far as possible, to letters received in Hindi.

The Committee formed in the Regional Passport Office, Lucknow held two meetings. In these meetings matters like use of Hindi for noting on files, replying to letters received in Hindi and nomination of non-Hindi knowing staff for Hindi training were considered.

The Committee formed in the Regional Passport Office, Delhi held no meeting and did not do any work.

(c) The question does not arise.

Hindi Programme Implementation Committees

2607. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Hindi Programme implementation committees have been formed in her Ministry and in all the attached and subordinate offices under her ministry in accordance with the instruction issued by the Ministry of Home Affairs;

(b) the number of meetings of such committees held so far, whenever they have been formed, as also the details of their activities; and

(c) the reasons for which such committees have not been set up in some offices?

The Minister of Information & Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) Such Committees have been constituted in the Ministry as well as in nine of its Attached and Subordinate offices, as also in 22 Stations/offices of A.I.R.

(b) Nine meetings have been held at which the progress of the implementation of instructions received from the Ministry of Home Affairs from time to time was discussed and decisions taken, as considered necessary, for further implementation of those instructions.

(c) Committees have not been constituted so far in the remaining offices under this Ministry, as most of these are too small to require separate Hindi Committees. However, the question of setting up such Committees in these offices, in the light of the volume of work done or expected to be done in Hindi in these offices, is being considered.

ब्रिटेन में भारतीय वायु-सेना के एक अधिकारी की मृत्यु

2608. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 मार्च, 1965 को फारनबरा के समीप, इंगलैंड में एक उड़ान दुर्घटना में भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) आर० ए० एफ० अधिकारियों द्वारा नियुक्त एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी, दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए जांच कर रही है। पूरी तफ़सील तब पता लगेगी जब कि कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट आयेगी।

दिल्ली-काठमण्डू रेडियो-टेलीफोन सेवा

*2609. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री प्र० चं० बरुआ ,

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली और काठमण्डू के बीच सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां।

(ख) सेवा स्थापित करने में लगभग तीन लाख रुपये व्यय हुए और इस पर लगभग पचहत्तर हजार रुपये वार्षिक आवर्ती व्यय होता है।

अमरीकी परियोजना 'ग्नोम'

2610. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री बृजराज सिंह कोटा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले अणु शक्ति आयोग ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें तथा नहरे बनाने के लिये भारत में वही तकनीक तथा पद्धति लागू करने के उद्देश्य से अमरीकी परियोजना 'ग्नोम' का गूढ़ अध्ययन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले तथा उन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). संयुक्त राज्य अमरीका की परियोजना 'ग्नोम' का, जो परमाणु युक्ति के विस्फोट जैसी है, प्रारंभ 1961 में ऐसी युक्ति को नहरों, पत्तनों, सड़कों आदि के निर्माण के काम में लाने की संभावना का अध्ययन करने के लिए किया गया था। यह कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमरीका के परमाणु विस्फोटों के शान्तिपूर्ण प्रयोगों के विकास से सम्बन्धित प्लेशेयर कार्यक्रम का भाग है जो विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। परमाणु विस्फोटों के शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के प्रयोग की सम्भावना के आसार अच्छे दिखाई पड़ते हैं।

Promotion in A.I.R.

2611. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Shinkre:
Shri Narendra Singh Mahida:
Shri D. C. Sharma:
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri S. C. Samanta:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Daji:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 8th October, 1964 she made an announcement in a meeting of the Central Programme Advisory Committee, to the effect that the vacancies arising in A.I.R. would be filled by giving departmental promotion only and that minimum number of persons would be appointed from outside;

(b) if so, the number of vacancies filled up by appointing persons from outside after the said announcement; and

(c) when the promise made in the said announcement should be implementated fully?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) Forty-four.

(c) This is already being implemented.

प्रतिरक्षा परिवहन मोटरगाड़ियां

2612. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 40,000 प्रतिरक्षा परिवहन मोटरगाड़ियां प्रयोग के लिये अनुपयुक्त ठहराई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका अधिकतम उपयोग करने के लिये कार्यवाही की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं। तदपि 1963 के अन्त में लिए गये एक निर्णय के अनुसार कुछ विशेष किस्म की गाड़ियों को रद्द किया गया है जो कि एक निश्चित दूरी अथवा अवधि पूरी कर चुकी हैं। 31 मार्च, 1965 तक 19,999 गाड़ियां निपटान के लिए घोषित की गई हैं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मोतीहारी से जमशेदपुर के लिये ट्रंक काल

2614. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में मोतीहारी से जमशेदपुर के लिये बुक की गई ट्रंक कालों में बहुत देर हो जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मार्च, 1965 में मोतीहारी से जमशेदपुर के लिये बुक की गई कुछ कालों पर बारह घंटे से अधिक समय तक भी बातचीत नहीं हो सकी ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) मोतीहारी से जमशेदपुर के काल पटना होकर किये जाते हैं। इस समय इन कालों में (जिनकी संख्या महीने में दस से कम है) जमाव और लाइनों में गड़बड़ी होने के कारण कुछ देरी हो जाती है। मोतीहारी और पटना

के बीच के अकेले परिपथ और पटना और जमशेदपुर के बीच के दो परिपथों, दोनों पर ही जमाव बना रहता है। तांबे के तारों की बार-बार चोरी होने और सेवा भंग हो जाने के कारण पटना–जमशेदपुर ट्रंक परिपथों का काम भी बहुत संतोषजनक नहीं है।

(ख) अलग-अलग स्थानों के कालों की देरी का कोई दैनिक रिकार्ड नहीं रखा जाता। ये आंकड़े तभी रखे जाते हैं जबकि उनकी विशेष रूप से आवश्यकता पड़े। फिर भी, क्योंकि मार्च, 1965 में मोतीहारी–पटना–जमशेदपुर खंड में लाइनों में कुछ गड़बड़ी हुई थी, अतः उन दिनों में मोतीहारी से जमशेदपुर बुक किये गए कालों में हो सकता है कुछ देरी हो गई हो।

(ग) मोतीहारी–पटना तथा पटना–जमशेदपुर इन दोनों खंडों में ही अतिरिक्त और अच्छे ग्रेड के ट्रंक परिपथ लगाने की विभाग की योजना है। मोतीहारी–मुज़फ्फरपुर–पटना मार्ग पर अतिरिक्त प्रणालियां लगा देने के बाद, मोतीहारी–पटना के बीच एक और दूसरा सीधा परिपथ लगाया जाएगा। जब पटना और जमशेदपुर के बीच बहुत से ऊंचे ग्रेड के स्थायी परिपथ उपलब्ध हो जाएंगे पटना और जमशेदपुर को सहधुरीय/रेल विद्युतीकरण केबल द्वारा जोड़ दिया जाएगा। 1966 तक योजनागत प्रयोजनाओं का पूरा होने पर मोतीहारी–जमशेदपुर के कालों की स्थिति में सराहनीय सुधार हो जाएगा।

Shooting of Film 'Aman'

2615. Shri Hukam Singh Kachhavaiya: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the shooting of film named 'Aman' is in progress abroad;

(b) if so, the amount of foreign exchange sanctioned for shooting of the said film; and

(c) when the aforesaid film is expected to be completed?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) Not yet, Sir.

(b) M/s. Emkay Productions, Bombay were allowed foreign exchange to the extent of seven hundred and thirty five pounds, for the visit of four persons to Japan for a preliminary study of locations for the production of their film entitled 'Aman'. This was subject to the undertaking that they should earn 4 times the foreign exchange involved in location shooting abroad.

(c) Not known.

कानपुर का आयुध कारखाना

2616. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री बागड़ी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के आयुध कारखाने में कार्य समिति का कोई चुनाव नहीं हुआ है ;

(ख) क्या इसकी कार्यावधि 1963 में समाप्त हो गई थी ;

(ग) यदि हां, तो देरी तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या आपातकाल में समूचे देश में इन समितियों के चुनाव हुए हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ). आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर की निर्माण समिति का अन्तिम निर्वाचन 1961 में हुआ था। 1957 के इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट (सेन्ट्रल) नियमों की शर्तों के अनुसार, इस समिति के प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित कार्यावधि 2 वर्ष है। यह अवधि मई, 1963 में समाप्त हो चुकी है। जैसे कि नियमों की मांग है, इस निर्माण समिति के पुनर्गठन के लिए, फैक्टरी में काम कर रह तीन पंजीयबद्ध संघों की सलाह से अप्रैल, 1963 में कार्यवाही की गई थी। इन संघों में से दोनों आपात स्थिति के पश्चात् तक चुनाव स्थगित करने का सुझाव दिया था। तदपि, चूंकि यह एक सांविधिक देयता थी, निर्णय किया गया, कि निर्माण समिति पुनः गठित की जाए। इस पर पंजीयबद्ध संघों को प्रबंधक अधिकरन से कई कार्मीकों के सम्बन्ध में चुनाव के उद्देश्य से कुछ जानकारी मांगी थी। इस पर उन संघों में से एक ने, जिन्होंने पहले चुनाव को स्थगित करने का सुझाव दिया था, आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं की थी, और यह मामला उठाते हुए, सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों में निर्माण समितिएं तोड़ दी गई हैं, इसलिये आर्डनेंस फैक्ट्री कानपुर की निर्माण समिति भी पुनर्गठित न की जाए। सुझाव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था, और पता चला था, कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये आदेश केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होते। इस पर निदेश जारी किये गये कि समिति के पुर्गठन कार्य की ओर पग उठाए जाएं। और इस निमित्त कार्यवाही हस्तगत है। जहां तक रक्षा उपक्रमों का सम्बन्ध है आपात स्थिति के दौरान निर्माण समितियों के पुनर्गठन को रोकने के लिए कोई निदेश जारी नहीं किये गये।

प्रोग्राम एक्सीक्यूटिव

2617. श्री बाल्मीकी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 1 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों के नाम अभी तक प्रकाशित नहीं किये गये हैं जिनको आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव के रूप में अन्तिम रूप से चयन किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पूरी सूची तथा आरम्भ में चुने गये 42 उम्मीदवारों की सूची के कब तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव के पद पर चुने गये 42 उम्मीदवारों के नाम अखबारों में नहीं प्रकाशित किये

गये हैं, यद्यपि इन्हें नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। दूसरों को उनके न चुने जाने की सूचना दे दी गई है।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग जिन पदों के लिए उम्मीदवारों को इण्डरव्यू के लिए छांटने के लिए लिखित परीक्षा लेता है और इण्टरव्यू के आधार पर चुनता है, आम तौर से उनकी लिखित परीक्षा या अन्तिम चयन का परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाता।

(ग) प्रोग्राम एक्जिक्यूटिव के पद पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा केवल 42 उम्मीदवार उपयुक्त पाए गये। उस ने और किसी नाम की सिफारिश नहीं की है।

चीन-पाकिस्तान सीमा सन्धि

2618. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान सीमा सन्धि के बारे में भारतीय विरोध-पत्र को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से ठीक-ठीक क्या उत्तर प्राप्त हुआ है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। पाकिस्तान सरकार से हमारे विरोध-पत्र का उत्तर मिल गया है।

(ख) पाकिस्तान सरकार झूठी दलीलें दे कर प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किये जाने का औचित्य सिद्ध करने की व्यर्थ कोशिश कर रही है; इनका न तो कोई कानूनी आधार है और न ये सत्य पर ही आधारित हैं।

रेडियो के लाइसेंस

2620. **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अप्रैल, 1965 तक भारत में कुल कितने रेडियो सैट प्रयोग में थे ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1964 तक कितने लाइसेंसों का पुनर्नवीकरण किया गया ; और

(ग) सरकार का ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने 15 अप्रैल, 1965 तक अपने रेडियो सैटों के लाइसेंसों का पुनर्नवीकरण नहीं कराया ?

संचार विभाग में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) इस खास तारीख तक मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। हर तिमाही के अन्त में लागू कुल लाइसेंसों की संख्या तिमाही के अन्त से लगभग डेढ़ महीने के बाद उपलब्ध होती है। अन्तिम सूचना 31 दिसम्बर, 1964 तक की उपलब्ध है और 31 दिसम्बर, 1964 को 43,09,814 लाइसेंस लागू थे।

(ख) 35,27,209।

(ग) रेडियो लाइसेंसों का पुनर्नवीकरण उनके खत्म होने वाले वर्ष के बाद की जनवरी के अन्त तक कराया जा सकता है। उक्त तारीख तक लाइसेंसों का पुनर्नवीकरण न होने पर सम्बन्धित डाकघर द्वारा फरवरी में लाइसेंस-धारक को नोटिस भेजा जाता है और तीन सप्ताह के बाद दूसरा नोटिस भेजा जाता है। यदि फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो डाकघरों द्वारा पुनर्नवीकरण न कराये गये लाइसेंसों का एक विवरण तैयार करके प्रधान डाकघर को भेज दिया जाता है जहां बेतार लाइसेंस निरीक्षकों द्वारा उन पर आगे कार्रवाई की जाती है उन मामलों को अदालत में ले जाया जाता है जिनमें कि लाइसेंस-धारक अधिभार की अदायगी करके लाइसेंस का पुनर्नवीकरण कराने से इन्कार कर देता है।

Test Flight of Avro-748

2621. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the military freight version of Avro-748 aircraft was put on a test flight on the 12th April, 1965 at Bareilly;

(b) if so, the result thereof; and

(c) the percentage of indigenous parts and imported parts respectively used therein?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) No, Sir.

(b) and (c). A prototype of the Military version of Avro-748 aircraft built by Hawker Siddeley Aviation Ltd. of U.K. has arrived in India on 11th April 1965, for environmental trials of about three weeks duration for study of its performance under Indian conditions.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संयुक्त राज्य अमरीका तथा युनाइटेड किंगडम द्वारा हिन्द महासागर में परमाणु अड्डे स्थापित किये जाने के बारे में समाचार

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूनाइटेड किंगडम द्वारा हिन्द महासागर में परमाणु अड्डे स्थापित किये जाने के बारे में प्रकाशित समाचार"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हिंद महासागर के द्वीपों में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संचार-अड्डे स्थापित करने की ख़बर पहले-पहल अगस्त, 1964 में अख़बारों में आई थी। 29 अगस्त, 1964 को संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग

[श्री स्वर्ण सिंह]

के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हिंद महासागर के क्षेत्र में रेडियो संचार रिले केन्द्र स्थापित करने की सम्भावनाओं पर यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका विचार-विनिमय करते रहे हैं। लंदन स्थित हमारे हाई कमिश्नर ने इस विषय में और पूछताछ की है और यह बात पक्की हो गई है मारिशस के पास दीगो ग्रेसिया जैसे द्वीप का सर्वेक्षण लिया जा रहा है और इसके पूरा हो जाने के बाद अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।

हाल ही में, अमरीका और ब्रिटेन द्वारा हिंद महासागर में संचार केन्द्रों की एक श्रृंखला स्थापित करने के बारे में और भी खबरें मिली हैं जिनका उपयोग सैनिक और आणविक हथियार ले जाने वाली पनडुब्बियों और विमानों की मदद करने में किया जाएगा। हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है वह हम अभी 12 अप्रैल, 1965 को ही लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 833 के उत्तर में दे चुके हैं। इस विषय में हमारे पास और कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और न ही हमें यनाइटेड किंगडम और अमरीका की सरकारों से कोई अधिकृत सूचना ही मिली है। विदेशी सैनिक अड्डे स्थापित करने और बनाये रखने तथा अन्य देशों में सैनिक रखने के हम विरुद्ध हैं, यह सभी जानते हैं और इसकी पुष्टि काहिरा घोषणा में कर चुके हैं, जिस पर कि हमने हस्ताक्षर किये हैं।

Shri Raghunath Singh: Has our Government contacted the Governments of U.K. and U.S.A. and informed them that Indian Oceans is within our sphere of influence and any activity there should be in our knowledge?

Shri Swaran Singh: It is very difficult to say anything about this expression 'sphere of influence'. But as far as the policy of Government of India is concerned it is against the establishment of any military bases in any country.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : क्या यह सच है कि हमारे प्रधान मंत्री ने अन्यदेशों से यह प्रार्थना की थी कि वे हमें चीन से आणविक हथियारों के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करें और क्या यह सच है कि इसी चीज़ को देखते हुए यह अड्डे स्थापित किये गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस सभा में कई बार बता दिया गया है कि प्रधान मंत्री ने कभी ऐसी सुरक्षा की मांग नहीं की थी। उन्होंने आणविक हथियारों में वृद्धि को रोकने के लिए आणविक हथियारों वाले देशों से उन देशों की सुरक्षा की मांग की जिनके पास आणविक हथियार नहीं हैं। उन्होंने अणु छत्रछाया की कभी मांग नहीं की थी। अतः इन अड्डों की, इस सम्बन्ध में, स्थापना का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स्वैल (आसाम—स्वायत्तशासी ज़िले) : यह नीति उस समय बनाई गई थी जब चीन ने अणुबम का विस्फोट नहीं किया था। अब चीन द्वारा अणु बम के विस्फोट को देखते हुये और प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य को देखते हुये कि अणु हथियारों वाले राष्ट्रों को अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिये, क्या सरकार अपनी नीति में संशोधन करके हिन्द महासागर में इन अड्डों की स्थापना का स्वागत करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम किसी भी प्रकार के अड्डे की स्थापना के विरुद्ध हैं और इस सम्बन्ध में अपनी नीति में संशोधन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Rameshwar Tantia (Sikar): In view of the hostile activities of China, what is the objection in of a naval base is established.

Mr. Speaker: He has told about the policy.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : यह ध्यान दिलाने वाली सूचना वाशिंगटन से प्राप्त एक वक्तव्य के प्रसंग में है कि अमरीका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के बीच भारत को सुरक्षा देने के विषय पर चर्चा हुई । यह चीन द्वारा अणु बम के विस्फोट के प्रसंग में भी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने अणु छत्रछाया मांगी थी अथवा अणु आक्रमण के विरुद्ध आश्वासन ; और क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री हमारे प्रधान मंत्री के विचारों को सही रूप से बता रहे हैं । और क्या कारण है कि हम अपने विचारों को स्वयं नहीं बता रहे और हम चाहते हैं कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री इसे हमारी ओर से करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई समाचार नहीं कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने अमरीका की सरकार से क्या कहा । हम निश्चय ही अपने विचारों को स्वयं व्यक्त करेंगे । हमने किसी को भी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये नहीं कहा । हमारे प्रधान मंत्री ने इस सभा में कई बार हमारे विचारों के सम्बन्ध में बताया है और वे ही सही विचार हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): As reported in press, Britain and America are thinking of establishing a submarine and an air base in Grecia Islands in view of the increasing Chinese power; and this base is 900 miles away from Trivandrum. I want to know whether our Government are thinking of conveying our views to the British and American Governments?

Shri Swaran Singh: This has already been discussed in other questions.

Shri Yashpal Singh: Had the U.K. and U.S.A. Governments taken our permission before conducting survey in the Indian Ocean.

Shri Swaran Singh: There is no question of our permission because it is not Indian territory. There are certain islands in the Indian Ocean which do not form part of our territory. Any how we have expressed our opinion.

श्री वारियर (त्रिचूर) : क्या भारत सरकार ने हिन्द महासागर के अन्य पड़ौसी देशों से परामर्श किया है और इन परमाणु अड्डों की स्थापना के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध प्रकट किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले कह चुका हूं कि काहिरा में तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में यह विषय उठा था और इस विषय पर एक संयुक्त घोषणापत्र पर हमने और हिन्द महासागर के आसपास के अन्य देशों ने हस्ताक्षर किये थे ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : हमारी सरकार जो विश्व के किसी भी भाग में विदेशी सैनिक अड्डों की स्थापना के विरुद्ध है बिलकुल उचित है । परन्तु यह प्रश्न तो हमारी सीमा के बिल्कुल निकट है । इस बात को देखते हुये कि हम हिन्द महासागर क्षेत्र में परमाणु मुक्त क्षेत्र के पक्ष में हैं, क्या सरकार ने अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों को बता दिया है कि भारत इससे प्रसन्न नहीं है ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने सम्बंधित सरकारों को समय-समय पर अपने विचारों से अवगत करा दिया है। और ऐसे अड्डों की स्थापना के बारे में सरकारी तौर से कुछ नहीं पता।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य): इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया कि क्या सरकार विश्व के इस क्षेत्र में परमाणु-मुक्त-क्षेत्र बनाने का कोई प्रयत्न कर रही है। माननीय मंत्री इसका विशेष रूप से उत्तर दें।

श्री स्वर्ण सिंह : अफ्रीका और विश्व के अन्य भागों में हम परमाणु मुक्त-क्षेत्र के बनाने के पक्ष में हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : माननीय मंत्री का वक्तव्य बहुत पुराना है, उन्होंने हाल ही में जो कुछ हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। अब परमाणु अड्डों की स्थापना के बारे में कुछ समाचार प्रकाशित हुये हैं। क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने अपने उच्चायुक्त द्वारा इस सूचना की जांच करने का प्रयत्न किया है अथवा वह काहिरा में तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प पर निर्भर हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : सम्बंधित देशों में हमारे राजदूत इन तथाकथित संचार केन्द्रों का पता लगा रहे हैं।

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा कच्छ सीमा पर आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATMENT *RE*: ATTACK BY PAKISTAN FORCES ON KUTCH BORDER

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री बागड़ी, श्री उटिया, श्री हुक्म चन्द कछवाय, डा० राम मनोहर लोहिया, श्री किशन पटनायक, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री प्रभात कार और श्री वासुदेवन नायर ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी प्रकार कच्छ सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के बारे में 32 सदस्यों ने ध्यान दिलाने वाली सूचनायें दीं हैं। कल शाम को प्रतिरक्षा मंत्री ने मुझे यह सूचना दी कि वह स्वेच्छा से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा आक्रमण से हम बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे नाजुक विषय पर बजाय कोई ध्यान दिलाने वाली सूचना लाने के, मेरे विचार में यह अच्छा रखेगा यदि सरकार माननीय सदस्यों के साथ समय समय पर परामर्श करने के लिये कोई प्रस्ताव पेश करे। सरकार सदस्यों को सब सूचना भी दे और जो कदम उठाने जा रही है उसके बारे में भी बताये जिससे माननीय सदस्य आश्वस्त हो जायें कि सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं। माननीय सदस्यों को भी मैं यही सुझाव दूंगा कि वे माननीय मंत्री से मिलकर उन मामलों के बारे में सूचना प्राप्त करे जिनके बारे में वह चिन्तित हैं। वर्तमान स्थिति में सभा मुझ से सहमत होगी कि स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बजाय यह तरीका अच्छा रहेगा।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : स्थगन प्रस्ताव सरकार की निन्दा करने के लिये होता है जबकि ध्यान दिलाने वाली सूचना कवल सूचना प्राप्त करने के लिये होती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कह रहा हूं ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : शनिवार, 24 अप्रैल 1965 प्रातः टैंकों की सहायता से, लगभग एक इन्फैन्ट्री बिग्रेड पर शामिल, पाकिस्तानी सेनाओं ने छड़बेट से 24 मील पश्चिम में पाएंट 84 पर स्थित, हमारी अस्थायी चौकियों पर आक्रमण कर दिया । हमारे सैनिकों ने जो केवल, एक इन्फैन्ट्री कम्पनी पर शामिल थे, कड़ा मुकाबला किया, और पाकिस्तानी सेनाएं कुछ हताहतों सहित हट कर एक अधिक उपयोगी स्थिति में जा पहुंची । इसके पश्चात भी पाकिस्तान सेनाएं हट कर सीमा के अपनी ओर चली गई, शायद इसलिए, कि वह पुनः संगठित हो सकें । हमारी सेनाओं पर कवच सहित यह पहली बार आक्रमण हुआ है । हमारे आसूचना विभाग ने सूचना दी है, कि पाकिस्तान ने आम लामबन्दी के आदेश जारी कर दिए हैं । और उन्होंने स्थायी स्थानों से सेनाओं का प्रचालन किया है । उन्होंने छुट्टी पर गए व्यक्तियों को वापस बुला लिया है, छुट्टी बन्द कर दी है, और रिजर्विस्टों को भी बुला लिया है । इसके बाद, रिपोर्ट मिली है, कि वह रज़ाकारों और मुजाहिदों को भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण देते रहे थे ।

इस गम्भीर स्थिति को सामने रखते हुए, मैंने अपनी सेनाओं को चौकन्ना रहने का आदेश दे दिया है, और इस से सेनाओं का प्रचालन, छुट्टी बन्द करना और छुट्टी पर गए सेवीवर्ग को वापस बुलाना आवश्यक हो गया है । मैं अनुभव करता हूं, कि पाकिस्तान की कार्यवाही को सामने रखते हुए, यह उपाय आवश्यक थे, कच्छ के पेट में भी, और लामबन्दी के लिए भी ।

ऐतवार 25 अप्रैल 1965 को पुनः, पाकिस्तानी सेनाओं ने टैंकों सहित वियारवेट में अपनी चौकी पर आक्रमण कर दिया, जो सीमा से छः मील अपनी ओर को है । विरोधी सेनाओं को हानि का सामना करते, इस आक्रमण में मुंह की खानी पड़ी । आज प्रातः के समाचार से पता चला है, कि पाकिस्तान पुनः वियारवेट पर एक इन्फैन्ट्री बिग्रेड तथा कवचित गाड़ियों की बड़ी संख्या सहित आक्रमण कर रहा है ।

इसमें कोई शक नहीं, कि हम कठिनाइयों से पूर्ण समय में हैं । परन्तु इस विचार से मेरा हृदय समआश्वस्त हो जाता है, कि हमारे नागरिकों और सेनाओं का नैतिक स्तर काफी ऊंचा है, और वह हमारे सत्ताधिकार और प्रादेशिक एकता पर किसी भी आघात का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं । मुझे विश्वास है, कि सदन इस बात में सहमत होगा, कि हमें इस समय ऐसा कुछ कहना करना उचित नहीं, कि जिस से उन लोगों को अपने कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े, जो इस समय हमारी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी वर्गों के नेताओं को एक प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता हूं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं माननीय प्रतिरक्षा मंत्री से सहमत हूं कि हमें इस समय ऐसा कुछ कहना करना उचित नहीं जिससे उन लोगों को अपने कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े, जो इस समय हमारी सुरक्षा के लिये प्रयत्नशील हैं । परन्तु क्योंकि स्थिति गम्भीर है, हम इस कारण सरकार की उन असफलताओं के प्रति आंखें नहीं मूंद सकते जिनके कारण यह कठिनाइयां

उत्पन्न हुई हैं । यदि आप चाहते हैं कि हम माननीय मंत्री की बात शांति पूर्वक सुनें तो यह आवश्यक है कि हमारी बात भी ध्यानपूर्वक सुनी जाय ।

पिछले महीने की 29 तारीख को जब प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा चल रही थी तो मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इन शब्दों की ओर दिलाया था :

"हाल ही में पाकिस्तान ने कच्छ क्षेत्र में 18000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री अब यह बताने की स्थिति में होंगे कि क्या यह भूमि उनसे प्राप्त कर ली गई है।" इस सम्बन्ध में मुझे अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है । सभा को अन्धेरे में रखा गया है ।

इस शपथ को लेते समय कि इस गम्भीर खतरे को देखते हुये हमें एक होकर रहना है, मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । परन्तु देश की एकता को बनाये रखने के लिये सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा ।

मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं : क्या यह सच नहीं कि 1960 में जब स्वर्ण सिंह ने लैफ्टिनेंट जनरल शेख से एक समझौते पर हस्ताक्षर किये तो श्री शेख ने कच्छ की रन पर पाकिस्तान के दावे की चेतावनी दी थी और श्री स्वर्ण सिंह ने यह स्वीकार करते हुये दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर दिये थे कि इस सम्बन्ध में विवाद है ? इन पांच वर्षों में इसे बातचीत से सुलझाने के लिये सरकार ने क्या किया है ? इस बात को देखते हुये कि पाकिस्तान, चीन की तरह, बहुत बड़े क्षेत्र पर दावा कर रहा है, सरकार ने क्या सैनिक तैयारियां की हैं ?

चीन तथा पाकिस्तान की सामरिक स्थिति का ज्ञान होते हुए भी हम अपनी तैयारी के प्रति उदासीन रहे हैं और जब वे आक्रमण करते हैं तो हम ही कहते हैं कि शत्रु हमारी तुलना में अच्छी स्थिति में है क्योंकि युद्ध क्षेत्र तक सेनाएं तथा रसद पहुंचाने के साधन उन के पास अधिक अच्छे हैं । हम वहीं तक सरकार का समर्थन करेंगे जहां तक पाकिस्तान के साथ दृढ़ कार्यवाही करने का संबंध है परन्तु हम यह नहीं चाहते कि हम पीछे हट कर यह कहें अब हमारी स्थिति अधिक अच्छी है । शास्त्री जी ने कहा है कि हम बातचीत तभी करेंगे जब पाकिस्तान हमारे क्षेत्र से हट जाएगा परन्तु उसे क्या चिन्ता है यदि हम बातचीत न भी करें क्योंकि हमारे क्षेत्र पर अधिकार तो वह कर ही चुका है । हमें चाहिये कि हम भी वही भाषा अपनाएं जो वह समझता है । पहले तो पाकिस्तान केवल हमारी सीमाओं का अतिक्रमण ही करता था परन्तु अब तो वह हमारा क्षेत्र हथियाने पर उतारू हो गया है । क्या श्री चह्वाण हमें इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि जहां हमारी स्थिति अधिक अनुकूल है वहां हम पाकिस्तान को वैसा ही उत्तर देंगे जैसा उस ने कच्छ के रन में हमें कच्छ में दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा आश्वासन दिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । सभा को सभी बातों की जानकारी भी दी जानी चाहिए परन्तु ऐसा करना क्या देश के हित में होगा । श्री मुकर्जी (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान की लज्जाजनक कार्यवाहियों के बावजूद भी हम सब सदस्यों की यही इच्छा है कि कठिन तथा गम्भीर स्थिति को और अधिक कठिन तथा गम्भीर न बनाया जाये । परन्तु साथ ही साथ मुझे यह भी

कहना है कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तो अवश्य ही हमें सरकार के उस अपराध का ज्ञान अवश्य होना चाहिये । जिस के फलस्वरूप पाकिस्तान अपनी उत्तेजनापूर्ण तथा आक्रामक गतिविधियों को हमारें विरुद्ध जारी रखने में सफल हुआ है । परन्तु श्री नाथ पाई के साथ मुझे भी यही कहना है कि हम ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहते जिस के परिणाम-स्वरूप हमें बातचीत पर बाध्य होना पड़े । पाकिस्तान का रवैया सदा ही उत्तेजनात्मक रहा है परन्तु हमारी सरकार भी . . . (**अन्तर्बाधा**) . . . हम निश्चय ही युद्ध नहीं चाहते क्योंकि इस स्थिति में हमें बहुत ही गम्भीर समस्याओं का सामना करना होगा

Shri Rameshwaranand (Karnal): How much time has been given to the hon. Member?

Mr. Speaker: Those who have been given time may be allowed to speak.

श्री ही० ना० मुकर्जी : दो बातें यथासम्भव शीघ्र होनी चाहियें । एक तो यह कि हमें विश्व को बताना चाहिये कि भारत पाकिस्तान की इस प्रकार की कार्यवाही कभी सहन नहीं करेगा, और दूसरी यह है कि हमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी लोगों की ओर से यह घोषणा करनी चाहिये कि हम इस समस्या पर एक हैं और यदि पाकिस्तान आक्रामक कार्य-वाहियां जारी रखेगा तो उसें ऐसा उत्तर दिया जाएगा जो वह कभी नहीं भूलेगा । परन्तु इस समय जब संसद् की बैठकें हो रही हैं और पाकिस्तानी कार्यवाहियां भी हो रही हैं तो संसद् में इस मामले पर चर्चा बिल्कुल आवश्यक है ताकि संसद् द्वारा सरकार को आगामी कार्य-वाही पूरे विश्वास सें करने का अधिकार दिया जा सकें । और देश का समर्थन सुनिश्चित किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सुझाव क्या है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरा सुझाव है कि संसद् में इस समस्या पर चर्चा हो ताकि उसका निर्णय सरकार देश तथा विश्व को बताया जा सके । इसलिये सरकार को चर्चा के लिये कुछ समय देना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 248(1) के अनुसार "सभा-नेता द्वारा प्रार्थना की जाने पर अध्यक्ष कोई दिन या उसका भाग सभा की गोपनीय बैठक के लिये निश्चित करेगा ।"

यदि सभा-नेता हमें अपने विश्वास में लेकर इस मामले पर चर्चा करें तो हम उन्हें पूरी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार दे देंगे ।

श्री प्र० के० देव : एक स्वतंत्र तथा खुली चर्चा लोकतंत्र की सब से बड़ी शक्ति है और यदि सभा में इस पर चर्चा होगी तो सरकार को देश का पूरा समर्थन प्राप्त हो जाएगा । 'उकिर्क' की हार के समय ब्रिटिश हाऊस आफ कामन्स की बैठक के पश्चात् सारा देश एक हो गया था इसी प्रकार 1962 में चीनी आक्रमण के समय भी सारा देश एक हो गया था । इसलिये सभा में चर्चा परमावश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक गुट का एक ही सदस्य बोले तो काफी होगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): मेरे विचार से आपका एक छोटी समिति के सुझाव से मनोरथ सिद्ध नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आशय कुछ सदस्यों की एक समिति का गठन करने का नहीं था । मेरा सुझाव तो केवल यही था कि गुटों के नेताओं के साथ थोड़े थोड़े समय पर विचार विमर्श कर लिया जाए और यह नेता अपने दल के सदस्यों को इसकी सूचना देदें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह तो सरकार को पहले ही करना चाहिये था । परन्तु अब जब कि संसद् का अधिवेशन चल रहा है इस पर चर्चा बहुत आवश्यक है । सारा देश चाहता है कि जवाबी कार्यवाही की जाए । हमें सारे देश को इस के लिये तैयार करना चाहिये । शिलोंग तथा कलकत्ता स्थिति पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास सक्रीय रूप से जासूसी का कार्य कर रहे हैं उन्हें रोकना चाहिये अथवा बन्द कर दिया जाना चाहिये । हम इस संबध में सरकार को उचित निर्देश देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने अन्य चर्चा पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया मैं तो स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण पूर्वसूचना की बात कर रहा था कि इस पर सदस्य कई प्रकार की बातें कहेंगे और हो सकता है कि स्थिति और पेचीदा हो जाए (**अन्तर्बाधाएं**) शान्ति, शान्ति ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas): The Government does not listen. What is to be done in that case?

One hon. Member: This can give size to more complications.

Shri J. R. Singh (Ghosi): Our country has been attached.

अध्यक्ष महोदय : हमें उत्तेजना में कोई निर्णय नहीं करना चाहिये ।

श्री जे० बी० सिंह : जब मुल्क पर हमला होता हो तो बहस न हो, यह कैसे संभव है ? हम इस पर उचित चर्चा चाहते हैं ।

Mr. Speaker: How to vacate aggression on the country has also to be thought about. They will not go back by starting here.

Shri Maurya (Aligarh): I object to your words that the decision of this House cannot vacate an aggression.

Mr. Speaker: Hon. Members should speak only when I ask them to do so. I have only to submit that this enthusiasm, this confusion will not achieve anything.

Shri Bagri (Hissar): Sir, sometime in the heat of the moment you also utter something which has wrong consequences.

Mr. Speaker: If that is so, I am sorry. I beg your pardon. Now you may continue what you have to say.

Shri Bagri: Sir, whatever happened in Kashmir, Kutch etc. is the result of Government's wrong policy. Such policies need change not shrounding. I, therefore want a regular discussion in the House.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): I may assure you sir, that if the adjournment motion is accepted, all the members will act with full responsibility towards their country and nation. Whereas the nation is prepared to do everything possible for the defence of the country the Government appears to back that determination. I mean that when Government know of the preparation and growing threat posed by Pakistan on Kutch border, what did they do on our post? Under these circumstances it is very necessary that a discussion should take place in the open session and not in a small Committee.

Mr. Speaker: Will the Government state whether they are prepared for a discussion on this matter?

Shri Brijraj Singh (Bareilly): I want to speak on behalf of my party.

श्री फ्रैंक एन्थनी : सरकार का मत जानने से पूर्व मैं कुछ शब्द जानना चाहता हूं ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्यों की भावनाओं के विचार से मुझे सभा में चर्चा होने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु विरोधी दलों के सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वह काफी संयम से काम लें और यद्यपि यह बैठक गोपनीय भी हो फिर भी राष्ट्रीय हित का सदा ध्यान रखा जाए और इस चर्चा के पश्चात् यह मामला बार बार सभा में न उठाया जाए ।

श्री नाथ पाई : यह तो सीमा की स्थिति पर निर्भर करता है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : परन्तु जब सैनिक कार्यवाही चल रही है तो निश्चय ही बार बार यह मामला सभा में उठाना जिस से और कठिनाइयां उत्पन्न हों वांछनीय नहीं है ।

Mr. Speaker: We are agreed about a discussion being held in the House. Would he like it to be held in an open session or a secret session.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : गोपनीय बैठक ।

अध्यक्ष महोदय : हम गोपनीय बैठक बुलायेंगे । यह बैठक कब बुलाई जाए ?

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायणसिंह) : हमें आप से एक स्पष्टीकरण चाहिये । समाचारपत्रों में इसकी कार्यवाही के छापने के बारे में क्या निर्णय है ?

श्री दाजी : हम गोपनीय बैठक बुला कर पाकिस्तान को अनावश्यक महत्व दे रहे हैं । स्थिति 1962 से तो अधिक गम्भीर नहीं है । तब भी खुला अधिवेशन हुआ था ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : क्योंकि कुछ सदस्यों का सुझाव था इसलिये मुझे गोपनीय बैठक बुलाने में कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु यदि सदस्य चाहते हैं कि गोपनीय बैठक न हो तो ...

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : गोपनीय अधिवेशन अधिक उचित होगा क्योंकि सेना कार्यवाही कर रही है और हम नहीं चाहते कि ..... (**अंतर्बाधाएं**):

अध्यक्ष महोदय : अब यह कठिनाई है कि विपक्ष की ओर से आने वाले सुझाव को सभा-नेता ने स्वीकार कर लिया है परन्तु बाद में राय में मतभेद हो गया है । कम से कम एक गुट के सदस्यों को अपने नेता की बात तो मान लेनी चाहिये ।

Shri Maurya: Others are being given a chance once again but I have not been given a chance. I am, therefore walking out.

(तब श्री मौर्य सदन छोड़ कर चले गए)

(Shri Maurya then left the House).

Shri Rameshwaranand (Karnal): On a point of order.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Other Members have been given a chance twice but we have not been called.

Mr. Speaker: Your leader was called but another question arose and the Prime Minister stood up.

Shri Onkar Lal Berwa: After Prime Minister, two more Members have also spoken.

Mr. Speaker: All right Shri Brijraj Singh may speak.

Shri Brijraj Singh: We had been warning the Government against Chinese aggression since 1952, but the Government ignored it and the consequences are before us. The nation has been cheated by the Government in not having vacated the aggression after declaring it. Now the situation is again being hidden in the name of secrecy. I, therefore, propose that everything must be discussed in the open session, so that the people might be able to catch the Government by the neck in the event of a drift.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मेरा निवेदन है कि क्योंकि औपचारिक रूप से गोपनीय बैठक के लिये कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया इसलिये इस पर निर्णय भी औपचारिक रूप से अन्तिम नहीं कहा जा सकता । दूसरे गोपनीय बैठक बुलाने से यह प्रभाव पड़ेगा कि भगदड़ मच गई है तथा कई ऐसी अफवाहें उठेंगी जो अधिकतर निराधार तथा हानिकारक होंगी । तीसरे गोपनीय बैठक संसद् की प्रतिष्ठा के भी अनुरूप नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि अधिवेशन खुला ही होना चाहिये **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति । श्री रामेश्वरानन्द ।

Shri Rameshwaranand: In order to elicit the support of the whole nation, the Government should place all the facts before the people. This is the question of national defence and therefore needs participation of the whole nation. Hence it should be discussed in an open session.

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, एक छोटी समिति वाला आपका सुझाव बहुत अच्छा था । गोपनीय बैठक का भी मैं दो कारणों से विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा करना अब व्यर्थ है । सरकार खुले अधिवेशन का सुझाव मान चुकी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : चर्चा सरकार द्वारा रखे गये एक उचित प्रस्ताव पर ही होनी चाहिए । स्थगन प्रस्ताव की चर्चा पर केवल $2\frac{1}{2}$ घंटे दिये जाते हैं। यह चर्चा 3 दिन तक चलनी चाहिये ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित एंग्लो-इंडियन) : इस सुझाव पर मैं श्री बनर्जी से सहमत हूं । यह विषय स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से कहीं अधिक गम्भीर है । प्रधान मंत्री जी को यह प्रस्ताव बुधवार को रखना चाहिये। हमें पाकिस्तान को पूर्व सूचना देनी चाहिये कि हम चीन तथा पाकिस्तान को मुंहतोड़ उत्तर देंगे ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा मैंने कहा मुझे खुले अधिवेशन पर कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु हमें अपने विचार इसी विषय-संबंधी व्यक्त करने हैं। सरकार की आलोचना बाद में भी की जा सकती है । हमें इस समय संसार को यह दिखाना है कि हम इस मामले पर एक हैं और संगठित रूप से लड़ेंगे ।

Shri Kishen Pattnayak: Shri V. K. K. Menon had to resign in similar circumstances in 1962.

श्री नाथ पाई : उन्हें स्पष्ट कहना होगा कि हम मुकाबला करने के लिए एक हैं वही गलती फिर से दोहराने के लिये नहीं । यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये (**अंतर्बाधा**)

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर): निजी अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि गोपनीय बैठक अधिक प्रभावी सिद्ध होगी ।

अध्यक्ष महोदय : बहुमत राय खुले अधिवेशन के पक्ष में है । स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि देश पर आक्रमण हो चुका है और सरकार शत्रु को पीछे हटाने में लगी हुई है । अब प्रश्न यह है कि चर्चा के लिए प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम प्रस्तुत करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : फिर चर्चा किस दिन होगी ?

श्री सय नारायण सिन्हा : बुधवार को ।

कुछ माननीय सदस्य : और समय ?

अध्यक्ष महोदय : समय का निश्चय इस समय नहीं हो सकता । समिति की बैठक बुला कर समय का निश्चय किया जाएगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : तीन दिन से कम का समय नहीं होना चाहिये ।

सभा पटलपर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता की वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4272/65]**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई-भत्ते की दरों का पुनरीक्षण करने संबंधी आदेश

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई-भत्ते की दरों का पुनरीक्षण करने वाले आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4273/65]**

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वर्ण सिंह ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : पिछले दिन जब मैंने मंहगाई भत्ते का प्रश्न उठाया था तो वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वह एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर एक वक्तव्य देंगे। अब जबकि उन्होंने विवरण सभा पटल पर रख दिया है तो उनको इसे पढ़ कर भी सुनाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह विवरण सभा पटल पर रख तो रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : भूत काल में जब भी मंहगाई भत्ते की घोषणा की जाती थी मंत्री महोदय विवरण पढ़ा करते थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के सदस्यों में वितरण का आदेश दूंगा।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, मैं वित्त मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि विवरण हमारे पास नहीं है ....

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि विवरण वितरित किया जाएगा **(अंतर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति । बिना बुलाये तीन, चार सदस्य बोलने लगते हैं। इस प्रकार तो सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती।

श्री नाथ पाई : यह ठीक है कि विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। परन्तु हमें उसके अध्ययन में समय लगेगा। हम तो यह अनुरोध कर रहे थे कि इस विवरण से उठने वाले प्रश्नों को पूछने का समय दिया जाए क्योंकि जब इतना महत्वपूर्ण विवरण सभा पटल पर रखा जाता है तो प्रश्न पूछना आम रीति में शामिल है।

चूंकि इस विवरण को पटल पर रखा गया है इसलिए हम ब्योरे नहीं जान सकते और इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं पूछ सकते। इस सम्बन्ध में प्रश्न बाद में पूछने की अनुमति दी जाये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में इस मामले का सम्बन्ध गृह-कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से है। जब मांगों पर चर्चा होगी तो माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में बोलने का अवसर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि वित्त मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिले तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इस मामले के लिए कोई अवसर दिया जाये ।

चीन को भारत सरकार के नोटों की एक प्रति

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं भारत स्थित चीन के दूतावास को दिये गये दिनांक 9 तथा 21 अप्रैल, 1965 के भारत सरकार के नोटों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० 4274/65]**

नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) विनियम

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (अनुशासन तथा विविध उपबन्ध) विनियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 6 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 2–ई में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 2 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 4-ई द्वारा शुद्धि की गई थी, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 4275/65]

प्रक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

छिहत्तरवां और इक्यीसवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बाहसाट) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के बारे में प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली के बारे में छिहत्तरवां प्रतिवेदन; और

(दो) राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसन्धान संस्था, करनाल तथा भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्था, आइजटनगर के बारे में इक्यासीवां प्रतिवेदन ।

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

RE: HALF-AN-HOUR DISCUSSION

खानवालों को जूतों की सप्लाई

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० मि० मालवीय): यह वक्तव्य देने लिए प्रार्थना के पश्चात् हमें यह सूचना मिली कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा करने के लिए एक सूचना गृहीत कर ली गई है और उसके लिए समय निर्धारित किया जा रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे उस समय वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह बहुत अनुचित है । यदि अब वक्तव्य दिया जाये तो वह आधे घंटे की चर्चा के समय लाभदायक होगा।

Mr. Speaker: The Minister may make the statement after two days. Half-an-hour discussion may take place afterwards.

अनुदानों की मांगें–जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

गृह–कार्य मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा होगी। श्री खाडिलकर।

श्री खाडिलकर (खेड) : श्रीमान्‌जी, मैं प्रशासन, सेवाओं तथा अन्य मामलों सम्बन्धी कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। इस मंत्रालय की सफलतायें निस्सन्देह उल्लेखनीय हैं।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

कलकत्ता, जमशेदपुर तथा रुड़केला में साम्प्रदायिक दंगों को दृढ़ता से दबाया गया है। जब मूल्य बढ़े तो गृह-कार्य मंत्री ने अपनी शतियों का प्रयोग किया और जमाखोरों तथा समाज-विरोधी तत्वों को ठीक मार्ग पर ले आये तथा 5,000 ऐसे लोगों को कारगार में डाल दिया गया।

यदि वामपक्षी साम्यवादियों को जेलों से बाहर रखा जाये तो सुरक्षा के लिये खतरे का प्रश्न उत्पन्न होता है। देश में इस प्रकार के कोई केन्द्र नहीं हैं जहां चीन में हो रही घटनाओं और वहां की परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सके।

इस सदन का एक भाग गृह-कार्य मंत्री द्वारा उठाये गये कुछ कदमों का विरोध कर रहा है ताकि वे कदम उतने प्रभावी न हो सकें जितने कि वे अन्यथा होने चाहियें।

योजना के मध्य कालीन मूल्यांकन से यह पता लगा था कि योजना की असफलता प्रशासनिक साधनों की असफलता के कारण हुई है। जब तक हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती तब तक हमारे प्रयत्नों का कोई लाभ नहीं होगा तथा हम किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकेंगे। प्रशासन में कमज़ोरी आ जाने के कारण हमारी योजनायें असफल हुई हैं। जब तक हम उसमें सुधार नहीं करते तथा उसका नवीकरण नहीं करते उस समय तक हम अपनी योजनाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

नौकरशाही वर्ग के लोग उन उद्देश्यों पर नहीं चलते जिन्हें हम ने अपने सामने रखा है। प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में वे पूरी भावना से काम नहीं करते। यदि इस सम्बन्ध में नौकरशाही अपना दष्टिकोण आप के दृष्टिकोण के अनुसार नहीं बनाती तो मेरे विचार में आपके गृह-मंत्रालय को सम्भालने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण गृह-कार्य मंत्रालय के हाथ में है। कहा गया है कि हम काश्मीर के एकीकरण के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय कर रहे हैं। मैं कई बार यह अनुभव करता हूं कि यह एकीकरण राजनैतिक स्तर पर है। अब समय आ गया है कि हम इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि सामाजिक एकीकरण कैसे हो सकता है।

प्रशासनिक सुधारों का प्रश्न लम्बे समय से निलम्बित है। इस दिशा में कुछ उपाय दिये गये हैं। समितियां नियुक्त की जाती हैं, सिफारिशें भी की जाती हैं परन्तु फिर कुछ नहीं होता है। प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाना चाहिये।

काफी समय पहले यह निर्णय किया गया था कि किसी सचिव को 4,000 रुपया वेतन नहीं दिया जाये। इस निर्णय को अभी तक लागू नहीं किया गया है ।

भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना चाहिये। संथानम समिति ने ठीक ही कहा है कि यदि आप भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहते हैं तो आपको राजनैतिक स्तर पर दृढ़ कदम उठाने चाहियें। श्री एस० जी० बर्वे ने कहा है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार मुख्यतः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनैतिक भ्रष्टाचार के कारण होता है । मैं गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के बारे में सन्देह दूर करने का हर प्रयत्न करें। इससे राष्ट्र के चरित्र में सुधार होगा ।

भाषा समस्या को बहुत सन्तोष तथा सावधानी से सुलझाया गया है । परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि स्वतंत्रता के 17 वर्षों के बाद भी हम कोई नीति नहीं बना पाये हैं। यदि उत्तर या दक्षिण में किसी प्रकार की भाषा लादने की भावना है तो इससे कोई प्रगति नहीं होगी। गृह-कार्य मंत्री को किसी प्रकार के दवाब में आ कर कार्यवाहीं नहीं करनी चाहिये। देश को इस मामले की सभी सम्भावनाओं तथा पहलुओं पर विचार करने दिया जाये। कोई भी निर्णय शीघ्रता में नहीं किया जाना चाहिये और न ही शीघ्रता में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये । जब तक भाषा के बारे में कोई नीति नहीं बन जाती पहले की स्थिति को जारी रखा जाना चाहिये ।

आज बहुत थोड़े मुख्य मंत्रियों को छोड़कर कोई भी भारत या भारत की समस्याओं की दृष्टि से विचार नहीं करता है । उनके विचारों में स्थानीय भावनायें भरी हुई है। ऐसे दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है । मैसूर-महाराष्ट्र विवाद पिछले दस वर्षों से लटक रहा है । अन्त में इसके परिणामस्वरूप हिंसा की कार्यवाहियां होंगी। देश में ऐसा विचार पाया जाता है कि जब तक कोई गम्भीर घटना न हो सरकार कार्य तथा निर्णय नहीं करती है। मैं गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि बिना और विलम्ब के इस मामले में कार्यवाही की जाये ।

श्री बैं० चं० पटनायक (ढेंकानाल): मैं सरकार का ध्यान देशी राजाओं महाराजाओं की निजी थैलियों के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। आय-व्ययक में इसके लिए 508.81 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । उनको इतनी बड़ी राशि देने के लिए सरकार के पास एकमात्र तर्क यह है कि उनके साथ वचन तथा समझौते किये गये हैं। निजी थैली स्वतंत्र लोकतंत्र की उपेक्षा है और समाजवाद के लक्ष्य के बिल्कुल असंगत है । छोटे देशी नरेश भी हमारे प्रधान मंत्री के वेतन से अधिक निजी थैली प्राप्त कर रहे हैं। भारत के प्रधान मंत्री को 2,500 रुपया प्रति मास मिलते हैं परन्तु जयपुर के महाराजा को 5,000 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। हैदराबाद के भूतपूर्व नवाब को 50 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार से और 25 लाख राज्य सरकार से मिलते हैं जोकि हमारे प्रधान मंत्री के वार्षिक वेतन से लगभग 300 गुणा है। जब हम देश के साधारण नागरिक की औसत दैनिक आय की तुलना 5,000 पये दैनिक प्राप्त करने वाले नरेशों से करते हैं तो निजी थैलियों के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । यह तर्क दिया जाता है कि ना नरेशों ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति का त्याग किया है । उन

[बैं० च० पटनायक]

राज्यों में से अधिकांश में शक्तिशाली प्रजामंडल आन्दोलन चल रहे थे और यदि वे त्याग न करते तो जनता उन्हें हटा देती । यदि यह काम स्वेच्छापूर्वक होता तो इन रियासतों के विलय में दो या तीन वर्ष क्यों लग जाते ? संविधान सभा में सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था कि यदि नरेशों के साथ समझौते न किये जायें तो उनकी शरारत तथा कठिनाई पैदा करने की क्षमता बहुत अधिक है । निजी थैलियों को बन्द करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही के एक निर्णय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87–ख के सम्बन्ध में, जिस द्वारा नरेशों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, यह निर्णय दिया है कि यदि 26 जनवरी, 1950 के बाद सभी नागरिक एक जैसे हैं तो इस धारा के कारण भूतपूर्व राजों महाराजों तथा शेष नागरिकों के बीच भेदभाव को स्थायी बनाना उचित नहीं है । सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उचित महत्व देना चाहिये और यह देखने के लिए उचित उपाय करने चाहियें कि निजी थैलियों का बोझ और बुराई समाप्त हो ।

यदि यह राजे निजी थैलियों का दावा करते हैं तो उन्हें राजनीतिक में भाग नहीं लेना चाहिये, राजनैतिक दलों को संगठित नहीं करना चाहिये और चुनाव नहीं लड़ने चाहियें ।

सामन्तों जैसे विचारों वाले देशी नरेशों ने कुछ बड़े व्यापारियों के साथ मिल कर स्वतंत्र दल बनाया है । यह दल स्पष्ट रूप से पश्चिम समर्थक नीति और सैनिक गठजोड़ों का समर्थन करता है । उड़ीसा के स्वतंत्र दल में सम्मिलित नरेश विशेष रूप से सत्तारूढ़ होना चाहते हैं । इनका वास्तव में संघर्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध नहीं है बल्कि कांग्रेस और उसके आदर्शों के विरुद्ध, भूमि सुधारों के विरुद्ध, लोकतंत्रात्मक प्रगति तथा समाजवाद के विरुद्ध है । (**अन्तर्बाधायें**) ।

उनके वक्ताओं ने केन्द्रीय जांच आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बढ़चढ़ कर कहा है परन्तु उड़ीसा की किसी सार्वजनिक सभा में उनकी बातों को सुनने के लिए अधिक लोग भी नहीं आते हैं ।

सरकार के लिए यह बात उचित होगी कि भूतपूर्व नरेशों द्वारा उनके शासनकाल में शक्ति के दुरुपयोग की जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करे और यह आयोग इस बात की जांच भी करे कि इन नरेशों ने भ्रष्ट साधनों से कितनी सम्पत्ति अर्जित की है और सरकार को ऐसी सम्पत्ति जब्त कर लेनी चाहिए ।

1963 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निजी थैलियां बन्द करने सम्बन्धी संकल्प पारित किया था । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति ने भी ऐसा ही संकल्प पारित किया है । 1963 में जयपुर में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन तथा भुवनेश्वर में हुए प्रसिद्ध कांग्रेस सम्मेलन ने भी निजी थैलियों का अत्यन्त विरोध किया है । यदि हम अपनी स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा समाजवाद के बारे में गम्भीर हैं तो निजी थैलियों का अन्त होना चाहिये ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : जहां तक गृह-कार्य मंत्रालय की क्रियान्विति का सम्बन्ध है, गत एक वर्ष को एक अन्धकारपूर्ण वर्ष समझा जा सकता है । जब गृह-कार्य मंत्री ने इस मंत्रालय का कार्य-भार सम्भाला था तो उन्होंने घोषणा की थी कि यदि वह दो वर्ष के अन्दर अन्दर भ्रष्टाचार का उन्मूलन न कर सके तो वह त्याग-पत्र दे देंगे, परन्तु बाद में उन्होंने इस में कुछ परिवर्तन किया और कहा कि वह दो वर्ष के अन्दर इस देश में इस सम्बन्ध में एक धारणा बनायेंगे और यदि वह ऐसा न कर सके तो त्याग पत्र दे देंगे ।

हाल ही में मैं ने बार काउंसिल आफ इंडिया के प्रधान श्री सीतलवाड का एक लेख पढ़ा था । उसमें उन्होंने बताया है कि अपने देश में भ्रष्टाचार की क्या हालत है । वह कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिये तो एक आचरण संहिता है और उनको कुछ भी दण्ड दिया जा सकता है । परन्तु मंत्रियों के लिये कोई आचार संहिता नहीं है और भ्रष्टाचार अब न्यायपालिका में भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है ।

आगे चल कर उन्होंने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का भी उदाहरण दिया है जिसने अपनी आयु गलत बताई है। श्री सीतलवाड की इन बातों से भ्रष्टाचार समाप्त करने में गृह मंत्रालय की असफलता का पता चलता है।

हमारे सामने मुख्य समस्या उच्च स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर भ्रष्टाचार दूर करने की है। इस संबंध में सन्थानम समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रपति द्वारा एक राष्ट्रीय नामिका की नियुक्त होनी चाहिये और उन में से, जब भी किसी मंत्री के विरोध में कोई आरोप लगाये जायें, जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

हम जानते हैं कि सरकार ने ऐसे मामलों में क्या किया । सरकार ने इन सब मामलों में पक्षपात किया है । केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के मामले में गंभीर आरोप लगाये गये थे। परन्तु क्या हुआ। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला दिया और भूतपूर्व मुख्य मंत्री को पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया । अलबत्ता केरल के लोगों ने इस बात को चुनावों में दोबारा लिया और उन्होंने अपना फैसला मुख्य मंत्री के विरुद्ध दिया । वह एक पृथक मामला है । परन्तु, यह एक स्पष्ट मामला था ।

हम जानते हैं कि भूतपूर्व वित्त उपमंत्री के विरुद्ध एक प्रत्यक्ष मामला था । महान्याय-वादी की इच्छा थी कि मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जानी चाहिये । वह मामला एक मंत्री को सौंप दिया गया था । और उन मंत्री महोदय ने फैसला दिया कि उपमंत्री दोषी नहीं थीं । सरकार इस प्रकार लोगों को बुद्धू बनाना चाहती है ।

श्री नन्दा निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को दूर करने का अधिक प्रयत्न कर रहे हैं । वास्तव में समस्या का पहलू दूसरा है । सन्थानम समिति ने कहा है कि हमें हमारे युवकों में आदर्शवाद और देशभक्ति की भावना पैदा करनी है । श्री नन्दा को भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक आन्दोलन आरम्भ करना चाहिये । स्वयं सदाचार समिति में ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो व्यक्ति इस समिति में ऊंचे पदों पर हैं वे अपने निजी हितों के लिये अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं ।

[श्री वासुदेवन नायर]

सदाचार समिति का एक व्यक्ति पिछले 7–8 वर्षों से लगभग 200 दुकानदारों से अपनी जगह खाली कराने के लिये प्रयत्न कर रहा है । पहले तो उस व्यक्ति ने उन दुकानदारों से मोटी मोटी पगड़ी ले ली और न्यास बनाने के बहाने से उनसे वह दुकानें खाली कराना चाहता है । वह सदाचारी है । प्रशासन उसकी बात को महत्व देता है । इस प्रकार की बातें ये सदाचारी करते फिरते हैं । क्या यह सच नहीं है कि वह व्यक्ति दिल्ली में भारत सेवक समाज का गवर्नर है । क्या देश के गृह मंत्री के लिये ऐसे व्यक्ति से गहरे संबंध रखना शरम की बात नहीं है । उन दुकानदारों ने श्री नन्दा को लिखा भी है । मैं नहीं समझता कि श्री नन्दा ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की हो । यदि हम इस सामाजिक आन्दोलन को देश के लोगों के लिये उपयोगी बनाना चाहते हैं तो इस संगठन में उचित व्यक्तियों को रखना चाहिये ।

केरल के मामले में गृह मंत्रालय को बड़ी असफलता मिली है । केवल केरल में ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी गैर-कांग्रेसी सरकारें होने वाली हैं । मैं इसकी चेतावनी देता हूं । सरकार अपने कर्तव्यों को ठीक तरह निभा नहीं रही है । सरकार पूंजीवाद को इस देश में ला रही है । सरकार की अपनी गलतियों के कारण भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है । यही कारण है कि यहां के लोग कांग्रेस सरकार को पलटने का प्रयत्न कर रहे हैं । जो केरल में हुआ है वही अहमदाबाद में भी हो रहा है । सरकार को इसके लिये तैयार होना चाहिये ।

सरकार ने केरल में भारत प्रतिरक्षा नियमों का सहारा लेकर विपक्षी दल को दबाने का प्रयत्न किया । अब तक सरकार एक भी मामले में नजरबन्द व्यक्तियों का दोष नहीं बता सकी है ।

एक व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि वह गुरीला युद्ध पर क्यूबा के एक नेता की पुस्तक पढ़ रहा था । क्या सरकार यह समझती है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों का सहारा ले कर भावनाओं और विचारों से लड़ा जा सकता है यह उनकी भूल है । लोग सरकार की इस चाल को समझते हैं । सरकार ने केरल के वामपन्थी साम्यवादियों को देशद्रोही कहा । परन्तु सरकार अभी तक एक भी मामले में दोष नहीं बता सकी है । कई बार हम ने इस सरकार को चुनौती दी है । परन्तु, वह कह देते हैं कि यह लोकहित में है और एक भी मामले में मुकदमा नहीं चला सकते । सरकार उनको रिहा करना नहीं चाहती । वे उन्हें जेल में रखना चाहते हैं । श्री गोपालन ने 20 फरवरी को जेल से प्रो० मुकर्जी को पत्र लिखा था । उस पत्र पर जेल के सुपरिंटेंडेंट के हस्ताक्षर हैं । वह पत्र प्रो० मुकर्जी को 9 अप्रैल को मिला । क्या केरल से दिल्ली तक पत्र के आने में इतना समय लगता है ।

कई व्यक्तियों ने जो कि बीमार हैं या मर रहे हैं, पैरोल साक्ष्य पर रिहाई के लिये प्रार्थना की थी । परन्तु उनको छोड़ा नहीं गया । महिला नजरबन्दियों को दिन के समय भी एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता है । एक जेल में केवल एक ही महिला नजर-

बन्द है और उसे सारा समय अकेले रहना पड़ता है । मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिये ।

जहां तक मुझे ज्ञात है वहां पर 141 कैदी हैं । हाल ही में केरल सरकार ने उनको 50 रु० प्रति मास के हिसाब से भत्ता दिया था, परन्तु वह भी केवल 54 कैदियों को । शेष कैदियों को भत्ता क्यों नहीं दिया गया है । गृह मंत्री ने मुझे एक दिन बताया था कि गुजरात राज्य में 175 रु० प्रति मास की दर से भत्ता दिया जाता है । सरकार को उनके साथ मानवीय सलूक करना चाहिये ।

हाल ही में पुलिस ने कोचीन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया । चाय की एक दुकान पर एक छोटी सी लड़ाई थी और 35 वर्ष के एक व्यक्ति को जिसका नाम श्री कुंजु मोहम्मद था गिरफ्तार कर लिया गया था । अगले दिन वह अस्पताल में मर गया । इन सदाचारियों के राज में ऐसा होता है । डाक्टर ने कहा था कि अधिक मारपीट के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी । श्री नन्दा को इस पर शरम आनी चाहिये कि एक व्यक्ति को जेल में बन्द कर दिया जाता है और वहां पर ही उसे मार दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे पुलिस अधिकारियों के बारे में क्या किया है । केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी बदली कर दी जाती है । यह तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है ।

जमशेदपुर में एक संसद् सदस्य डा० यू० मित्र के साथ एक सब डिवीजनल आफिसर के स्तर के अधिकारी ने बहुत बूरा सलूक किया । समय की कमी के कारण मैं इस मामले में विस्तार में नहीं जाना चाहता ।

हमारी सरकार नौकर शाही के पुराने तरीकों पर चल रही है । लोगों को जो सिविल स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये वह नहीं दी गई है । यदि भारत प्रतिरक्षा नियमों का उपयोग चोर बाजारी करने वालों, मूनाफाखोरों और जमाखोरों के विरुद्ध किया गया होता तो वह एक उचित बात होती, परन्तु श्री नन्दा तो बिड़ला की बुराइयों को ढांकने के लिए उसके साथ कलकत्ता भागे फिरते हैं । शायद आप ने इस फोटो को देखा होगा । यदि सरकार वास्तव में देश के लिए कुछ करना चाहती है तो इन सब बुराइयों को दूर करना चाहिये ।

अब मैं गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने के प्रश्न को लेता हूं । कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य पुर्तगाली राज के समर्थकों द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेते हैं । वे लोग गोआ को एक अलग एकक बनाये रखना चाहते हैं । गोआ को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए सरकार शीघ्र कदम क्यों नहीं उठाती है ?

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इन्हीं गलत तरीकों पर चलती रहेगी तो हम इसका विरोध करते रहेंगे ।

Shri Siddheshwar Prasad (Nalanda): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the demands of the Ministry of Home Affairs.

The hon. Home Minister has done commendable work in the last few years. The people were now having faith and confidence

[Shri Siddeshwar Prasad]

in the Government and we are now in position to face any situation and solve any problem in the future.

Government have taken many bold steps for the merger of Kashmir in India, although Article 370 of the constitution could not be enforced there. I hope soon the atmosphere will be made for this. Now the Prime Minister of that place is called the chief Minister.

Pakistan has occupied 3 miles of our territory in Kutch. I hope the Home Ministry will soon fulfil his assurance and get that area vacated.

Now I come to bureaucracy and corruption. James coule has written like this in the London Note Book Columns under the heading "Bound in Red Tape":

> "लालफीताशाही सभी स्तरों पर विद्यमान है। हाल ही में लन्दन के एक समाचर पत्र का फोटोग्राफर हैम्पटन कोर्ट पैलेस के एतिहासिक टैनिस कोर्ट का एक चित्र लेना चाहता था। वह अनुमति प्राप्त करने के लिए क्लब के सचिव के पास गया। सचिव ने कहा कि आप को तो पास की आवश्यकता होगी। वह पास के लिए हैम्पटन कोर्ट के अधीक्षक के पास गया। उसने किसी और अधिकारी का नाम ले दिया और और ने किसी और का। आखिर उस फोटोग्राफर को चित्र लेने का ख्याल छोड़ना ही पड़ा।"

The Home Ministry have so far appointed move than 60 committees for the eradication of corruption and red-tapism. But these have yielded no result. For this we will have to bring a fundamental change in our approach to the problem. We cannot tackle it in the way the Britishers are trying. We should appoint a high powered Commission like the Hoovers' Commission of U.S.A. with broad terms of reference if we want to achieve any measure of success.

For fighting corruption we should appoint a man with the concurrence of all the political parties. That man should be above party politics. No one should doubt his integrity. He should be given wide powers. Corruption is not only in our country. It is in other countries also. We should think over the question of appointing an Ombudsman as in Scandinavian countries.

The Government should effect necessary improvements in the administrative set-up from Panchayats level to the Ministry's level so that we can achieve our five year plan targets.

Regarding the question of language Mahatma Gandhi once said that it could be very convenient for the State Government's to conduct their business in regional languages and added that the more it would be delayed the more it would damage the culture of the nation. This argument is futile and it only shows our inertia that we will require some years for the changeover. We should throw away the yoke of English language as we did with the yoke of slavery. I hope the Government will keep in view the ideals of Mahatma Gandhi while taking decision on this question.

Shri R. G. Dube (Bijapur-North): While considering the demands of the Ministry of Home Affairs we should give greatest importance to national solidarity, unity and emotional integrity faced as we are with a critical situation created by the attack on our country by Pakistan.

Shri Nanda has given great attention to our internal defence on internal security. When Kanjurkot was attacked he personally went there. He viewed the conditions there and handed over the area to the army.

The language issue was decided as early as 1924, in which year in the Nagpur session of the congress, attended by Mahatma Gandhi, Jawahar Lal Nehru, Sardar Patel and perhaps Shri Rajgopalachari, the language policy was clearly enunciated and Hindi was given the place of State language.

In 1964 the Chief Ministers' conference was held in which this question was elaborately discussed. But in spite of that there was some misunderstanding in Madras and Southern areas. The reason for this is that in the last 15 years we did not take necessary steps for the publicity and propagation of Hindi which we ought to have taken. The three-languages formula suggested by Prime Minister and Congress President can solve this problem.

The constitution should not be amended. The question of amending the Official Language Act should be left to the Government. But nothing should come in the way of Hindi. Some time-lag should be given to meet the psychological crisis in the South.

Now the I.A.S. Officers do not have those qualities which the I.C.S. Officers possessed. One I.A.S. Officer came to a Block in our District. He did not know the difference between crops and trees. We do not find the maturity of judgement and of mind in the I.A.S. Officers.

In the British regime an I.C.S. Officer was given the charge of the District after he had put in about 8 years of service. But now we see that I.A.S. Officers are given the charge of the Distt. after 4 years. There seems to be some fundamental defect in the selection system of I.C.S. Officers.

On the question of Kashmir we are showing great anxiety but we do not give due attention to the problems of Easter frontier and West Bengal and Assam. In this way Assam will some day slip out of our hands.

So far as the Naga problem is concerned, I do not think that it can be solved peacefully, because Nagas will not agree to it. If this problem is not solved, the task of the military will become very difficult. Apart from that there is the problem of Mizo Hills also. The problems of the people of Assam are very complicated which this House should consider.

Out of the minorities of 2 crores of people in East Pakistan 90 lakhs have arrived in India. In view of this I suggest that while

[Shri R. G. Dube]

considering the question of Kashmir this problem of infiltration in Assam and West Bengal should be tagged with this question. Two year's time should be given to the minorities of East Pakistan and West Bengal for mutually changing their places. After transferring their properties and assets, the question of giving them compensation should be decided. The 90 lakh persons who have already come here should be given compensation.

Shri Nanda has put a new life in his Ministry by introducing administrative reforms. But not such progress has been made at District and Tehsil level. There are grave faults in administration at this level which should be remedied.

Shri Onkar Singh (Badayun): The Government is not giving requisite attention to the security measures. Shri Sanyal, the Solicitor General of India was murdered in the capital itself. It is a matter of shame that our Solicitor General was murdered at a place which is in the neighbourhood of the bungalows of the Speaker, the Home Minister, the Prime Minister.

Another was the murder of Sardar Pratap Singh Kairon, the Chief Minister of Punjab. When he resigned from the Chief Ministership several allegations were made against Shri Kairon. But Government never cared to keep a watechful eye on them. While Shri Kairon was going back from Delhi his car was stopped in the way and he was murdered. The culprits have not so far been brought to book.

The question of Pakistani intruders in Assam is hanging fire for several years. They are coming in lakhs. Government have promised several times to push them out but has done nothing so far.

The C.B.I. Report regarding the Orissa Ministers, a very confidential document, leaked out and got into the hands of the public. Government cannot stop leaking even the confidential records.

The Government have not so far been able to create peace in Nagaland. A great number of Nagas are receiving military training in Pakistan and are coming back to India with Pakistani arms. They are creating fear for those people who are supporters of India in Nagaland. Government should stop the activities of the rebellious Nagas.

There was disorder in Kashmir and yet Sheikh Abdullah was released and permitted to go abroad. Now he is threatening us and making propaganda against India. This shows the weakness of the Government.

Regarding the language, it had been provided in our constitution that upto January, 1965 English would be the Official language of the country and after that Hindi. But two years before the expiry of that period an amendment was made that English would further continue. Government is not sticking to its policy and making changes in that which go against the interest of Hindi.

Pakistan attacked India with a great force. Thousands of Pakistani intruders are there in Assam. The Government should keep watch on them.

श्री विद्या चरण शुक्ल (महारामंद) : 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद देश में जो कार्य हुआ है वह सराहनीय है। उदाहरणार्थ, हम ने अपना संविधान बनाया। हमने पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा विकास के तरीके को अपनाया। देश में स्वतन्त्र चुनाव की व्यवस्था की। देश में भारी औद्योगिक विकास की नींव रखी। और भी बहुत से कार्य किये हैं।

यह स्वभाविक ही है कि जब हम थोड़े से समय में सदियों का विकास करना चाहते हैं तो हमारे सामने जटिल समस्याएं पैदा हो जाती हैं। श्री जलावाहरलाल नेहरू के सामने इन समस्याओं का मुकाबला करना कुछ सरल था।

यदि हम पिछले कुछ वर्षों के कार्य को देखें तो हमें बता लगेगा कि गृह-मंत्रालय ने बहुत अच्छा कार्य किया है।

जो अच्छे कार्य किये जाते हैं उन्हें लोग जल्दी भूल जाते हैं हज़रतबल की घटना जब घटी थी उस समय गृह-मंत्रालय ने बड़ी कुशलतापूर्वक कार्य किया था जिसके फलस्वरूप देश में जो कुछ इस घटना के कारण होने वाला था टल गया।

गृह-मंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो धर्मयुद्ध छेड़ा है उससे उनके कई शत्रु पैदा हो गये हैं। चूंकि उसने चोर बाजारी करने वालों, मुनाफाखोरों तथा राष्ट्रीय शत्रुओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का सूत्रपात किया है, इसलिये यहां पर माननीय सदस्यों ने भी उस के विरुद्ध लांछन लगाये हैं। इस बात का हमें बड़ा दुःख है कि माननीय तथा पुराने सदस्य, श्री आचार्य कृपालानी भी इन सदस्यों में से एक हैं। पता नहीं उनके. विचार हमेशा प्रतिक्रियावादी क्यों होते हैं। हमने देखा है कि पिछले वर्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस आन्दोलन से शासन के तीन मुखियों को लुढ़कना पड़ा। केन्द में सतर्कता आयोग तथा ऐसे ही निकाय राज्यों में भी स्थापित किये गये। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस धर्मयुद्ध के परिणाम भले ही जल्दी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, परन्तु मुझे पूर्ण आशा है कि आगामी कुछ वर्षों में इन प्रयत्नों के परिणाम अवश्य दिखाई देने लग जायेंगे। इस मंत्रालय ने बहुत अच्छे कार्य किये हैं। उदाहरणार्थ जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारत संघ में मिलाने के लिए गृह-मंत्रालय धीरे धीरे और कितनी कुशलता से कार्य कर रहा है। आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध रूप से आने को किस प्रकार प्रभावशाली तरीके से रोका है और हज़ारों लोगों को उन की जांच करने के पश्चात् वापिस पाकिस्तान भेजा है। सीमान्त क्षेत्रों तथा आसाम में गृह-मन्त्रालय द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये उन्हें बधाई दी जानी चाहिये।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में मुझे यह शिकायत है कि हालांकि हम सब ने इसको स्वीकार किया है कि कुछ प्रशासनिक सुधार किये जाने चाहिये, परन्तु खेद है कि इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये प्रशासनिक सुधारों सम्बन्धी विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने केवल इधर उधर कुछ प्रशासनिक समायोजन ही किया है जिससे प्रशासन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आज हमें प्रचलित प्रक्रियाओं में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम अब भी एक दूसरे से इस भावना से व्यवहार करते हैं कि किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इस लिये नियंत्रण तथा प्रति नियंत्रण होना चाहिये जब भी कोई कार्यवाही करनी हो। यह सिद्धान्त बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे न केवल शासकीय कार्य को निपटाने में बहुत बिलम्ब ही होता है परन्तु इससे कई ऐसी प्रतिक्रियायें उत्पन्न होती हैं जिससे चुनाव भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता है।

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

वर्तमान प्रणाली ऐसी है जिसमें बड़ी बड़ी त्रुटियां करने वाले बड़े अधिकारी तो बच जाते हैं और केवल छोटों को ही इन के लिये दण्ड दिया जाता है । हमारे प्रशासनिक ढांचे में जो यह धारणा समा गई है इसको दूर किया जाना चाहिये । यह धारणा भी गलत है कि हमारे लोग बेईमान हैं और वे उत्तरदायित्वों को नहीं निभा सकते । यह बिल्कुल गलत है । मैंने कई समुन्नत देशों का भ्रमण किया है और जो मुझे अनुभव हुआ है उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से यह कह सकता हूं कि हमारे लोग संसार के किसी भी देश के लोगों की तुलना में कम ईमानदार तथा कम उत्तरदायी नहीं हैं। यदि हम लोगों को स्वास्थ्य वातावरण में काम करने का अवसर दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपनी ज़िम्मेदारी को अन्य देशों के लोगों की तरह पूरी ईमानदारी से निभायेंगे । अतः मेरा सुझाव यह है कि प्रशासनिक ढांचे में स्वस्थ धारणायें तथा स्वस्थ प्रवृतियां उत्पन्न करने की आवश्यकता है । यह मामला हमारे समक्ष 1906 से रहा है । तब से अब तक कई समितियां और कई आयोग बनाये गये और उन्होंने कई प्रतिवेदन प्रस्तुत किये परन्तु हमने उन प्रतिवेदनों का कोई उपयोग नहीं किया, क्योंकि निहित हित रखने वाले इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने दे रहे हैं । जो कुछ भी वे करना चाहें करते हैं उन पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है; मानो उनको ऐसा करने का एकाधिकार प्राप्त है । सभी विकासशील देशों जैसे अमरीका, कनाडा तथा ब्रिटेन में प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी आयोगों की नियुक्ति की गई । परन्तु इन देशों ने उन आयोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों से पूरा लाभ उठाया है । अतः मेरा सुझाव यह है कि हमें भी एक उच्च-शक्ति प्राप्त तथा दक्ष आयोग की स्थापना करनी चाहिये जो प्रशासनिक सुधारों के बारे में एक व्यापक योजना तैयार करे जिससे हम लाभ उठा कर अपनी योजनाओं को उचित रूप से क्रियान्वित कर सकें । मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मंत्री जी इस मामले के महत्व को समझते हुए इस सम्बन्ध में कुछ घोषणा करेंगे, ताकि देश को संतोष हो ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : श्रीमन्, हाल ही में कलकत्ता में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में दिये गये वृतांत से यह स्पष्ट है कि सरकार पूंजीपतियों को, जो उनके वास्तविक मालिक हैं, शान्त तथा संतुष्ट करने के लिए कहां तक आगे बढ़ सकती है । 10 अप्रल को श्री नन्दा जी हवाई जहाज़ द्वारा बिड़ला की उत्तेजना को शान्त करने के लिए कलकत्ते गये । वहां वह यह बताने के लिए गये थे कि कांग्रेस के समाजवाद से इस देश में गैर-सरकारी पूंजी तथा एकाधिकार के विकास में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : समाचारपत्रों में छपे इन समाचारों का मैंने पहले ही खंडन कर दिया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री को, जो उन्हें हवाई अड्डे पर लेने आये थे, बताया कि उन्हें श्री बिड़ला से गैर-सरकारी बातचीत करनी है । अतः वह उनके साथ उनकी कार में बैठ कर नहीं जा सकेंगे । यह समाचार पत्रों में छपा है । इसीलिये तो श्री सतीश चन्द्र दास गुप्त को एक लेख में कहना पड़ा कि देश में प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है । 30 दिसम्बर को लगभग 1000 साम्य-वादी दल के नेताओं तथा श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया गया । इस बारे में एक विवरण, में जोकि लोक सभा के पटल पर रखा गया था, कहा गया है कि यह गिरफ्तारियां देश की सुरक्षा के लिये की गई हैं, परन्तु इसके पश्चात् की घटनाओं से सिद्ध हो गया है कि सरकार का यह दावा सरासर झूंठा है । इसलिये सरकार एक भी मामले को न्यायालय में ले जाने से घबराती है । अब भी मैं गृह-कार्य मंत्री को सलाह दूंगा कि इस मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिये और सभी राजनैतिक नेताओं

तथा मजदूर संघ के श्रमिकों को मुक्त कर देना चाहिये । यदि वह ऐसा नहीं करना चाहते तो उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वह किसी भी नज़रबन्द की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के बारे में कम से कम एक मामले को न्यायालय में ले जाय । श्री मुसाफिर अहमद को, जिसकी आयु 76 वर्ष की है और जो कोई कार्य भी नहीं कर सकता, झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया है । इसी प्रकार श्री बी० टी० रानादीव को 1962 से जेल में रखा हुआ है । यह व्यक्ति कई रोगों का शिकार हो चुका है, फिर भी उसे मुक्त नहीं किया जा रहा है । श्री सुशोभन राय को, जिसने खुले आम कह दिया था कि उसने राजनीति को तिलांजली दे दी है, बिना किसी बात के जेल में डाल दिया गया है । पश्चिमी बंगाल में जेलों की दशा निन्दनीय है । वहां कैदी भूख हड़ताल करने का विचार कर रहे हैं ताकि उनसे मानवता का व्यवहार हो । इससे तो कहीं अधिक सुविधायें उन कैदियों को दी जाती थी जिनको ब्रिटिश शासन में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता था । 7.50 रुपये जो उन्हें मासिक खर्चे के लिये दिये जाते हैं, बहुत कम हैं । जेलों में समाचार-पत्रों को ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है । पुरलिया जेल में रेडियो नहीं ले जाने दिया गया । क्या मैं पूछ सकता हूं कि डा० सारादीश राय को रेडियो रखने के अधिकार से वंचित क्यों किया गया है ? पत्र-व्यवहार करने की उचित सुविधाय नहीं हैं । कभी पत्र पहुंचते ही नहीं उन्हें वहीं रोक लिया जाता है । गृह-मंत्री को कोई ऐसा विधान बनाना चाहिये जिससे सभी राज्यों में सभी राजनैतिक कैदियों से समान व्यवहार हो । कहीं पर तो परिवार सम्बन्धी भत्ता 50 रुपये दिया जाता है तो कहीं 30 रुपये और कहीं 75 रुपये । सरकार को इस प्रकार की असमानता को बन्द कर देना चाहिये । श्री सुशोभन राय को, जिसका उल्लेख अभी मैंने किया है, 55 रुपये मिलते हैं जिसमें से उनकी पत्नी को 45 रुपये तो मकान का किराया ही देना पड़ता है । वह कैसे निर्वाह करे । इन साधारण परन्तु गम्भीर बातों पर विचार किया जाना चाहिये और इनके बारे में कुछ किया जाना चाहिये । श्री दशरथ देव तथा श्री बीरेन दत्त को केवल इसलिये गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वे त्रिपुरा में निहित हितों द्वारा अवैध रूप से किसानों के निष्कासन के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे । श्री दशरथ देव को त्रिपुरा के लोगों ने तीन बार अपना प्रतिनिधि चुना है तो वह राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकते हैं ।

भ्रष्टाचार हमारे जीवन के हर क्षेत्र में घर कर गया है । भ्रष्टाचार के मामलों को निपटाने में भिन्न भिन्न रवैये अपनाये जाते हैं । मंत्रियों तथा बड़े बड़े अधिकारियों के लिये तो एक रवैया है तो विचारे क्लर्कों के लिये दूसरा रवैया । इस भेद भाव को मिटाना चाहिये । हालांकि गृह-मंत्री ने भ्रष्टाचार को दो वर्षों में समाप्त करने का आश्वासन दिया था और कहा था कि यदि वह दो वर्षों में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर पायेंगे तो वह त्याग-पत्र दे देंगे । परन्तु अभी भी सभी विभागों तथा सभी राजनैतिक तथा सामाजिक स्तरों में भ्रष्टाचार है । मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय अपना आश्वासन कैसे पूरा करेंगे । गृह-मंत्री को भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये साहसपूर्ण नीति अपनानी चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय सदस्य ने, जो अभी बोल के हटे हैं, गृह-कार्य मंत्री की हाल ही की कलकत्ता यात्रा तथा जो कुछ उन्होंने वहां कहा, उसके बारे में समाचारपत्रों में छपे समाचारों का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री ने इन समाचारों का खण्डन कर दिया है और वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बड़े उद्योगपतियों से राजस्व लेने के बारे में हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । इसके बावजूद भी यदि को अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न करता फिरे तो उसका कोई इलाज नहीं है ।

मुझे पूर्ण आशा थी कि जब आचार्य कृपालानी जी बोलेंगे तो वह गृह-कार्य मंत्रालय से संबंधित किसी समस्या को हल करने का प्रयत्न करेंगे, परन्तु उन्होंने तो केवल वर्तमान तथा भूतपूर्व मंत्रियों

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

की चर्चा के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर कोई बात ही नहीं कही । मैं आचार्य कृपालानी द्वारा कही गई अधिकांश बातों से सहमत नहीं हूं । मैं गृह-कार्य मंत्री से यह कहूंगा कि उन्हें सभी गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों से अपना सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिये, चाहे यह भारत सेवक समाज है, चाहे यह साधु समाज है और चाहे यह सदाचार समिति है । परन्तु मैं इन संगठनों के विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि यह तो बहुत उपयोगी योगदान दे रहे हैं । इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार इनको सहायता देती है । परन्तु मैं यह चाहता हूं कि किसी मंत्री का इन से सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । इन संगठनों में की गई अनियमितताओं के लिये गृह-मंत्री को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराने का कोई कारण नहीं है ।

मेरे विचार में अत्याधिक महत्वपूर्ण समस्यायें जो हैं वह हैं देश की आन्तरिक सुरक्षा, सीमाओं पर प्रबन्ध तथा अपने प्रशासन को सुदृढ़ बनाना । पाकिस्तान तथा चीन के नापाक इरादों से उत्पन्न हुई सीमाओं पर स्थिति से निपटने के लिये सेना ही काफी नहीं है, अपितु इससे असैनिक प्रशासन पर भी बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है । देश में जासूसों के गिरोहों को तोड़ना, तोड़ फोड़ करने वालों पर नज़र रखना तथा सारी स्थिति को भांपने के लिए एक त्रुटिपूर्ण आसूचना प्रणाली को स्थापित करना, यह सब कार्य असैनिक प्रशासन द्वारा किये जाते हैं जोकि देश की सुरक्षा के लिये बहुत आवश्यक हैं । गृह-कार्य मंत्रालय को किसी भी गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये । राजस्थान सीमाक्षेत्र में हमने सड़कें नहीं बनाई हैं । वहां पर हमने कोई तैयारी नहीं की है । परन्तु उस क्षेत्र में इतनी गड़बड़ नहीं होती है । गड़बड़ तो अधिक काश्मीर तथा मनीपुर में होती है । क्या गृह-मंत्री जी मनीपुर तथा त्रिपुरा में किये गये प्रबन्धों से सन्तुष्ट हैं ? क्या वह वहां पर किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं ? नागालैंड के बारे में मनीपुर और त्रिपुरा से आने वाली रिपोर्टें से हमें बड़ी खिन्नता होती है । हमें नागालैंड की समस्या को यथासम्भव शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयत्न करना चाहिये, परन्तु वहां के शासन को बिल्कुल शिथिल नहीं कर देना चाहिये । आसाम सीमा क्षेत्र के बारे में हमें बताया जाता है कि कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता । यह गृह-कार्य मंत्री का कर्त्तव्य है कि वह ऐसे ठोस कदम उठायें जिससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा न रहे । हमने गृह-कार्य मंत्री को इन मामलों में एक तानाशाह से भी अधिक शक्तियां दे रखी हैं और इसके बावजूद भी यदि वह देश की सुरक्षा के लिये संतोषजनक प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे तो फिर उनको कोई भी नहीं बख्शेगा ।

भारत प्रतिरक्षा नियमों का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है । खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में 12,000 से भी अधिक लोगों को बन्दी बना लेना बहुत ही अनुचित बात है । यदि सरकार इस प्रकार अविवेकपूर्ण ढंग से इन शक्तियों का दुरुपयोग करती रहेगी तो लोगों का कानूनों में विश्वास नहीं रहेगा और कानून और व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाई होगी ।

मैं अपने माननीय मित्र, श्री शुक्ल की इस राय से सहमत नहीं हूं कि गृह-कार्य मंत्री ने प्रशासनिक सुधारों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं किया है । मेरे विचार में उन्होंने इस बारे में कुछ रचनात्मक कदम उठाये हैं जो कि इस मामले में आधार रूप के हैं । उन्होंने प्रशासनिक सुधार डिविज़न स्थापित की है, परन्तु जो कुछ अभी किया गया है वह पर्याप्त नहीं है । श्री शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि हमारी कार्यप्रणाली में आमूल तथा क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । हम यह भी नहीं जानते हैं कि केन्द्र तथा राज्यों में सम्बन्ध कैसे होने चाहिये । राज्यों द्वारा केन्द्र को काफी अनावश्यक कार्य

भेजा जा रहा है। अधिकांश राज्यों में सचिवालयों ने अनावश्यक रूप से कार्य बढ़ा लिया है, जिसके फलस्वरूप कार्यों को निपटाने में काफी विलम्ब हो जाता है। सचिवालयों के कर्मचारियों की संख्या एक तिहाई की जा सकती है। इसके लिये हमें एक व्यापक आयोग स्थापित करना चाहिये जो इन सभी मामलों की पूरी पूरी जांच करे, क्योंकि जब तक हमारे सामने समूची तस्वीर नहीं होगी तब तक हम बहुत कुछ नहीं कर पायेंगे। अध्ययन दल जो बनाये गये हैं उन्होंने कुछ कार्य अवश्य किया है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले तो गृह-कार्य मंत्रालय के लिये अध्ययन दल की नियुक्ति की जानी चाहिये थी क्योंकि यदि यह मंत्रालय अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकेगा तो अन्य मंत्रालयों की कार्यप्रणाली में अपने आप ही सुधार हो जायेगा। पुलिस उसी प्रकार पुराने ढंग से अपने कर्त्तव्यों को निभा रही है। यह खेद का विषय है कि हमने पुलिस आयोग तक भी नियुक्त नहीं किया है। प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री तबदील होती हुई सामाजिक आवश्यकताओं तथा देश की मांगों से उत्पन्न हुई स्थिति का ज्यादा जायज़ा लेने से असफल रहे हैं। यह सभी प्रशासनिक सुधारों की बात तो करते हैं परन्तु इनके बारे में अपनी धारणा नहीं बताते। न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली में परिवर्तन किया जाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान प्रणाली से कार्यकुशलता का स्तर गिरता जा रहा है और दक्ष लोगों को नहीं चुना जा रहा है। छोटे न्यायालयों में काम बहुत इक्ट्ठा हो गया है इसके बारे में भी हमें कुछ करना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अखिल भारतीय सेवाओं के बनाने में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है। राष्ट्रीय एकीकरण प्रशासन में कार्यकुशलता लाने तथा योजनाओं को अच्छी प्रकार से क्रियान्वित करने के लिये स्वास्थ्य सेवा, वन सेवा तथा इंजीनियरी सेवा की, जिनके बारे में हमने वर्षों पूर्व संकल्प पारित किया था, शीघ्र नियुक्ति करनी चाहिये, क्योंकि यह सेवायें बहुत आवश्यक हैं। राज्यों में प्रशासन में सुधार लाने की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिये गृह-कार्य मंत्री को भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय असैनिक सेवा के ऐसे 25 वरिष्टतम अधिकारियों की एक तालिका बनानी चाहिये जिन्हें वह राज्यों में मुख्य सचिव बनने के लिये सबसे उपयुक्त समझते हों, ताकि समय समय पर उनको राज्यों में लगाया जा सके।

यदि आपके यहां देश के चोटी के 25 व्यक्तियों की तालिका हैं, ऐसे कम्पनियों की जिनकी पृष्ठ भूमि बहुत अच्छी रही है और जो मुख्यमंत्री के लिये सहायक हों, जिनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक हो, तो मैं समझता हूँ कि मुख्य मंत्रियों को 25 व्यक्तियों की इस नामिका में से अपने मुख्य सचिव चुनने के लिये कहना चाहिये।

पुलिस के बारे में भी मुझे यही सुझाव देना है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुख्य मंत्रियों की सलाह से तैयार की गई नामिका में से चुने जाने चाहिये।

नवम्बर, 1963 में गृह मंत्री ने वायदा किया था कि वह दो वर्ष में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। परन्तु इस कार्य में उन्हें आज तक कोई सफलता नहीं मिली है। क्या अब हमें उन्हें इस्तीफा देने के लिये कहना चाहिये? वास्तव में मैं ने उनकी बात को सच नहीं जाना था। उन्होंने गलत

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

निर्णय किया था। वह स्थिति को समझ नहीं सके थे। अकेला आदमी भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकता है। मुझे हर्ष है कि वह स्वयं पद त्याग करने के लिये तैयार नहीं हैं .....

श्री नन्दा : मैं ने कुछ और कहा था। मैं ने जो कुछ कहा था मैं उस पर टिका हुआ हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्होंने कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल किये जिन पर मुझे यकीन नहीं है। 1963 में श्री नन्दा की घोषणा से पहले मैं जवाहरलाल जी से कहता रहा था कि भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पर है, परन्तु वह कहते थे कि नहीं निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है। आखिर कुछ समय बाद उन्होंने इस बात को मान लिया कि भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पर है और उसमें मिटाने की आवश्यकता है। रूस जैसे देश में भ्रष्टाचार के लिये मृत्यु दण्ड दिया जाता है।

सब से पहले हमें राजनीतिक प्राधिकार में सुधार करना होगा। श्री नन्दा में यह कमी है कि वह लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर सकते। प्रधान मंत्री का रवैया इस ओर बहुत ढीला सा है और वह इसके लिये कैबिनेट का आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं कर सके हैं। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिये सही लाइनों पर वास्तविकता को देखते हुए आन्दोलन चलाने की जरूरत है और इसके लिये मंत्रिमण्डल और संसद का समर्थन आवश्यक है।

संसद् का एक स्वतन्त्र संगठन होना चाहिये और वह सर्वोपरि व्यक्तियों की नायिका का रूप ले सकता है। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि इसमें शिकायतों और प्रार्थनापत्रों का ढेर लग जायेगा। हो सकता है पहले वर्ष में इस प्रकार की कठिनाई सामने आये। सतर्कता आयुक्त से इस मामले में विशेष सहायता नहीं मिल सकेगी। संघ लोक सेवा आयोग से इसका हमेशा झगड़ा होगा।

श्रीमन्, मुझे समझ नहीं आता कि माननीय मंत्री ने अब तक केन्द्रीय मद्य निषेध बोर्ड की बैठक क्यों नहीं बुलाई है जब कि उसके गठन को 2 वर्ष से भी अधिक बीत गये हैं।

कल ही की बात है भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मंत्रिमण्डल के सदस्यों को शराब पीने की आदत है। क्या उन्होंने इसकी जांच की है ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय 30 मास पहले चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। आज हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान ने हम पर जबरदस्ती लड़ाई थोप दी है। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में ही हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं शत्रु को मार भगायेंगी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि चीन पाकिस्तान की सहायता कर रहा है। हम 30 मास पहले एक बार मार खा चुके हैं और यदि इस बार भी हमारी हार हो गई तो हमारे राष्ट्र का नैतिक पतन हो जायेगा।

यदि इस बार हमारी जीत हो जायेगी तो हम भविष्य में आक्रमणों से बच जायेंगे। हमें अपनी सशस्त्र सेना को मजबत बनाया है। सारे राष्ट्र को मजबूत बनाना है। यदि सरकार सही रास्ते पर चलने के लिये और देश की रक्षा करने के लिये तैयार है तो हम हर प्रकार से सरकार को अपना सहयोग देने के लिये तैयार हैं। अक्तूबर और नवम्बर, 1962 को छोड़ कर अगस्त, 1947 से

अब तक इस देश पर कभी भी ऐसा संकट नहीं आया है। इसके लिये किसी हद तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन जिम्मेदार है। पिछले कुछ महीनों की बड़ी बड़ी गलतियों के कारण देश भाषा के प्रश्न पर बंटा हुआ है राज्यों में आपस में गहरे मतभेद और तनाव हैं।

पूर्वी सीमा पर खाली पट्टी बनाने की जो सरकार की योजना थी, मैं जानना चाहता हूं कि उसकी क्या स्थिति है। मुझे पता लगा है कि सीमा पर भारतीय पुलिस वहां पर रहने वाले भारतीयों से जगह खाली करा लेती है और चूंकि भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में फैला हुआ है, पाकिस्तानी पुलिस से पैसा लेकर उस रिक्त स्थान को उन्हें दे दिया जाता है। इस प्रकार हम सीमा से पीछे की ओर हटते चले आ रहे हैं। और पाकिस्तान कब्जा करता चला आ रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले की जांच करेगी।

1959 में कांग्रेस दल के ऊटकमंड के अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया था जिस में सुझाव दिया गया था कि भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिये एक स्थायी न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जानी चाहिये। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस योजना उपसमिति ने भी 1959 में ऐसा ही एक संकल्प पारित किया। परन्त् अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है और केवल इतना ही नहीं सरकार ने भ्रष्टाचार के निवारण के संबंध में सन्थानम समिति की सफारिशों को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। भूतपूर्व महान्यायवादी श्री शीतलवाड ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के लिये एक आचार संहिता है और उनको किसी भी अपराध के संबंध में भारी दण्ड दिय जा सकता है। परन्तु राजनीतिज्ञों अथवा मंत्रियों के लिये शायद कोई आचार संहिता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार के कीटाणु अब उच्चतर न्यायपालिका तक भी पहुंच गये प्रतीत होते हैं। जब कार्यपालिका कोई गलती करती है तो न्यायपालिका उसको सही रास्ते पर लाती है। परन्तु जब न्यायपालिका का ही यह हाल है तो हम क्या कर सकते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि जब कि मई, 1964 में राष्ट्रपति को याचिका भेजी गई थी और दस्तावेज भी दिये गये थे, फिर भी मद्रास के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ऐस० रामचन्द्र आयर के विरुद्ध एक गंभीर आरोप की जांच क्यों नहीं की गई है। जब मामला आगे बढ़ गया और उस न्यायाधीश के लिये संकट पैदा हो गया तो 1 नवम्बर को उसे इस्तीफा देने की अनुमति दे दी गई। मई से नवम्बर तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी आयु गलत बताई थी। यदि सरकार यह समझती है कि इस्तीफा देने से जांच पर रोक लग जाती है, तो कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से कितना भी पैसा बना सकता है और जब उसको कोई खतरा हो तो इस्तीफा दे कर बिलकुल सुरक्षित हो सकता है।

मैं जानना चाहता हूं कि नवम्बर, 1963 में गृह मंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र में भ्रष्टाचार निवारण के लिये जो शपथ ली थी क्या उन्होंने वह गंभीरता पूर्वक ली थी?

दूसरा उदाहरण केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन का है। गृह मंत्री ने उस ओर ऐसे आंख फेर ली है जैसे उन्हें दिखाई ही नहीं देता। शिक्षा मंत्री कहेंगे कि यह एक चुराई गई दस्तावेज हैं। यदि सरकार ऐसा समझती है तो इसकी जांच करे कि यह प्रतिवेदन किसने

[श्री हरि विष्णु कामत]

चुराया और मुझ तक किस प्रकार आया। परन्तु किसी टाइपिस्ट या क्लर्क को बली का बकरा नहीं बनाया जाये क्योंकि उनमें से किसी ने भी यह प्रतिवेदन मुझे नहीं दिया है।

श्री बीजू पटनायक ने 15 नवम्बर को गृह मंत्री, श्री नन्दा के नाम एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा :

"11 तारीख को जब मैं आप से मिला था तो आपने मुझे एक प्रश्नावली दी थी, मैं उसका उत्तर देना नहीं चाहता था क्योंकि समस्या को समझने के लिये उसमें कुछ कमजोर सा तरीका अपनाया गया था। 1947 से मैं ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के बहुत निकट रह कर काम किया है। और उनके नेतृत्व में मैं ने अनेक कठिन कठिन कार्य किये हैं। आप जानते हैं कि पंडितजी प्राय मुझे कामराज योजना के सहकर्त्ता कहा करते थे।"

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : आपसे दल के एक सर्वोपरि व्यक्ति ने ऐसा कहा है। मैं नहीं समझता कि श्री नन्दा इस पत्र को मानने से इन्कार करेंगे। मेरे पास इस पत्र की असली प्रति है।

और अन्त में श्री पटनायक ने कबूल किया है :

"धन और राजनीतिक शक्ति में मेरी कभी भी अधिक रुचि नहीं रही है और फिर भी काफी मात्रा में ये सब मुझे उपलब्ध है।"

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : From where did you get this letter.

श्री हरि विष्णु कामत : यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं इस को सभा पटल पर रख दूंगा।

अविश्वास का प्रस्ताव पेश करते समय श्री द्विवेदी और अन्य माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि न्यायिक जांच होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री त्रिपाठी भी इसके पक्ष में हैं।

मैं नहीं समझता कि श्री नन्दा को इस पर कोई आपत्ति होगी। मुझे पता लगा है कि श्री बिरेन मित्रा को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। केवल श्री पटनायक हैं जो कि इसको नहीं चाहते। वह तो केवल उड़ीसा की लोक लेखा समिति द्वारा ही जांच चाहते हैं।

इस मामले में केबिनेट उपसमिति ने जो अपना अन्तिम निर्णय दिया था उसके पश्चात श्री नन्दा जी की यह राय थी कि इस मामले में जांच आयोग की नियुक्ति होनी चाहिये। परन्तु बाद में दबाव के कारण उन्होंने अपनी राय बदल ली। यदि वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहें तो मुझे विश्वास है कि कैबिनेट उपसमिति को उनकी बात माननी होगी।

अब मैं गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन को लेता हूं। इसमें केरल के चुनाव और स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी नहीं है। विभिन्न दलों की संख्याएं तो दी गई हैं। परन्तु इस बात

का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है कि केरल प्रशासन राष्ट्रपति ने अपने हाथ में ले लिया है ।

प्रतिवेदन में, कार्मचारियों में भ्रष्टाचार दूर करने के लिये यह उपाय दिया गया है कि कर्मचारी अधिक मात्रा में और प्रायः आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे । ये कुछ अजीब से शब्द हैं । आखिर इसको मापने की क्या कसौटी होगी ? इस कानून को मंत्रियों पर भी लागू करना चाहिये ।

इसमें राजनीति के नाम से एक अध्याय है । परन्तु उसमें पंजाब में भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गई किसी भी कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है । और न हो उनकी उड़ीसा के सम्बन्ध में उनकी अपनी उपसमिति का कोई जिक्र किया गया है । मैसूर और राजस्थान केबिनेट के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

कल ही की बात है राजस्थान के एक मंत्री ने विधान सभा में कहा कि इसमें सन्देह है कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था । उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यदि किसी और देश में ऐसा होता तो वहां पर ऐसे मंत्री को लताड़ा जाता और इस्तीफा देने के लिये कहा जाता ।

गृह कल्याण केन्द्र के नाम से एक संस्था है । श्री नन्दा उसके प्रधान हैं । लोक लेखा समिति ने प्रतिवेदन के पृष्ठ 8 पर इसकी बड़ी निन्दा की है और बड़ी बड़ी पोलें खोली हैं ।

दूसरी एक संस्था है केन्द्रीय सहकारी भण्डार ।

कल ही की बात है आप ने इस सभा को पढ़ कर सुनाया था कि भारत सेवक समाज के एक प्रमुख सदस्य श्री ब्रिज किशन चांदी वाला ने क्षमा याचना की है । क्या गृह मंत्री को पता है कि पंजाब के मुख्य न्यायाधीश श्री फालशा ने जमीन सम्पत्ति के सौदों के बारे में उसकी बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की थी ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : दिल्ली प्राधिकार का भी इस से सम्बन्ध हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

केन्द्रीय सहकारी भण्डार गृह-मंत्रालय के मुख्य कल्याण अधिकारी द्वारा प्रबन्धक निदेशक के रूप में चलाया जाता है । इस संस्था के विरूद्ध मैं ये आरोप लगाना चाहता हूं । अभी तक इस भण्डार की कोई सामान्य बैठक नहीं हुई है । भण्डार को सम्पत्ति की काफी हानि हुई है । 'पी' ब्लाक से एक ट्रक भी चोरी हो गया था । भण्डार संगठन ने निर्माण तथा आवास संस्था से सरकारी कर्मचारियों की बतिस्यों में भण्डार खोलने के लिये बड़ी मात्रा में भूमि ली है । अब तक कितने भण्डार खोले गये हैं ?

श्री बसुमतारी (ग्वालपाडा) : सभा को पता है कि जब चीन ने आक्रमण किया था तो आसाम को एक कड़ी स्थिति का सामना करना पड़ा था । देश के बाहर या संसार के किसी एक भाग में ऐसी स्थिति का होना और बात है, देश के भीतर होना खतरनाक

[श्री बसुमतारी]

है। चीनी आक्रमण के समय जब सीमावर्ती क्षेत्र को खाली कराया गया तो एक वर्ग ने उस क्षेत्र को खाली नहीं किया। बहुत से राष्ट्रविरोधी तत्वों ने वहां के लोगों से यह कहा कि मुसलमान जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे अवसर पर काश्मीर में हजरतबल दरगाह के बाल के सम्बन्ध में काफी गड़बड़ मची थी। कुछ लोगों ने आसाम में अल्लाह हू अकबर के नारे लगाये और साम्प्रदायिक तत्वों ने जोश खाया। कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी झंडे भी लहराये गये। सरकार को इन सब बातों का पता है।

जब गृह मंत्री ने आसाम का दौरा किया तो मुझे भी उनके साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वह घटना स्थल पर भी गये थे और आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति और आसाम विधान सभा के कांग्रेस संसदीय दल ने उन्हें एक एक ज्ञापन पत्र दिया था। इन दोनों ज्ञापन पत्रों में कहा गया था कि 31 मार्च, 1965 तक आसाम को, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों से खाली करा लेना चाहिये।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह सारी शारारत राष्ट्रविरोधी तत्वों की थी। आसाम की समस्या अन्य राज्यों की समस्या से बिलकुल भिन्न है। शत्रु स्वयं आसाम में है। ये शत्रु कौन हैं? अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजन जो कि विभाजन के पश्चात् अक्तूबर, 1952 तक आते रहे हैं। इन व्यक्तियों की संख्या सरकार के अनुसार ढाई लाख बताई जाती है। जबकि गैर सरकारी तौर पर उनकी संख्या 8–10 लाख बताई जाती है। गृह मंत्री जहां भी गये लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि 31 मार्च, 1965 तक अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों को निकाल देना चाहिये। ज्ञापनपत्र में उनसे सीमा पर केन्द्रीय रक्षित पुलिस को बढ़ाने के लिए भी अनुरोध किया गया है।

कभी कभी कहा जाता है कि हमारे मुख्य मंत्री कमजोर हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। वह कमजोर नहीं हैं। भारत सरकार स्वयं सीमावर्ती क्षेत्रों की जिम्मेवारी अपने ऊपर क्यों नहीं ले लेती? इसके लिए हम काफी समय से कहते चले आये हैं।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि न्यायाधिकरण को 32,654 व्यक्तियों के मामले दिये गये थे जिनमें से 32,022 व्यक्ति अवैध प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी घोषित किये गये और 30 भारतीय राष्ट्रजन, और शेष 602 मामले अभी निपटाये नहीं गये हैं। यदि इस धीमी गति से काम चला तो 2,50,000 मामलों में तो इस हिसाब से लगभग 42 वर्ष लग जायेंगे। जब हम इन लोगों के अत्याचार और राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों से अवगत हैं तो हमें उन्हें तुरन्त निकालने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं करनी चाहिये। स्वयं कांग्रेस में ही इस प्रश्न पर मतभेद है और इसलिये मैं नहीं समझता कि सरकार इस प्रश्न को किस प्रकार शीघ्र निपटायेगी। परन्तु इसमें जितना कम समय लगेगा उतना ही देश के हित में होगा।

आज ही के अखबार में खबर थी कि चीन ने नेफा की सीमा पर एक बहुत बड़ी सड़क बना ली है । साथ ही पाकिस्तान लाटीटीला और दूमाबारी क्षेत्र में आक्रमण करने के लिये बड़ी संख्या में सेना जमा कर रहा है । कल ही की बात है धुबड़ी और गोलगांव क्षेत्रों से 450 मवेशी उठा कर ले जाये गये थे। मुझे बताया गया कि वहां से स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया । वे सब के सब गैर-मुसलिम हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री स्वयं जा कर स्थिति को देखें इससे पहले कि साम्प्रदायिक तनाव बढ़ जाये और देश के लिये खतरा पैदा हो जाये।

अनेक सदस्यों ने गैर-सरकारी संस्थाओं का उल्लेख किया है । मेरा निवेदन है कि गृह-मंत्री को उन सब संस्थाओं से सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिये और अलग हो जाना चाहिये, अन्यथा इस समय देश के सामने जो संकट है जो समस्याएं हैं उनको हल करने में बड़ी कठिनाई होगी ।

मंत्रियों में एक गलत सी प्रथा चल पड़ी है । जब कोई संसद् सदस्य या बाहर का कोई व्यक्ति उनको कुछ बताता है तो उन्हें उस पर विश्वास नहीं होता। मेरा निवेदन है कि उन्हें इस पर विश्वास करना चाहिए ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हाथी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने गृह-मंत्रालय के काम की प्रशंसा की है तथा जिन्होंने चर्चा के दौरान बहुत उपयोगी तथा रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मेरे पास जो सीमित समय है उस में मैं माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये प्रश्नों का उत्तर देने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा ।

केरल से एक चुने गये माननीय सदस्य श्री प० गो० मेनन ने कहा कि सरकार को केरल के विकास में अधिक रुचि लेनी चाहिये तथा केरल के लिये एक परामर्शदात्री समिति होनी चाहिये । सभा द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन विधेयक पारित किये जाने के बाद विधान बनाने के प्रयोजन के लिये एक समिति बनाई जायेगी जिस में केरल की समस्याओं पर भी विचार किया जायेगा । यह सलाहकार समिति के रूप में भी काम कर सकती है या केरल से चुने गये सदस्य जब चाहें हम से मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, केरल के विकास संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिये मंत्रिमंडल की एक उप-समिति बनाई गई है जिस में गृह-मंत्री, वित्त मंत्री, खाद्य मंत्री, तथा कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री को रखा गया है । केरल के राज्यपाल जब भी संभव हो बैठकों में उपस्थित होंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री बासुदेवन नायर ने इस वर्ष को बुरा साल बताया लेकिन यदि हम उनकी बातों पर निष्पक्षता से विचार करें तो यह कथन गलत सिद्ध होगा । उनका दृष्टि-कोण ही ऐसा है जिस से उन्हें ऐसा प्रतीत होता है । श्री चांदीवाला के विरुद्ध यह आरोप कि उन्होंने किसी सम्पति से किरायेदारों के हटवाने में दिल्ली प्रशासन तथा गृह-मंत्री पर पर अपने प्रभाव का अनुचित प्रयोग किया, निराधार है । श्री कामत ने भी इस का उल्लेख किया था । संबंधित दुकानों के किरायेदारों के मुझ से भेंट करने पर मैं ने मामले की जांच करने को कहा । इस मंत्रालय द्वारा संबंधित कागजात मंगाने से पहले ही मुख्य

[श्री हाथी]

आयुक्त ने अपने आप ही अधिसूचना रद्द करने के आदेश दे दिये थे। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि किरायेदारों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुये यह ऐसा प्रयोजन नहीं था था जिसके लिये दुकानों को ले लिया जाता । श्री नायर ने आलोचना की कि उन्होंने 8 लाख का ट्रस्ट क्यों बनाया। यदि वे एक कालेज स्थापित करते हैं और उसको अपने पास जो कछ है वह देते हैं, मैं नहीं समझता कि इस में वे कोई बुराई करते हैं। मुझे दुख है कि उन्हें पूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं है । श्री नायर ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति की जेल में मृत्यु हो गई है और कार्यवाही केवल यह की गई कि संबंधित अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया । मेरी जानकारी यह है कि उसे निलम्बित (सस्पेंड) कर दिया गया है ।

श्री वासुदेवन नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्स्पैक्टर को मुअत्तिल कर दिया गया है ?

श्री हाथी : इसको मुअत्तिल कर दिया गया है ।

श्री नायर ने कहा है कि बामपंथी साम्यवादियों की नजरबन्दी के कारण यह बुरा साल था । मैं समझता हूं कि इस विचार से यह अच्छा साल रहा है कि हमने कुछ लोगों द्वारा शरारत रोकने का प्रयत्न किया । अपना-अपना विचार है ।

श्री खाडिलकर और श्री माथुर ने प्रशासन तथा सेवाओं का उल्लेख किया । अध्ययन दलों की स्थापना से काम समाप्त नहीं हो गया । यदि हम आयोग स्थापित करें, तो वह भी पहले अध्ययन, अनुसन्धान आदि कार्य करेगा । जब हम कहते हैं कि हम प्रशासन को सुधारना चाहते हैं तो इस से अभिप्राय है कि नई कार्य-प्रणाली लाने से पहले वर्तमान कार्य-प्रणाली में यथासंभव सुधार करने चाहियें। इसी विचार से हमने जनता से व्यवहार करने वाले विभागों में अध्ययन दलों की नियुक्ति की है । आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय संबंधी अध्ययन दल द्वारा प्रतिवेदन देने के एक महीने के अन्दर ही वाणिज्य मंत्रालय ने उसकी प्रायः सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। तकनीकी विकास के महानिदेशक के कार्यालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सम्बन्धी दो दल अध्ययन कर रहे हैं । रेलवे, सीमा शुल्क, इस्पात नियंत्रक तथा कपड़ा संबंधी कार्यालयों में अध्ययन दल स्थापित किये जा रहे हैं। सरकार यह दावा नहीं करती कि अध्ययन दल स्थापित करके उस ने वह सभी कुछ कर दिया जो प्रशासनिक सुधार के लिये आवश्यक हैं । परन्तु हमारा यह दावा अवश्य है कि हम ने ठीक दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है ताकि कम से कम प्रक्रिया संबंधी विलम्ब तथा रुकावटें तो दूर हो सकें ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने कुछ अखिल भारतीय सेवायें स्थापित करने की सिफारिश की थी । सेवा में शीघ्र सुलभता, कर्मचारियों के दृष्टिकोण से उदारता, स्तरों में समानता बनाये रखने, देश की एकता आदि के हितों में अन्य क्षेत्रों में अखिल भारतीय सेवायें स्थापित करना वांछनीय समझा गया । हाल ही में राज्य सभा में कृषि तथा शिक्षा के हितों में दो अखिल भारतीय सेवायें बनाने के बारे में संकल्प स्वीकृत हो चुका है । इंजीनियरी, वन तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में पहले ही ऐसी सेवायें स्थापित कर चुके हैं । अखिल भारतीय सेवाओं

में अलग-अलग प्रदेशों के लोग आते हैं और उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया जाता है । इस से अनुभव प्राप्त होता है तथा अखिल भारतीय दृष्टिकोण बनता है ।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री खाडिलकर का यह कथन कि चार-सदस्यीय समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी गलत है । गृह मंत्री स्वयं बातचीत कर रहे हैं, और उन्हें आशा है कि दोनों पक्षों में मतैक्य हो जायेगा ।

श्री नाथ पाई : यह सच नहीं है ।

श्री हाथी : वे अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं ।

[अन्तर्बाधा]

श्री हाथी : श्री कामत ने मद्रास के मुख्य न्यायाधीश की आयु के प्रश्न पर पूछा कि आवेदन पत्र अथवा अभ्यावेदन जब मई में दिया गया था तो नवम्बर तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई । यह सच है कि राष्ट्रपति को अप्रैल, 1964 में अभ्यावेदन किया गया था । लेकिन यह भी सच है कि एक आदेश याचिका भी दी गई थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह याचिका आयु के बारे में नहीं थी ।

श्री हाथी : विषय एक ही है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह बाद में दी गई क्योंकि आपने कोई कार्यवाही नहीं की ।

श्री हाथी : जब हमें पत्र मिले तो हम ने निर्णय किया कि संविधान के अनुच्छेद 217(3) के अन्तर्गत जांच कराना वांछनीय नहीं समझा क्योंकि इस विषय पर एक आदेश याचिका थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि आप याचिका पर निर्णय होने की प्रतीक्षा कर रहे थे ?

श्री हाथी : जी हां, जुलाई में पहली याचिका पर निर्णय होने के पश्चात् हम ने कुछ कागजात मंगाये। इस बीच में मुख्य न्यायाधिपति ने त्याग-पत्र दे दिया । संविधान के अन्तर्गत त्याग-पत्र देने पर वे न्यायाधिपति नहीं रहते, इसका स्वीकृत होना आवश्यक नहीं है । यह कहना कि तीन महीने का विलम्ब हुआ है ठीक नहीं है। ऐसे मामले में जांच करना तथा निर्णय करने में लिये तीन महीने की अवधि अधिक नहीं है । **(अन्तर्बाधा)** ।

श्री हाथी : कुछ माननीय सदस्यों ने आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध रूप से आने का उल्लेख किया । सरकार इस मामले में सजग है। 1961 से, आसाम में कुल लगभग 2.5 लाख व्यक्तियां तथा त्रिपुरा में 50,000 व्यक्तियों के इस प्रकार घुस, आने

[श्री हाथी]

का अनुमान है, । पश्चिमी बंगाल के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है यह संख्या 2,16,000 है । चालू वर्ष में हम ने अवैध रुप से प्रवेश को रोकने के उपाय किये हैं तथा अवैध रूप से आये हुए व्यक्तियों का पता लगाने व उनको निकाले के लिये कार्यवाही की है । आसाम और त्रिपुरा में से 1961 से 1964 तक क्रमश: 1,09,145 और 19,277 अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को निकाला गया । इस से अवैध प्रवेश बहुत कम हो गया है । पाकिस्तान की यह शिकायत असत्य है कि भारतीय मूल के राष्ट्रजन मुसलमानों का निष्कासन कर रहा है । किसी भी व्यक्ति को भारत छोड़ने का नोटिस देने से पहले हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि वह भारतीय राष्ट्रजन तो नहीं है । इसके अतिरिक्त हमने न्यायाधिकरण बनाये हैं जहां न्यायिक रूप में मामलों की सुनवाई होती है। नवम्बर 1964 तक 33150 व्यक्तियों को न्यायाधिकरण के सामने पेश किया गया । जिन में से 32887 को पाकिस्तान से घुसने वाले कहा गया । इसलिये यह कहना कि यह भारत के मुसलमान हैं और इन्हें बाहर निकाला जा रहा है गलत है ।

श्री पटनायक ने राजाओं की निजी थैलियों के बारे में कहा। बात यह है कि हमें यह एक सत्य निष्ठा पर आधारित समझौता है । हमें वे दिन भी याद रखने चाहियें कि जब स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने 562 राज्यों को भारत में मिलाने के लिये सहमत कर लिया था । उस समय उन्हें यह निजी थली देने का समझौता किया था । उसके पश्चात वे राजाओं की संख्या जिन्हें 10 लाख रुपया से अधिक रकम देते हैं 11 से घटा कर 6 रह गई है । दूसरे निजी थैली पर केवल 5 करोड़ रुपया व्यय होता है अर्थात सारे व्यय का ·28 प्रतिशत । हम यह . . .

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : आप किस कानन के आधीन यह रकम कम कर रहे हैं?

श्री हाथी : यह स्वेच्छापूर्वक समझौते के अनुसार । कुछ से हम प्रार्थना भी कर रहे थे और वे मान गये । आखिर राज्यों का एकीकरण ऐसा है जो हमने प्राप्त किया है । वैसे मैं यह कह दूं कि इन राजाओं को स्वयं यह अनुभव करना चाहिये कि आजकल के कठिन समय में वे स्वयं ही इनके कुछ भाग को छोड़ दें ताकि वे जनता के बराबर हो जावें । श्री कामत ने कहा है कि रिपोर्ट में राष्ट्रपति के केरल में जो शासन है उसका उल्लेख नहीं है । मैं यह मानता हूं और इसमें 3 या 4 दिन की देरी हो गई ।

कुछ सदस्यों ने सीमा सुरक्षा के बारे में कहा है। वास्तव में अब समय आ गया है जब हमें अपनी सुरक्षा सेना को मजबूत करना चाहिये तथा अच्छा प्रशिक्षण और हथियार देने चाहियें और संचार के मामले भी ठीक करने चाहियें ।

हमारे सामने बहुत सी समस्या हैं परन्तु उनमें सब से महत्वपूण है देश की एकता का प्रश्न । आजकल तो यह और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि हमारे दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान आपस में मित्र हो रहे हैं और उन दोनों का नापाक समझौता हमारे लिये

चिन्ताजनक है । इतिहास हमें बताता है कि पीछे भी जब हम हारे तो यह आपसी फूट के कारण था । हमें लोकतन्त्र को मजबूत बनाने के लिये कार्य करना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Yajnik (Ahmedabad): Mr. Speaker, as an humble member of this House I want to say a few words about attack on Kutch border which is causing **great** anxiety to the entire population of India. Some defence committees have been formed not only in Gujarat but in other parts of India.

Pakistan is attacking us on so many fronts and one of them is international front. It is not the soldiers alone who fight but those also take part in it who are manufacturing arms. The Britishers fought for imperialism whereas USA fought for Capitalism and Pakistan fights or religious frenzy. We should ponder over the fact that we have to take the entire country with us if we have to engage ourselves in war. The prices of things are rising in India and this is all man-made. The civil service is still behaving as during the British days. The British had created it for a purpose. It used to crush the people. It has not learnt to behave better with the ordinary people but they behave in a naughty manner. This needs improvement. On the other side we have Capitalism. We should not forget that 30 lakh people died in famine in Bengal and the civil service and the traders also made a mess of this problem. The problem of labourers is also there and the question of bonus is also bound with it. The Government should be in no illusion that these labourers will go on waiting. Our National Revolutionary Committee has declared to go on strike not only in Gujarat and Bombay but whole of India. When we resorted to strike, there was a resort to firing on us. But I want to tell that the right to strike has been recognised even by our Constitution. The late Shri Govind Ballabh Pant had given an assurance to me in this House long back that he will get the police manual revised. But this has not been done till today. Similarly Shri Pant's assurance that police will not fire above the belt was not followed in Gujarat where they were fired in the chest and thus 6 persons were killed.

About Kerala I would only say that such suppression as has been done there will not be helpful to the Government at a time when there is a war. If the rule of civil service and capitalists continues as at present, and the people continue to starve, there will be a non-violent revolution in the country in 1966 which will oust the present rulers.

Shri Bagri (Hissar): Mr. Deputy-Speaker, if the home policy of a country is successful then country will become powerful and prosperous and the foreign policy will also be based on it. Home policy means peace in the country and security of life and property.

So far as the question of life is concerned I would say that so many murders have been committed during the period of the this

Ministry. Sardar Pratap Singh Kairon was murdered. The corpse of Dattu Pawar Shivaji, Assistant Supervisor of Fine Art Litho Press was found floating in Jamuna but it was cremated without post mortem because some big persons were behind this murder and some of them are sitting opposite. The murderer of the Maharani of Singhroli is yet to be traced. A number of other people have been murdered but the murderers have not been hauled up.

There has been a murderer of democracy in the Kerala elections. The poor people like Scheduled Castes are being oppressed by the police. Dacoities are being committed and yet no law is protecting them. The wishes of the people are not being taken into consideration. On 22nd I along with Maharani Gayatri Devi and few others met the Prime Minister and placed before him the charges levelled against the Chief Minister of Rajasthan. Corruption appears to have become the religion of the people as everybody from the highest to the lowest is involved in it. I have returned from a visit to Rajasthan and I found that prices have gone up there enormously. This is all due to corruption and entire blame for it should be put on the Government. The President of Bharat Sewak Samaj is Shri G. L. Nanda, its Secretary is one B. D. Nanda and one more B. P. Nanda is also there. You will thus see that all Nandas are entrenched in Bharat Sewak Samaj.

We have been humiliated by Chinese and now Pakistan has also attacked us in Kanjarkot. The reason for this is that a few people only are enjoying the fruits of independence and the rest are not made partners in it. In Delhi itself the people who live in "jhuggi jhaunpri" are ejected from their homes. In Manipur Government have given away an area of 8,000 square miles to the so-called parallel Government of Nagas out of a total area of 8,700 of Manipur. That parallel Government is charging taxes also from the people. Even now Government can improve matters.

The need of the time is to wake the masses of India. I want the people to dethrone this Government.

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur): Mr. Deputy-Speaker, I want to congratulate the Home Minister for what he has done after the attack on Kanjarkot by Pakistan. Many Left Communists have been detained but those people of other parties who say equally bad things have not been detained. Dr. Lohia according to today's newspapers has advocated giving away of Kashmir to Pakistan if it can achieve confederation between the two countries. Similarly Shri Jaya Prakash Narayan should also be arrested. I want the Minister to act honestly against both Chinese and American lobbies. The Home Minister is not content with law and order alone but he is trying to root out corruption from this country.

I have no soft corner in my heart for Bharat Sewak Samaj but I also want that when you criticise it you should have a look at other institutions such as Co-operative Societies. We should not belittle the efforts of the Home Minister to root out corruption. I want the

accounts of Gandhi Ashram to be placed before the public. Last year Shri Ansar Harvani also made such a demand.

The Home Minister has appointed a committee to root out corruption and I congratulate him for it.

I congratulate the Home Minister because he has not spared even the political persons. Even the Chief Ministers had to abandon their posts. But I want to remind him that he should not leave this work half done. He should not spare such persons who join politics just to grind their own axe because in this way the Government becomes unpopular.

I would also like to congratulate him because he is appointing a Commissioner who will go through the grievances of the people.

Our Home Minister has mentioned in the report something about the communal situation in the country. He has said that what has happened here is a repercussion to what has taken place in Pakistan. But I want to tell him that there are some parties in India who would have done this even if nothing could have taken place in Pakistan.

I want to tell you, Sir, that the minorities in India have gained confidence by the action taken by the Home Minister.

The Home Minister had issued a circular that those officers who do not discharge their duties in time will be charged for the deriliction of their duties. As such he should be informed of the situation before the riots take place. He should gear up his Ministry.

But I can assure him that he cannot gear up his machinery as long as there are such employees in Government service who are Members of Rashtriya Swayam Sewak Sangh. The Government should impose a restriction on Government employees that they cannot become Members of R.S.S. In case anyone becomes, action should be taken against him. In the meetings of this Party the members are told that the Muslims, Christians and Parsis in India are not Indian nationals. Such like things are taught to them. If such persons remain in Government, will not they be dangerous to the national unity of the country.

The Government should also take action on those newspapers which help create communal feelings among the masses. In the *Organiser* of 11th January it was mentioned that the people of Jama Masjid area took out a procession on Shri Ayub's success. But on enquiry made by the President of Delhi Congress Committee it was revealed that it was a baseless news. Therefore stern action must be taken against such newspapers who give wrong information.

श्री मनोहरन (मद्रास–दक्षिण) : गत एक वर्ष से गृह-कार्य मंत्री जो काम कर रहे हैं उसको देखते हुए मैं उनको बधाई नहीं दे सकता हूं । उन की आलोचना न केवल विरोधी दलों के सदस्य ही बल्कि उनके अपने दल के सदस्य भी कर रहे हैं । मेरे विचार से उन्हें अन्दमान द्वीप समूह में जा कर वहां की समस्याओं का अध्ययन करना चाहिये । मैं वहां गया हूं । मैंने वहां के लोगों से बातचीत की है और उनकी सस्मयाओं को सुना है ।

[श्री मनोहरन]

वहां के सभी लोगों की, चाहे वे प्रशासन में काम करते हैं या जनसाधारण हैं, यही मांग है कि मुख्य आयुक्त को तत्काल हटाया जाये । हमारे गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जिन्होंने हाल में वहां का दौरा किया था उनको भली प्रकार जानते होंगे । मुझे विश्वास है कि वह मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि वहां के मुख्य आयुक्त का रवैया न केवल पक्ष-पातपूर्ण ही है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है । यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाये तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति हैं ।

मैं ने इस सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव भी दिये हुए हैं । अन्दमान के बहुत से लोगों ने मुझे पत्र भी लिखे हैं । वहां पर उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया था जिस में यह मांग की गई थी कि मुख्य आयुक्त, श्री महेश्वरी को वापिस बुलाया जाये । इस का यही कारण है कि एक तो लोगों से उनके अपने भेदभाव हैं तथा दूसरे उनका अकोजी नामक कुख्यात डाकू से मेलजोल है । उस के अपने बहुत से जहाज हैं । इन जहाजों को वह निकोबार से श्रीलंका को भेजता है जहां से वह बहुत सा तस्करी का सामान लाता है जिस को सीमा शुल्क अधिकारी भी चैक नहीं करते हैं ।

जैसा श्री हाथी को पता ही है सब लोगों का यही विचार है कि अकोजी एक जासूस है । इसलिये मैं श्री हाथी तथा श्री नन्दा से प्रार्थना करूंगा कि वे अकोजी के बारे में जांच करें ।

अकोजी आजकल निकोबार तथा अन्डमान में बहुत सी भूमि खरीद रहा है । मेरे विचार से उसको भूमि खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि एक दिन ऐसा आयेगा जबकि वहां की सारी भूमि उसकी हो जायेगी तथा वह प्रशासन को बाहर निकाल देगा ।

अन्दमान द्वीपसमूह में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के बहुत से सदस्यों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था । परन्तु उनको गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं बताया गया था । इसलिये मैं गृह-कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उन को बिना कारण क्यों गिरफ्तार किया गया था ?

मैं एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । उस द्वीप समूह में स्कूल तो बहुत हैं परन्तु दक्षिण भारत समुदाय के लिये कोई स्कूल नहीं है जबकि उनकी वहां पर संख्या 20,000 से भी अधिक है । इसलिये इस प्रकार के भेदभाव को दूर कर दिया जाना चाहिये तथा वहां पर उनके लिये भी स्कूल खोले जाने चाहियें ।

भारत प्रतिरक्षा नियमों का सभी राज्यों में दुरुपयोग किया जा रहा है । श्री नन्दा यह नहीं कह सकते हैं कि यह राज्य सरकारों का विषय है । यह गृह-कार्य मंत्रालय का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि राज्य सरकारें उचित ढंग से काम करें । राज्य सरकारों को कहा जाना चाहिये कि वे भारत प्रतिरक्षा नियमों का दुरुपयोग न करें । मेरे राज्य में भी भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । इन

15 व्यक्तियों में से तीन तो डाक्टर हैं तथा अन्य सभी भी उत्तरदायी व्यक्ति हैं । उन को किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आता है । श्री भक्तवत्सल्म कहते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रविरोधी तत्व थे ।

केरल में भी वामपंथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । श्री नन्दा ने उन के बारे में श्वेत-पत्र भी प्रस्तुत किया है परन्तु उस में उन की गिरफ्तारी के बारे में ठीक कारण नहीं बताये गये हैं । उन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति देश द्रोही हैं । यदि उन्होंने कोई देश द्रोही कार्य किये हैं तो उन को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये परन्तु उनके कुकृत्यों के बारे में ठोस साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत किये जाने चाहियें ।

अब मैं सभा का ध्यान भाषा सम्बन्धी समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । सभा को पता ही है कि कोई तीन महीने पूर्व मद्रास राज्य में भाषा के बारे में बड़े पैमाने पर झगड़े हुए थे । उन झगड़ों में बहुत से व्यक्ति मारे गये थे । हम ने न्यायिक जांच की मांग की थी । यदि गृह-कार्य मंत्री या मद्रास के मुख्य मंत्री में राजनीतिक दयानतदारी होती तो वे अवश्य जांच करवाते परन्तु उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई । तीन महीने गुजर जाने के बाद हमें आशा थी कि इस बारे में कुछ किया जायेगा विशेषकर जबकि राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया था कि स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासनों का पालन किया जायेगा तथा इस स्थिति पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों की बैठक भी बुलाई जायेगी । यह आश्वासन भी दिया गया था कि संसद में आवश्यक विधेयक भी प्रस्तुत किया जायेगा । परन्तु अब श्री सत्य नारायण सिंह जी ने घोषणा कर दी है कि तत्सम्बन्धी विधेयक को चालू सत्र में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता । इस से दक्षिण के लोगों को बहुत दुख हुआ है । कुछ दिन पहले श्री कामराज ने दक्षिण का दौरा किया था और सम्वाददाताओं को कहा था कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन करने के लिये निर्णय किया गया है । परन्तु उस के दो दिन पश्चात शिक्षा मंत्री, श्री चागला ने कह दिया कि मंत्रि-मंडल ने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है । इस से वहां के लोगों ने सरकार की शुद्ध भावना पर शक करना आरम्भ कर दिया है । इस लिये मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह स्थिति की गम्भीरता पर विचार करें । सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि तमिलनाड़ के लोग हिन्दी को कभी भी राजभाषा के रूप में सहन नहीं करेंगे। मुझे पता चला है कि केरल, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम और पश्चिम बंगाल ने भी केवल हिन्दी को राज भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया है । मैं केवल हिन्दी को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । हिन्दी संविधान में दी गई 14 भाषाओं में से एक हो सकती है । उन सभी भाषाओं को राज भाषा बनाया जा सकता है । भाषा समस्या का यह एक स्थायी हल है । अस्थायी हल से कुछ समय के पश्चात फिर संकट उत्पन्न हो सकता है ।

जब श्री सत्य नारायण सिंह ने घोषणा की थी कि राज्य भाषा अधिनियम में चालू वर्ष में संशोधन नहीं किया जा सकता तो उत्तर के लोगों ने इस का स्वागत किया था । इस लिये मैं हिन्दी भाषी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि देश की एकता बनाये रखने के लिये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिये वरना इस के लिये हिन्दी भाषी लोग उत्तरदायी होंगे न कि अहिन्दी भाषी ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to say something about the back-ground of the anti-Hindi agitation that had taken place in Madras. When Shri Kamraj became the Chief Minister of Madras he had a great support of Shri E. V. Ramaswamy Naikar who is still a leader of D.M.K. After that he started in Madras anti-Hindi agitation and also created communal feelings amongst the people there.

Mysore, Kerala and Andhra Pradesh are also in favour of this thing that Hindi should not be imposed on any one. But in all these three States Hindi is a compulsory subject while so is not the case in Madras. The result being that on account of this policy, destructive happenings have taken place there. So, I want to say it openly that the top Congress leaders of Madras are responsible for all these happenings.

The first thing had happened on 25th January, 1965 in Madurai when anti-Hindi procession was taken out. Then some people came out from the office of the Madras Congress with lathies in their hands and fall out on the procession and thus razed their feelings. The second happening had taken place on the 26th January, 1965 in Madras city when the Tamilnad Congress Secretary, Shri Aziz asked the police to beat the students. Then I also want to draw the attention towards the statement published in a newspaper of Shri E. V. Ramaswamy Naikar wherein it was mentioned that his followers should get ready to receive his directions to do the needful. But neither the Madras Government nor the Central Government have taken any action against that newspaper.

Apart from it there are certain Members even of the cabinet who are the sworn enemies of Hindi. Ill-feelings have already been expressed against them. One Deputy Minister has even asked the members of the Congress Committee to oppose the Hindi language.

It is wrong to say that the people of Madras will be getting less seats in Central Government service in case Hindi is introduced because they are already getting more seats than their share. The population of Madras is 3 crores and 36 lakhs while their share in the big four services namely, I.A.S., I.P.S., I.F.S. and Central Secretariat is 663 when they should get 271 seats according to quota. Hence Madras alone is getting 392 more seats than their share. On the other hand Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Mysore, Uttar Pradesh and Rajasthan are getting much less than what is due to them according to their population. The in spite of this, Tamilnad people complain that they are being deprived of Government services. Therefore I would like to know from the Home Minister for how long this difference in service will continue.

I would also like to submit that there is some political back-ground behind this all. I don't think that there was anything objectionable in the speech delivered by Shri Nanda through A.I.R. on 26th January, 1965, which resulted in the agitation of Madras. Similarly, I don't think that there was anything new in the commu-

nique, issued by the Ministries of Food and Agriculture and Informamation and Broadcasting which is said to be the cause of the riots.

As far as the question of assurances given by Late Shri Nehru is concerned these have already been implemented in the Official Languages Act. In case there was something lacking in it, that could have been brought up during his life time.

As an hon. Member has said that Government wants to give more concessions to the people of Madras because they fear lest the national unity is effected. But I want to warn them that if they ignore the already taken decisions then the same thing may happen in Nagaland, Kashmir or any other State as had taken place in Madras and for that Government will be held responsible.

Our Home Minister, Shri Nanda had asked the Ministries of Food as well as Information not to issue communiques in regard to language problem. But I would like to ask him why the Home Ministry has not as yet issued communiques in this connection? I can assure him that Hindi is to spread in India. There cannot stand any hurdle in the way.

The Hindi-speaking people have controlled the situation because they are feeling their responsibilities. But in case Government change the decisions which have already been taken by them, then I can warn them that the situation will be out of control and may even go in the hands of the youth.

Shri R. S. Pandey (Guna): While discussing the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs, the Minister of Home Affairs was vehemently criticised. But I want to submit that we have been successful in maintaining law and order condition in the country. That will be evident if we see the conditions prevalent in other countries of Asia.

The Home Minister has been asked to sever his connections with the certain organisations. But I want to say that he is an honest man and wants to raise the national character of the country and that is the reason that he has set up organisations like Bharat Sewak Samaj, Sadhu Samaj and Sadhachar Samities.

Shri Nanda has taken personal interest in maintaining law and order in the country. He himself had gone to Kashmir in connection with the Hazratbal matter. Similarly he had gone to Calcutta and Orissa in connection with communal riots there. Hence, we have seen that he is always alive to the situation.

It was not a wise step to release Sheikh Abdullah from jail when his ideology was known to the Government. Even a greater mistake was committed by allowing him to travel abroad. He has been using this opportunity to malign India on the issue of Kashmir. It is never too late to mend and the Government of India should put him under arrest as soon as he lands on the soil of India.

[Shri R. S. Pandey]

India faces danger from all sides. 7 or 7½ lakh infiltrators from East Pakistan have crossed over into Assam. I am saying this on the basis of my personal information. They have settled in the border belt. We have to be very vigilant about all this. Pakistan has made inroads into the Rann of Kutch. In such a situation we have to be even more careful so far as our borders are concerned. The Pakistani infiltrators can prove very dangerous to the country's internal security specially when Pakistan is keen to penetrate into our territory by means of border operations. We should get the border belt vacated by such infiltrators. We should be always on the alert and should not be caught unawares, because enemy is after all an enemy.

Pakistan has been spreading venomous propaganda about India inspite of our repeated overtures of friendship all these 17 years. Now she has openly attacked our country. We should adopt a stiff attitude towards her. We should give the Pakistani invaders a good fight. The Government has the backing of the whole nation so far as the defence of our motherland is concerned.

श्री कोया (कोजीकोड) : जहां तक देश की सुरक्षा को बने खतरे का सम्बन्ध है देश के सभी वर्ग सरकार के साथ हैं । इस समय भारत के सामने अनेक नाजुक समस्यायें हैं । इनमें पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध तथा शेख अब्दुल्ला की गतिविधियां भी सम्मिलत हैं । मेरा निवेदन है कि कोई कार्यवाही करने से पहले सभी अन्तर्निहित बातों पर विचार कर लिया जाना चाहिये ।

साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान इसका पूरा पूरा लाभ उठाएगा । अल्पसंख्यकों के हितों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिये भारत में रहने वाले मुसलमान भारत का एक अभिन्न अंग हैं और इस प्रकार के सुझाव से कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाये पाकिस्तान को ही लाभ होगा जो इसे अपने प्रचार के लिये उपयोग करेगा ।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*)

भारत के प्रति पूरी निष्ठा रखने वाले अल्पसंख्यक वर्ग नागरिकों को पूरा पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिये । किसी को उनके साथ शरारत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और शरारत अथवा समाज विरोधी कार्य करने वाले लोगों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये ।

अल्प संख्यक वर्ग के लोगों को जिन्हें कलकत्ता, रूरकेला तथा जमशेदपुर से उजाड़ा गया है, बसाने का काम पुनर्वास मंत्रालय को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । उनके साथ भी पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा तथा लंका से आए शरणार्थियों का सा ही व्यवहार किया जाना चाहिये और उन्हें बसाने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहियें ।

भाषा समस्या को भावुकता की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये । अहिन्दी भाषी लोगों की कठिनाइयों को समझा जाना चाहिये । यदि देश की एकता बनाए रखने के लिये संविधान के भाषा सम्बन्धी उपबन्धों में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो वह किया जाना चाहिये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): भ्रष्टाचार की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाना चाहिये। यह कोई कांग्रेस अथवा विरोधी दल का मामला नहीं है। यदि इसको प्रभावशाली ढंग से हल करना है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिये जिसमें सभी दल तथा सारा राष्ट्र मिल कर प्रयत्न कर सके। देश में इस तरह की गलत धारणा उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिये कि भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी केवल गृह मंत्री की ही है। क्योंकि ऐसी धारणा से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष धीमा पड़ सकता है।

देश में यह धारणा बनती जा रही है कि प्रशासन में राजनीति प्रवेश करती जा रही है और यह भी कि राष्ट्रीय स्तर पर किए गये निर्णयों के पीछे राजनीति का हाथ होता है। ऐसी गलत धारणा उत्पन्न नही होने दी जानी चाहिये। इस धारणा को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता यह है कि महत्व-पूर्ण मंत्रालयों में प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किये जायें जो कार्यपालिका द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णयों के बारे में अपना फैसला देंगे। उनका फैसला सभी संबंधित पक्षों को स्वीकार होगा। इन न्यायाधिकरणों की स्थापना से प्रशासन में लोगों का विश्वास उत्पन्न करने में पूरी पूरी सहायता मिलेगी।

हूवर आयोग की तरह का अयोग नियुक्त करने से प्रशासनिक सुधारों संबंधी समस्या को हल करने में कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती। अमरीकी प्रशासनिक पद्धति हमारी प्रशासनिक पद्धति की तुलना में बहुत ही सुसंगठित है। हमें अपनी प्रशासनिक पद्धति को एक विकासशील अर्थव्यवस्था तथा कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्नत करना है। इस-लिए ऐसे आयोग की नियुक्ति से कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत विशेष मामलों को सुलझाने के लिये प्रशासनिक सुधार समितियां नियुक्त की जानी चाहियें।

सब से बड़ी कठिनाई यह है कि जब कभी भी कोई गलत निर्णय किया जाता है तो हम किसी को इसके लिये जिम्मेदार ठहराने में असमर्थ रहे हैं। एक ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये जिससे हम प्रशासन में गलतियों अथवा ढील के लिये जिम्मेदारी तय कर सकें।

मेरा निवेदन है कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्य भी केन्द्रीय सरकार ही नियुक्त करे। परन्तु ऐसी नियुक्तियां करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि उनका पहला इतिहास दोष रहित हो। पदोन्नति तथा सेवा काल में वृद्धि के मामलों की जांच के लिये भी एक स्थायी आयोग बनाया जाना चाहिये।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अथवा अन्य न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् आराम की नौकरियां नहीं दी जानी चाहियें क्योंकि उससे कोई अच्छा असर नहीं पड़ता है। हां, यदि उनका स्वास्थ्य ठीक है तो उनका सेवाकाल बढ़ाया जा सकता है। मुझे इसमें जरा भी आपत्ति नहीं है। परन्तु सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें आराम की नौकरियां नहीं दी जानी चाहियें।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): A serious situation has arisen in Assam by the infiltration of Pakistani nationals in large numbers. The number of such infiltrators who have settled in Assam according to my information is about 8 or 9 lakhs, whereas according to official figures, their number is 3½ lakhs. If steps are not taken in time to uproot them from Assam and to send them back,

[Shri Hukam Chand Kachhavaiya]

Assam will have to face the same situation which we are facing in Kashmir.

It is the responsibility of the Home Ministry to keep up the morale of the people of this country. Display of obscene literature and films has been on the increase in recent years. Steps should be taken forthwith to stop it. The journals and newspapers publishing obscene material should be banned.

The action taken against the Left Communists by the Government is something which is most welcome. Government should also keep an eye on the people having communist learnings. Government should realise the danger from the Right Communists also, because many Communists from the Left Wing have gone over to the Right Wing to escape Government action. Government should be firm in their dealings with Communists and should not show any mercy to them. Only by acting upon such a policy we can defend our country, because they pose a serious threat to the country as they have extra-territorial loyalties.

Government should also be careful about the people whose sympathies are with Pakistan. More vigilance is to be exercised in the border areas dominated by Muslims. The activities of pro-Pakistani elements should be closely watched and if they are found to be anti-national, they should be curbed.

There is good deal of talk about the eradication of corruption by the Home Minister. It is very much rampant in the police department. No policeman pays for his journey by bus, scooter or tonga. He sees cinema free and has not to pay for tea etc. to the hotel proprietor. This is known to everybody. Bribery and corruption has corroded into our blood. Government should pay special attention towards its eradication in an effective way and award deterrent punishment to the culprits.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : भारत सेवक समाज, साधु समाज तथा सदाचार समितियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं । इसलिये इन संस्थाओं की निन्दा किया जाना ठीक नहीं है । साधुओं को कुटियाओं तक ही सीमित रखना बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता । वे कुटियाओं से बाहर निकल कर ही समाज को बदल सकते हैं और लोगों को बुरे काम न करने का उपदेश दे सकते हैं । बड़े बड़े महात्माओं ने दयाभाव से प्रेरित हो कर ही मानव समाज की सेवा की है । हां, भारत सेवक समाज जैसी बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाओं में कोई दोष अवश्य हो सकते हैं जिनके लिये उनका जवाबतलब किया जाना चाहिये ।

कुछ समय पूर्व जब देश में साम्प्रदायिक दंगे जोरों पर थे, तो गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं उन स्थानों पर जा कर दंगों को दबाया और अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा किया । यह उनकी ईमानदारी का सबूत है । यही कारण है कि आज देश के अल्पसंख्यक लोग अन्य भारतीयों की तरह किसी बाहरी शत्रु के आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए तैयार हैं ।

बामपंथी साम्यवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करके सरकार ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है क्योंकि देश की सुरक्षा तथा उसकी स्वतंत्रता बनाये रखना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे जिले में साम्यवादियों द्वारा लोगों को तंग किया जाता रहा है। कुछ घरों अथवा झौंपड़ियों में आग लगाना आदि उनकी आम आदत बन गई है।

जब से माननीय गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार समाप्त करने का दृढ़ निश्चय किया है, उन्होंने प्रभावी कार्यवाही की है जिसका फल हमारे सामने है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे पुलिस कर्मचारियों ने भी सराहनीय कार्य किया है। काश्मीर में भी महत्वपूर्ण पग उठाये गये हैं जिससे उस राज्य के सम्बन्ध भारत से और अधिक सुदृढ़ हो गये हैं। आशा है कि निकट भविष्य में संवैधानिक संशोधन द्वारा काश्मीर का भारत के साथ पूर्ण विलय हो जाएगा।

गृह मंत्री जी ने समाजवादी समाज लाने के लिए प्रशासन में जागरूकता लाने के लिए ही योजना विभाग छोड़ा है। भाषा के मामले में भी आशा है कि गृह-मंत्री अहिन्दी भाषी जनता में विश्वास जगाने में सफल होंगे। यद्यपि भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में कई लड़कियां सफल हुई हैं, परन्तु फिर भी लड़कियों तथा लड़कों में भेद-भाव बर्ता जाता है जो उचित नहीं है। इसे दूर किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस समय संध्या के 7.40 बजे हैं। क्या माननीय सदस्य कुछ समय तक और बैठना चाहेंगे ?

श्री वासुदेवन नायर : हम कल आधा घंटा और बैठ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : इस समय जो सदस्य सभा में उपस्थित हैं उन्हें बोलने का अवसर दिया जाये।

Shri Onkar Lal Berwa: Everyone may be given five minutes each.

श्री चाण्डक (छिन्दवाड़ा) : हमें 8 बजे के बाद नहीं बैठना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल 5 अथवा 7 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : कच्छ में हमारे पुलिस बल ने जिस साहस का परिचय दिया है वह सराहनीय है। गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार कलकत्ता के उपद्रवों में कार्यवाही की उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। परन्तु भाषा के प्रश्न पर हुए दंगों के बारे में यही बात नहीं कही जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि गृह-मंत्रालय को इनकी बिल्कुल सूचना नहीं मिली और जब दंगे हुये तो वह इसके लिये बिल्कुल तैयार नहीं था।

यदि हमारा गुप्तचर विभाग पटु होता तो न केवल इन देशों की पूर्व-सूचना हमें मिल जाती परन्तु बाद की कार्यवाही भी प्रभावी हो सकती थी। यही बात श्री द्विवेदी तथा श्री कामत द्वारा सभा पटल पर रखे गये उन गुप्त पत्रों से भी सिद्ध हो जाती है। क्या गृह-

[श्री वाकर अली मिर्जा]

मंत्री बताएंगे कि यह भेद खुलने की जिम्मेदारी अब तक क्यों निश्चित नहीं की गई। यह एक बहुत ही गम्भीर बात है क्योंकि इसका देश की सुरक्षा से गहरा संबन्ध है । क्योंकि सर्वश्री कामत तथा द्विवेदी को भी देश की सुरक्षा उतनी ही प्रिय है जितनी श्री नन्दा जी को है इसलिये उन्हें स्वयं गृह मंत्री को बता देना चाहिये कि उन्हें यह गुप्त पत्र कहां से प्राप्त हुए हैं।

मुझे खुशी है कि सरकार ने संथानम समिति की सारी सिफ रिशें मान ली हैं परन्तु सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार किया जाना चाहिये था ।

मामलों को निपटाने में होने वाले बिलम्ब को दूर करना अच्छी बात है परन्तु साथ साथ यह भी देखना होगा कि निर्णय शीघ्रता में त्रुटिपूर्ण तो नहीं है और अन्याय में वृद्धि तो नहीं हो रही है ? यदि बिलम्ब दूर करना इतना आवश्यक है तो संघलोक सेवा आयोग में जो दो स्थान काफी समय से रिक्त पड़े हैं उन पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई ।

भ्रष्टाचार कभी कभी आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी होता है । मुद्रा स्फीति होने पर भ्रष्टाचार तथा चोर बाजारी अनिवार्य है जिसके लिए वित्त मंत्री, खाद्य मंत्री तथा उद्योग मंत्री जिम्मेदार हैं । भ्रष्टाचार का एक कारण इसका फलदायक ब्यापार होना है । जब तक सरकार दृढ़ता से कार्यवाही नहीं करती भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा । इसी कारण कुछ लोग गृह मंत्री जी पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रहार कर रहे हैं क्योंकि वह दृढ़ता से उसे समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

यदि भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है तो बड़े बड़े ब्यापारियों पर नियंत्रण रखना होगा । राजनीतिज्ञों द्वारा चलाए जा रहे बड़े ब्यापार पर भी नियंत्रण आवश्यक है । चुनाव प्रणाली में भी सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि चुनाव उम्मीदवारों को पैसे के लिए बड़े बड़े ब्यापारियों पर निर्भर न रहना पड़े । राजनीतिज्ञों के साथ-साथ उद्योगपतियों, ब्यापारियों आदि को भी अपनी आस्तियों की घोषणा करने के लिए कहा जाना चाहिये ।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : क्योंकि देश की अखण्डता तथा प्रभुता खतरे में है और ऐसे तत्वों को काबू में लाना कठिन था जो देश को दूसरों के हाथ बेचने तक से पीछे नहीं हटते, इसलिये भारत प्रतिरक्षा-नियम के अधीन उनके विरुद्ध कार्यवाही अनिवार्य हो गई थी। परन्तु यह कार्यवाही भी भली प्रकार सोच विचार के पश्चात् ही की जाती है। इसलिये उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात करना ठीक नहीं है । यह कहना भी ठीक नहीं है कि भारत प्रतिरक्षा-नियम किसी दल विशेष के दमन के लिए अस्त्र है । देश की अखण्डता तथा एकता के लिए अखिल-भारतीय सेवाएं सभी विभागों के लिए स्थापित की जाएं ।

एकता लाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षाओं का माध्यम एक ही भाषा होना चाहिये। हिन्दी उचित ही अखिल भारतीय भाषा मान ली गई है परन्तु इसकी कार्यान्विति में कुछ समय लगेगा ।

भ्रष्टाचार सभी स्तरों पर हो रहा है इसका उन्मलन दृढ़ता से किया जाना चाहिये । सदाचार समिति तथा भारत सेवक समाज जैसी संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं ।

प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने तथा देश की अखण्डता बनाए रखने के लिए हमें गृह-मंत्रालय तथा श्री नंदा जी से पूरा सहयोग करना चाहिये ।

कुछ सदस्य उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भी कुछ ख्याल रखना चाहिये जिन्होंने कल की कार्यसूची तथा अन्य पत्र तैयार करने हैं । सभा कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, 27 अप्रैल, 1965/7 वैशाख, 1887 (शक) को 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 27th April, 1965/Vaisakha 7, 1887 (Saka).

GMGIPND—LS III—706 (Ai) LS—26-7-65—600.